भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

वार्षिक प्रतिवेदन
1972-73

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, छात्रावास भवन,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड
नई दिल्ली-110001
1974

1974
350

प्रकाशन संख्या 48
मार्च, 1974
नि:शुल्क

भा० सा० वि० अ० प० के लिए श्री प्रेमसिंह, सहायक निदेशक (प्रकाशन)
द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित
राकेश प्रेस, दिल्ली में मुद्रित

प्रस्तावना

सामाजिक वैज्ञानिकों के शैक्षिक वर्ग के समक्ष भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद की चौथी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह 1972-73 के वित्तीय वर्ष का विवरण है। इस अवधि में परिषद के चालू कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार किया गया और कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए।

सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान का सर्वेक्षण

इस योजना का शुभारंभ 1969-70 में हुआ था, और इसके अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रमों का आधे से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। इस वर्ष के अन्त तक भूगोल और मनोविज्ञान की अनुसंधान सर्वेक्षण रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी थीं। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का एक ग्रन्थ भी प्रकाशित कर दिया गया था। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के दो ग्रंथ, प्रबंध-व्यवस्था के दो ग्रंथ और लोक प्रशासन के दो ग्रंथ प्रकाशन के लिए प्रेस में भेज दिए गए हैं, जिनके आगामी वर्ष में प्रकाशित हो जाने की आशा है। अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जनसांख्यिकी और राजनीतिशास्त्र और शासन के ग्रंथों का कार्य 1973-74 में शुरू किया जाएगा। इस वर्ष के अन्त तक इस योजना पर कुल व्यय 7.9 लाख रुपए हुआ।

अनुसंधान अनुदान

गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान कार्य के लिए वित्तीय-सहायता परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा। आलोच्य वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण आगे दिया जा रहा है :

(1) **अनुसंधान परियोजनाएँ** : अनुसंधान परियोजनाओं के कुल 320 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें 104 परियोजनाओं को स्वीकृति

प्रदान की गई और इनके लिए 16.01 लाख रुपए के सहायता-अनुदान दिए गए। इस अवधि में परियोजना निदेशकों के छः क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पूना, कलकत्ता और लखनऊ में आयोजित किए गए।

(2) **अनुसंधान कार्यक्रम** : अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस योजना के 1973-74 के दौरान शुरू किए जाने की आशा है।

(3) **शिक्षावृत्तियाँ** : डा० अशोक मित्रा को "व्यापार की शर्तें, क्लास-एलाइनमेंट और आर्थिक विकास के बीच संबंध" पर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति प्रदान की गई। छः वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियाँ श्री ए० बागची, डा० (कुमारी) सरोजिनी बिसारिया, प्रो० जी० एस० शर्मा, प्रो० अशोक रुद्र, श्रीमती आर० ए० मेनन और डा० ए० आर० देसाई के लिए स्वीकृत की गई। डॉक्टरेट के आगे कार्य के लिए डा० (श्रीमती) प्रोमिला कपूर और डा० (श्रीमती) ज़रीना भट्टी को दो डाक्टरोत्तर शिक्षावृत्तियाँ स्वीकार की गईं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान 51 डॉक्टरेट उपाधि के लिए शिक्षा-वृत्तियाँ दी गईं। आलोच्य वर्ष के अंत तक परिषद ने 3 राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियाँ, 24 वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ, 5 डॉक्टरोत्तर शिक्षावृत्तियाँ और 75 डाक्टरेट उपाधि के लिए शिक्षावृत्तियाँ दीं।

(4) **आकस्मिक व्यय अनुदान** : डाक्टरेट उपाधि के लिए कार्य करने वाले 24 विद्यार्थियों को फील्ड में कार्य करने के लिए आकस्मिक व्यय की स्वीकृत प्रदान की गई है।

(5) **एशिया पर अनुसंधान** : इस वर्ष के दौरान परिषद ने एशिया पर अनुसंधान के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रो० बोधायन चट्टोपाध्याय और डा० (श्रीमती) कल्याणी बन्धोपाध्याय को दो वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ स्वीकृत कीं। इसके अतिरिक्त कार्यक्षेत्रों की यात्रा के लिए डा० वेदप्रताप वदिक, डा० मोहम्मद अयूब, डा० अनिरुद्ध गुप्ता और डा० (कुमारी) ए० के० वर्गीश को सहायता-अनुदान दिए गए। तीन विद्यार्थियों को डाक्टरेट की उपाधि के लिए शिक्षावृत्तियाँ और एक विद्यार्थी को क्षेत्र-कार्य के आकस्मिक व्यय की स्वीकृति दी गई।

(6) **गैर-एशियाई देशों पर अनुसंधान** : एशिया से बाहर के देशों पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के परिषद के कार्यक्रम के

अन्तगत डा० वैद्यनाथ और डा० अमल एस० रे के लिए दो वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त डाक्टरेट डिग्री के लिए चार शिक्षावृत्तियाँ भी स्वीकृत की गई।

(7) **भारत में कार्यरत विदेशी सामाजिक वैज्ञानिक** : इस वर्ष भारत में अनुसंधान कार्य करने के लिए चार विदेशी सामाजिक वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यह सहायता बंगला देश, मॉरिशस, सूडान और ईरान के सामाजिक वैज्ञानिकों को दी गई।

(8) **प्रकाशन अनुदान** : आलोच्य वर्ष में डाक्टरेट-उपाधि के लिए 89 शोध प्रबंधों को और परिषद की सहायता के बिना क्रियान्वित 16 ऐसी परियोजनाओं की अनुसंधान रिपोर्टों को प्रकाशन अनुदान दिए गए। इनके अतिरिक्त परिषद द्वारा प्रवर्तित 30 अनुसंधान रिपोर्टों को, 2 ग्रंथसूची की तरह के प्रकाशनों को और, एक विशेष मामले में, एक पत्रिका को प्रकाशन अनुदान की स्वीकृति दी गई।

(9) **अध्ययन अनुदान** : परिषद ने दिल्ली में तथा देश के विभिन्न भागों में 19 केन्द्रों के द्वारा इस योजना पर अमल किया। नई दिल्ली के केन्द्र में 33 विद्यार्थियों को अध्ययन अनुदान दिए गए।

(10) **अनुसंधान पद्धतिविज्ञान में प्रशिक्षण** : आलोच्य वर्ष में परिषद ने अनुसंधान-पद्धतिविज्ञान पर 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संगठित किए। इनमें से सात सामान्य पाठ्यक्रम बंबई, नई दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, पटना, कानपुर, जयपुर और भुवनेश्वर में और तीन विशेष पाठ्यक्रम वाल्टेयर, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद और सरदार पटेल सामाजिक और आर्थिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद में संचालित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में कुल 266 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिनमें से 156 ने सामान्य पाठ्यक्रम में और 110 ने विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया। इन पाठ्यक्रमों में अध्यापन के लिए सारे देश से विद्वान प्राध्यापकों का चयन किया गया जिनकी संख्या लगभग 95 थी।

प्रोत्साहनात्मक कार्य

प्रोत्साहन के क्षेत्र में इस वर्ष परिषद ने काफी बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन देने में

पर्याप्त प्रगति हुई और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में शिक्षा पर राष्ट्रव्यापी अध्ययन नामक परियोजना पर 26 अध्ययन-कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन अध्ययन-कार्यों की प्रगति पर्याप्त संतोषजनक रही और इनके अगले साल पूरा हो जाने की संभावना है। इस साल मुसलमानों की समस्याओं के अध्ययन के लिए पाँच अनुसंधान परियोजनाएँ स्वीकार की गई हैं। इसी वर्ष के दौरान डाकुओं की समस्या पर भी अध्ययन कार्य शुरू किया गया। कानून और सामाजिक परिवर्तन के बारे में गठित सलाहकार समिति ने इस विषय पर विचारों को उत्प्रेरित करने के लिए एक विचारगोष्ठी आयोजित की। यह समिति सामाजिक विज्ञान और कानून के विभागों के सहयोग से एक अनुसंधान-कार्यक्रम आरंभ कर रही है। क्षेत्रीय अध्ययनों और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बनाई गई सलाहकार समिति एशिया पर अनुसंधान के कार्यक्रम का विकास कर रही है और भारतीय और विशेषतः अन्य विकासमान देशों के सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। परिषद ने स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निर्मित राष्ट्रीय समिति के लिए भी कई अध्ययन-कार्य शुरू किए हैं।

आधार-सामग्री संग्रहालय, प्रलेखन, अनुसंधान-सूचना और प्रकाशन

आलोच्य वर्ष में आधार-सामग्री संग्रहालय, प्रलेखन और ग्रंथ-सूची सेवाओं की आधार-संरचना तैयार करने में पर्याप्त प्रगति हुई। इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(1) आधार-सामग्री संग्रहालय के विकास के कार्य में परिषद को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई और दिल्ली में राष्ट्रीय आधार सामग्री संग्रह बनाने का कार्य शुरू करने के लिए कार्रवाई की गई।

(2) सामाजिक विज्ञान के क्रमिक प्रकाशनों के संघीय सूची-पत्र और महात्मा गांधी शताब्दी ग्रंथ-सूची के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई। इन ग्रंथों का प्रकाशन-कार्य अगले साल शुरू किया जाएगा।

(3) भारत में प्रकाशित होने वाली सामाजिक विज्ञान की पत्र-पत्रिकाओं के सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है।

(4) नई दिल्ली के सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र में संग्रह पुस्तकालय और रिप्रोग्राफिक सेवाएँ शुरू करने की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया। इन दोनों सेवाओं के अगले वर्ष शुरू हो जाने की आशा है।

(5) कलकत्ता, हैदराबाद और बंबई में परिषद के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए जिन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है।

(6) आलोच्य वर्ष में परिषद ने अपने पत्र 'न्यूज लेटर' और 'भा० सा० वि० अ० प० अनुसंधान सार' नामक त्रैमासिक पत्र का प्रकाशन जारी रखा। इसके अतिरिक्त, 'भारतीय शोध प्रबंध सार' नामक एक नया पत्र भी शुरू किया। इस पत्र में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत डाक्टरेट डिग्री के शोध प्रबंधों के सारांश प्रकाशित किए जाते हैं।

(7) परिषद ने सामाजिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा के लिए सार सेवाएँ शुरू करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाला सबसे पहला पत्र 'भारतीय मनोवैज्ञानिक सार' है। भूगोल, समाज शास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान के सार प्रकाशित करने की भी व्यवस्था की गई है। अन्य शाखाओं से संबद्ध कार्य भी शुरू किया जा रहा है।

अन्य गतिविधियाँ :

आलोच्य वर्ष में परिषद की सिफारिशों पर 11 संस्थाओं को भारतीय आय कर अधिनियम, 1961, की धारा 35 (1) (iii) के अधीन आयकर से छूट दी गई।

परिषद ने आठ भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों को अपना अनुसंधान कार्य पूरा करने के लिए विदेश गमन के लिए विदेश यात्रा अनुदान स्वीकृत किया और विदेशों से निम्नलिखित पाँच सामाजिक वैज्ञानिकों को भारत में आने का निमंत्रण दिया : डा० ऐलेकडिक्सन, डा० मोहम्मद मोहसिन, डा० ईवान इलिच और प्रोफेसर सर क्लॉस मोजर।

परिषद ने सामाजिक रिपोर्ट के संकलन और सामाजिक सूचकों के निर्माण का विशेष कार्यक्रम शुरू किया जिसमें संतोषजनक प्रगति हुई। इस वर्ष के दौरान रहन-सहन के ढंग पर भी अध्ययन कार्य शुरू किया गया।

इस वर्ष में दो राष्ट्रीय विचारगोष्ठियाँ भी आयोजित की गईं। (1) सामाजिक विज्ञान और सामाजिक यथार्थ पर शिमला में और (2) सामाजिक परिवर्तन पर बंगलौर में एक-एक विचारगोष्ठी आयोजित की गई। दो क्षेत्रीय विचारगोष्ठियाँ मैसूर और पटना में की गईं। तीन स्थानीय संगोष्ठियों को भी सहायता प्रदान की गई। शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर शिक्षा पर दो विचारगोष्ठियाँ नई दिल्ली और पटना में संगठित की गईं। इस वर्ष भी सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने का कार्यक्रम जारी रखा गया और नौ संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था

इस वर्ष के दौरान परिषद की चार बैठकें हुईं। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1972 से परिषद का पुनर्गठन किया। संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक तिहाई सामाजिक वैज्ञानिकों के अवकाश ग्रहण करने की व्यवस्था है।

परिषद की गतिविधियों और कार्यक्रमों में वृद्धि के साथ-साथ आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। परिषद में योजना दल की स्थापना करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य सामूहिक नेतृत्व की शुरूआत करना था। इस योजनादल में सदस्य-सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

परिषद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आभारी है क्योंकि वह परिषद के सभी भवनों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्र में भूमि देने पर सहमत हो गया है। आशा है कि परिषद के आवश्यक भवनों का निर्माण आगामी दो-तीन साल में पूरा हो जाएगा।

इस वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय चौथी योजना की अवधि में परिषद के कार्यों की समीक्षा करने तथा पांचवीं योजना के लिए सुझाव देने के लिए स्वतंत्र समिति नियुक्त करने का है। इस समिति के अध्यक्ष श्री एम० एस० आदिशेषैया हैं। उम्मीद है कि ये अपनी रिपोर्ट सितम्बर 1973 के अंत तक पेश कर देंगे।

परिषद भारत सरकार के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ है क्योंकि इस वर्ष के दौरान इसने परिषद को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दी। जिस कारण से परिषद अपनी गतिविधियों

और कार्यक्रमों को नई दिशा देने में समर्थ हुई है।

आभार प्रदर्शन :— यह परिषद के कार्यों का संक्षिप्त विवरण है। इसका विस्तृत विवरण आगे वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। इस अवसर पर मैं सामाजिक वैज्ञानिकों के विद्वत् समाज, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं के प्रति आभार प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिनकी सहायता और सहयोग के बिना परिषद अपने कार्य को इतनी अधिक सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं कर सकता। मैं परिषद के कर्मचारी-वर्ग को भी उनकी कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ।

नई दिल्ली
2 अक्तूबर, 1973

एम० एस० गोरे
अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान
अनुसंधान परिषद

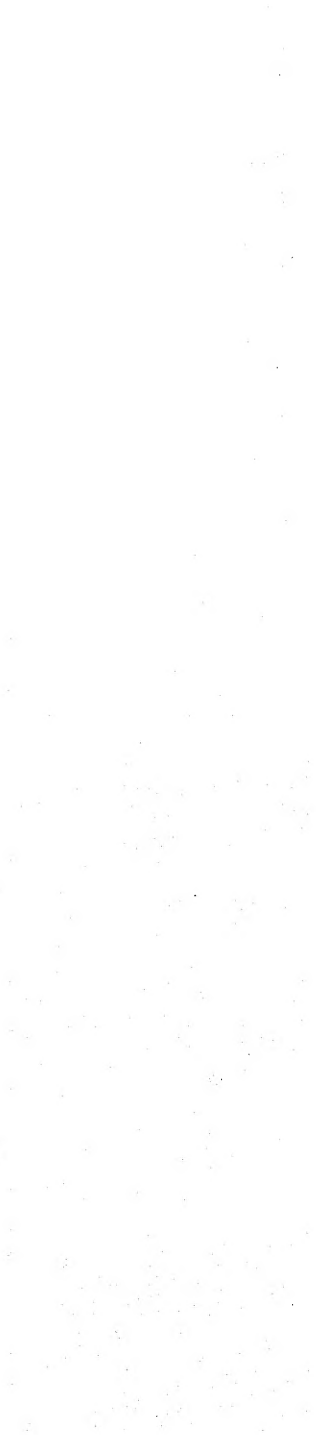

विषय-सूची

प्रस्तावना (iii)

अध्याय I : परिषद के कार्यक्रमों का परिचय 1-5

1. संगठन 1
2. उद्देश्य 2
3. मुख्य कार्य 2
4. कार्यक्रम 4

अध्याय II : सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान का सर्वेक्षण 6-8

अध्याय III : अनुसंधान परियोजनाएँ तथा कार्यक्रम 9-15

1. अनुसंधान परियोजनाएँ 9
2. अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति 10
3. परियोजना निदेशकों का सम्मेलन
4. स्वीकृत परियोजनाओं का वितरण 11-12
   (क) स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार वितरण 11-12
   (ख) स्वीकृत परियोजनाओं का संस्थावार वितरण 12-14
   (ग) स्वीकृत परियोजनाओं का विषयवार वितरण 14
5. अनुसंधान कार्यक्रम 15

अध्याय IV : शिक्षावृत्तियाँ 16-25

1. शिक्षावृत्तियाँ पाने वाले सामाजिक वैज्ञानिक 17-30
   (क) भारत में अनुसंधानरत भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक 17-20

(ख) एशियाई देशों में अनुसंधानरत भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक 21-22
(ग) गैर एशियाई देशों पर कार्यरत भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक 23-24
(घ) भारत में कार्यरत विदेशी सामाजिक वैज्ञानिक 6-(परिशिष्ट) 72-73 में प्रदान की गई डाक्टरी शिक्षावृत्तियाँ 24-25

अध्याय V : प्रकाशन-अनुदान 31-44

1. डाक्टरेट उपाधि के लिए शोध प्रबंध 31
2. पी-एच० डी० के शोध प्रबंधों के लिए स्वीकृत प्रकाशन अनुदान की सूची 32
   अनुसंधान रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए अनुदान 32-39
   (क) परिषद की योजना से असंबद्ध अनुदान 39-41
   (ख) परिषद की योजना के अधीन दिए गए अनुदान 41-44
3. संदर्भ ग्रन्थ-सूची तथा प्रलेखन कार्य 44
4. अन्य अनुदान 44

अध्याय VI : अध्ययन अनुदान 45-50

अनुदान प्राप्त करने वाले अनुसंधान-क्षेत्रों और अनुसंधानकर्ताओं के विवरण
(क) परिषद के अनुसंधान को क्रियान्वित करने वाले क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची 47
(ख) परिषद से 1972-73 में अध्ययन-अनुदान पाने वाले अनुसंधानकर्ताओं की सूची 48-50

अध्याय VII : अनुसंधान-पद्धति पर प्रशिक्षण 51-54

(क) सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य पाठ्यक्रमों के विशिष्ट संचालन केन्द्र 51-53
(ख) विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संचालन केन्द्र 53-54

अध्याय VIII : **प्रोत्साहक गतिविधियाँ** 55-76

1. कृषि, इंजीनियरी और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान की स्थिति पर अध्ययन-दल 55
2. अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर अनुसंधान 58
3. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर अनुसंधान 60
4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में शिक्षा पर देशव्यापी अध्ययन 63
5. भारत में मुसलमानों की समस्या पर अनुसंधान 67
6. डाकुओं की समस्याओं पर अनुसंधान 70
7. क्षेत्रीय अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध 71
8. भारत में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन 72
9. कानून और सामाजिक परिवर्तन 74

अध्याय IX : **आधार-सामग्री संग्रहालय, प्रलेखन, अनुसंधान सूचना और प्रकाशन** 77-90

1. भारत में आधार-सामग्री संग्रहालय 77
2. प्रलेखन और ग्रंथ-सूची सेवाएँ 79
   (i) संघीय सूची-पत्र परियोजना 79
   (ii) पुस्तकालय 82
   (iii) थोक खरीद और वितरण 83
   (iv) गांधी शताब्दी संदर्भ-ग्रंथ-सूची 83
   (v) भारत में प्रकाशित होने वाली सामाजिक विज्ञान की पत्र-पत्रिकाओं की निदेशिका 84

भावी योजनाएँ 85

   (i) संग्रह-पुस्तकालय 85
   (ii) रिप्रोग्राफिक सेवा 86
3. क्षेत्रीय केन्द्र 86
4. अनुसंधान सूचना 87
5. विभिन्न शाखाओं में संक्षेपण सेवाएँ 87-88

6. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित अनुसंधान सार- त्रैमासिक 88
7. भारतीय शोध प्रबंधसार 88
8. अनुसंधान संस्था निदेशिका 88
9. भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संगठनों की निदेशिका 88
10. परिषद के प्रकाशन 89
(i) न्यूज लैटर (त्रैमासिक) 89
(ii) निःशुल्क प्रकाशत 89
(iii) समूल्य प्रकाशन 90
11. प्रकाशन नीति 90

अध्याय X : अन्य गतिविधियाँ 91-104

1. परिषद की परामर्शदात्री भूमिका 91
2. विदेश यात्रा-अनुदान 92
3. भारत में आमंत्रित विदेशी सामाजिक वैज्ञानिक 94
4. सामाजिक रिपोर्ट, सामाजिक सूचक और रहन-सहन का तरीका 95
5. विचारगोष्ठियाँ 97
6. सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संगठनों के लिए विकास अनुदान 102
7. पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता 104

अध्याय XI : प्रशासन और वित्तव्यवस्था 105-108

1. परिषद का पुनर्गठन 105
2. बैठकें 105
3. कर्मचारी-वर्ग 105
4. योजना समिति 105
5. आवास 106
6. कर्मचारी क्लब 106
7. सहकारी बचत और उधार समिति 106
8. विदेशों में प्रतिनियुक्तियाँ 107

9. पुनरीक्षण समिति 108
10. बजट और लेखे 108

परिशिष्ट

I. परिषद और इसकी समितियाँ 109
II. स्थायी समितियों का संघटन 113
III. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का संगठनात्मक चार्ट 123
IV. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के कार्यालय के लिए स्वीकृत पदों की अनुसूची (31 मार्च, 1973) 125
V. भा० सा० वि० अ० परिषद का वरिष्ठ कर्मचारी-वर्ग 129
VI. प्राप्तियों और भुगतानों के लेखे 31-3-1973 के अन्त तक 131
VII. महालेखापाल का परिषद के 1971-72 के लेखों से संबद्ध पत्र 142
VIII. भा० सा० वि० अ० प० की परिसम्पत्ति का विवरण 144

I

परिषद् के कार्यक्रमों का परिचय

संगठन

1·01. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा 1969 में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। परिषद के 26 सदस्य हैं : एक अध्यक्ष, 18 सामाजिक वैज्ञानिक, भारत सरकार के 6 प्रतिनिधि और एक सदस्य-सचिव। ये सभी भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।

1·02. परिषद का कार्य कई सांविधिक समितियों के जरिए होता है। ये समितियाँ हैं : (क) अनुसंधान परियोजना समिति; (ख) प्रलेखन सेवा तथा अनुसंधान सूचना समिति; (ग) प्रशिक्षण समिति; (घ) योजना समिति; और (ङ) प्रशासनिक समिति।

सामाजिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत अनुसंधान कार्य को विकसित करने के लिए परिषद को आवश्यक सलाह देने तथा परिषद और विशाल वैज्ञानिक समुदाय के बीच संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए स्थायी समितियां भी स्थापित की गई हैं। अभी तक निम्नलिखित विषयों के लिए स्थायी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं : (1) मानवविज्ञान (2) व्यवसाय, प्रशासन और प्रबंध (3) वाणिज्य (4) अर्थशास्त्र (5) भूगोल (6) राजनीतिशास्त्र (7) मनोविज्ञान (8) लोक प्रशासन और (9) समाज शास्त्र (जिसमें समाज कार्य तथा अपराध विज्ञान भी सम्मिलित हैं)। 31 मार्च 1973 को इन समितियों की सदस्यता का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। इनके अलावा, विशेष कार्यक्रमों से संबद्ध परिषद की कई सलाहकार या विशेषज्ञ समितियाँ और कार्यदल हैं।

1·03. परिषद का एक छोटा-सा व्यावसायिक कर्मचारी वर्ग है जिसमें एक सदस्य-सचिव, 4 निदेशक और 4 उपनिदेशक हैं।

उद्देश्य

1·04. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों दृष्टियों से सामाजिक विज्ञानों में शोधकार्य को बढ़ावा देना तथा इसके उपयोग की सुविधा प्रदान कराना है। इस उद्देश्य से परिषद शोध-प्रतिभाओं का चयन कर उसे विकसित करने, अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों की सहायता करने, आवश्यक अवसंरचना का, जिसमें वितरण केन्द्र की सुविधा भी सम्मिलित है, निर्माण करने और सामाजिक वैज्ञानिकों की पेशेवर संस्थाओं के विकास में सहायता देने का प्रयास करता है।

1·05. परिषद ने 'सामाजिक विज्ञान' के अंतर्गत निम्नलिखित शाखाओं को सम्मिलित किया है : अर्थशास्त्र (जिसमें वाणिज्य भी शामिल है), शिक्षाशास्त्र, प्रबंधशास्त्र (जिसमें व्यवसाय प्रशासन भी शामिल है), राजनीतिशास्त्र (जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संबंध भी शामिल है), मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र (जिसमें अपराध-विज्ञान और सामाजिक कार्य भी शामिल हैं) इनके अतिरिक्त मानव-विज्ञान, जनसांख्यिकी, इतिहास, कानून और भाषाविज्ञान के सामाजिक विज्ञान विषयक पहलू भी सम्मिलित हैं।

मुख्य कार्य

1·06. परिषद का मुख्य कार्य अनुसंधान-कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत सामाजिक वैज्ञानिकों के प्रयास को सहानुभूति तथा सूझबूझ के साथ प्रोत्साहित करना है। इस उद्देश्य से यह सामाजिक वैज्ञानिकों को अपनी अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता देता है, उन्हें शिक्षावृत्तियाँ प्रदान करता है और उन्हें अनुसंधान संबंधी अन्य सुविधाएँ प्रदान करता है। इनके अतिरिक्त परिषद मुख्यतः निम्नलिखित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान संबंधी शोध कार्य को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देता है :

(1) विशेषतः युवा वर्ग के सामाजिक वैज्ञानिकों में शोध प्रतिभाओं की खोज करना, और प्रशिक्षण, प्रकाशन, अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए शिक्षावृत्ति तथा सहायतार्थ वित्तीय अनुदान देकर उनके इष्टतम

विकास का अवसर प्रदान करना;

(2) विद्वानों तथा योग्य संस्थाओं को सहायता देकर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना;

(3) दूरस्थ प्रदेशों में काम करने वाले होनहार सामाजिक वैज्ञानिक को तथा देश के अपेक्षाकृत उपेक्षित प्रदेशों में किए जा रहे अनुसंधान-कार्यों के नए केन्द्रों को सहायता देकर अनुसंधान-कार्य को व्यापक रूप प्रदान करना;

(4) आवश्यक होने पर, सहयोगी अनुसंधान कार्यों की योजना तैयार करना तथा विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में कार्य कर रहे सक्षम विद्वानों को इन योजनाओं को अमल के लिए सौंपना;

(5) समय-समय पर सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान कार्यों का सर्वेक्षण करना;

(6) ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों का पता लगाना जहाँ अनुसंधान कार्य न हुआ हो तथा इन क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयत्न करना; अनुसंधान में प्राथमिकता के संबंध में अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना ताकि समय-समय पर आने वाली राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में सामाजिक विज्ञानी अधिक उद्देश्यपूर्ण भूमिका अदा कर सकें; और

(7) सामाजिक विज्ञानों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना तथा उनके विकास का प्रयत्न करना।

1·07. परिषद कुछ ऐसे कार्यक्रमों पर विशेष जोर देती है जो अन्यथा उपेक्षित रह जाते, उदाहरणार्थ सामाजिक विज्ञानों का अन्तर्शाखा अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन; विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों के सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्क्षेत्रीय सहयोग; सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के कार्यकर्ताओं और प्रभोक्ताओं के बीच अधिक घनिष्ठ संबंध; और, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग।

1·08. परिषद भारत सरकार को सामाजिक विज्ञान से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर सलाह देती है जो इसके पास समय-समय पर सलाह के लिए भेजे जाते हैं। विदेशी एजेन्सियों के सहयोग से कार्यान्वित होने वाली योजनाएँ भी इनमें सम्मिलित हैं। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की सहायता के लिए प्राप्त दान के संबंध में आयकर

से छुट प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अंतर्गत परिषद को प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार है।

कार्यक्रम

परिषद द्वारा प्रारंभ किए गए कुछ मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

1. अनुसंधान सर्वेक्षण
2. अनुसंधान अनुदान :
   (1) अनुसंधान परियोजनाएँ तथा कार्यक्रम ;
   (2) शिक्षावृत्तियाँ ;
   (3) प्रकाशन अनुदान ;
   (4) अध्ययन-अनुदान ; और
   (5) अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण।
3. विकास-कार्यक्रम:
   (1) कृषि, इंजीनियरी और चिकित्सा शिक्षा में सामाजिक विज्ञानों की स्थिति पर अध्ययन-दल;
   (2) अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर अनुसंधान;
   (3) अनुसूचित जन जातियों की समस्याओं पर अनुसंधान;
   (4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन;
   (5) भारत में मुसलमानों की समस्याओं पर अनुसंधान;
   (6) डाकुओं की समस्याओं का अध्ययन ;
   (7) क्षेत्रीय अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध;
   (8) भारत में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन ; और
   (9) कानून और सामाजिक परिवर्तन।
4. आधार सामग्री—संग्रहालय, प्रलेखन, अनुसंधान-सूचना और प्रकाशन :
   (1) आधार सामग्री—संग्रहालय;
   (2) प्रलेखन और संदर्भिका सेवा ;
   (3) अनुसंधान सूचना; और
   (4) परिषद के प्रकाशन।
5. अन्य कार्यक्रम :
   (1) परिषद का परामर्श-कार्य ;
   (2) भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों को विदेश यात्रा अनुदान ;

(3) भारतीय और विदेशी सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच व्यावसायिक संपर्क ;

(4) सामाजिक रिपोर्ट, सामाजिक सूचक और रहन-सहन का तरीका ;

(5) विचार गोष्ठियाँ ; और

(6) सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यवसाय-संगठनों को विकास-अनुदान ।

6. प्रशासन और वित्त :

(1) प्रशासन ;

(2) पुनरीक्षण समिति ; और

(3) बजट तथा लेखा ।

1·10. रिपोर्टाधीन वर्ष 1972-73 में इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रगति हुई उसका विवरण आगे के अध्यायों में दिया गया है ।

II

सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान का सर्वेक्षण

2·01. परिषद की स्थापना होने के शीघ्र बाद सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधान कार्यों के सर्वेक्षण को एक प्रमुख परियोजना हाथ में ली गई। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य अनुसंधान की प्रवृत्तियों का आकलन करना और उपेक्षित क्षेत्रों का पता लगाना था ताकि अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिकताओं और नीतियों का निर्धारण किया जा सके।

2·02. इस परियोजना के लिए सामाजिक विज्ञान संबंधी समस्त अनुसंधान कार्य को निम्नलिखित 7 प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया :

(1) अर्थशास्त्र ; वाणिज्य और जनसांख्यिकी;
(2) राजनीतिशास्त्र और शासन ;
(3) लोकप्रशासन ;
(4) प्रबंध ;
(5) समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान ;
(6) मनोविज्ञान ; और
(7) आर्थिक, मानवी और राजनीतिक भूगोल।

2·03. इन सभी प्रमुख क्षेत्रों पर अध्ययन-कार्य करने के लिए सम्बद्ध शाखाओं के विशेषज्ञों की सलाहकार समितियाँ बनाई गईं। उनकी सलाह पर प्रत्येक प्रमुख शाखा के अनुसंधान-सर्वेक्षण को कई उप-क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया और प्रत्येक उप-क्षेत्र के विशेषज्ञ सामाजिक वैज्ञानकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने विशिष्ट क्षेत्र में हुए अनुसंधान कार्यों का सर्वेक्षण करें।

2·04. यह परियोजना नवम्बर 1969 में शुरू की गई थी। उस समय यह विचार था कि समस्त कार्यक्रम मार्च 1973 तक समाप्त

हो जाएगा, परन्तु कई कठिनाइयों के कारण प्रकाशनों की प्रगति धीमी रही लेकिन अब आशा है कि यह परियोजना दिसम्बर 1974 तक पूरी हो जाएगी।

2·05. रिपोर्टाधीन वर्ष में तीन ग्रन्थ प्रकाशित किए गए (मानव-विज्ञान, भूगोल तथा समाजशास्त्र और सामाजिक मानव-विज्ञान; 3)। तीन और खण्ड मुद्रणाधीन थे (लोकप्रशासन, खण्ड-I; प्रबंध, खण्ड-1 ; और समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान, खंड 2 और 3)। 13 अन्य पुस्तकों का संपादन कर उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा था। वर्ष के अंत में समग्र स्थिति इस प्रकार रही :—

(1) अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जनसांख्यिकी की अधिकांश रिपोर्टें पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुकी हैं और उनका संपादन किया जा रहा है। इन्हें नवम्बर 1973 तक प्रेस में भेज दिया जाएगा और जून 1974 तक ये सभी प्रकाशित हो जाएगी।

(2) **राजनीति शास्त्र और शासन** : अर्थशास्त्र, वाणिज्य और जनसांख्यिकी की तुलना में इनकी स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है। आशा है मार्च 1974 तक रिपोर्टें प्रेस में भेज दी जाएँगी और दिसम्बर 1974 तक ये सभी प्रकाशित हो जाएँगी।

(3) **लोक प्रशासन** : एक खंड प्रकाशित हो चुका है। दूसरे खंड की अधिकांश रिपोर्टें तैयार हैं और संपादित हो चुकी हैं। आशा है कि जून 1973 तक ये प्रेस में भेज दी जाएँगी और यह खंड दिसंबर 1973 तक प्रकाशित हो जाएगा।

(4) **प्रबंध** : सभी रिपोर्टें प्रेस में भेजी जा चुकी हैं और आशा है कि दोनों खंड दिसम्बर 1973 तक प्रकाशित हो जाएँगे।

(5) **समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान** : एक खंड प्रकाशित हो चुका है और बाकी दो खंडों की रिपोर्टें प्रेस में भेजी जा चुकी हैं। आशा है कि दिसम्बर 1973 तक सभी खंड प्रकाशित हो जाएँगे।

(6) **मनोविज्ञान** : यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है।

(7) **आर्थिक, मानव और राजनीतिक भूगोल** : यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है।

2·06. ये सभी रिपोर्टें 20 खंडों में प्रकाशित होंगी और प्रत्येक खंड 400, पृष्ठों का होगा। प्रकाशित होने पर यह प्रकाशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा।

2·07. इस परियोजना पर अभी तक खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

वर्ष	कुल वास्तविक खर्च
1969-70	1,96,263
1970-71	2,97,603
1971-72	2,19,285
1972-73	77,672
कुल	7,90,823

2·08. अनुसंधान-सर्वेक्षण की रिपोर्टों का प्रकाशन स्वीकृत शर्तों पर कुछ विशेष प्रकाशकों के द्वारा ही करवाया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत में इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

(i) **पॉपुलर प्रकाशन, बम्बई** : मनोविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान और जनसांख्यिकी संबंधी रिपोर्टें।

(ii) **विकास प्रकाशन, दिल्ली** : प्रबंध संबंधी रिपोर्टें।

(iii) **एलाइड पब्लिशर्स, दिल्ली** : लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र संबंधी रिपोर्टें।

2·09. राजनीति शास्त्र की सर्वेक्षण रिपोर्टों के संबंध में प्रकाशकों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

III

अनुसंधान परियोजनाएँ तथा कार्यक्रम

(क) अनुसंधान परियोजनाएँ

3·01. स्वीकृत अनुसंधान प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देना परिषद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और परिषद के वार्षिक बजट का लगभग एक तिहाई अंश इसी मद पर खर्च होता है। नीचे प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या, स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या और उन पर होने वाले खर्चों का वर्षवार विवरण दिया जा रहा है :

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत अनुदान की राशि (लाख में)
1969-70 (1-8-69 से 31-3-70)	155	13	3.04 रु०
1970-71	300	74	9.33 रु०
1971-72	415	103	15.41 रु०
1972-73	320	104	16.01 रु०
	1190	294	43.79 रु०

3·02. इनके अतिरिक्त योजना आयोग के आर० पी० सी० से 45 प्रस्ताव स्थानान्तरित किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 1973 तक कुल 339 अनुसंधान परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं। 31 मार्च 1973 तक स्वीकृत समस्त अनुसंधान परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण पृथक रूप से एक पुस्तिका में प्रकाशित किया गया है।

अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

3·03. 31 मार्च 1973 तक हुई 339 अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

(क) **योजना आयोग से स्थानांतरित परियोजनाएँ** : 45 परियोजनाओं में से परिषद ने 41 परियोजनाओं के अंतिम रिपोर्टें स्वीकार की हैं। 4 परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें मिलनी अभी बाकी हैं।

(ख) 1969-70 **में स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाएँ** : 13 स्वीकृत परियोजनाओं में से परिषद ने 11 परियोजनाओं के संबंध में अंतिम रिपोर्टें प्राप्त कर ली हैं। इनमें से परिषद ने 7 रिपोर्टें स्वीकार कर ली हैं; और 4 के संबंध में प्रारंभिक मसौदों की जांच और उनका संशोधन हो रहा है। शेष 2 परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें मिलनी अभी बाकी हैं।

(ग) 1970-71 **में स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाएँ** : 74 स्वीकृत परियोजनाओं में से परिषद ने 31 के संबंध में अंतिम रिपोर्टें प्राप्त कर ली हैं। इनमें से परिषद ने 17 रिपोर्टें स्वीकार कर ली हैं और 14 रिपोर्टों के प्रारंभिक मसौदे प्राप्त कर लिए हैं, जिनकी जाँच तथा संशोधन का कार्य इस समय हाथ में है। शेष 43 परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें मिलनी अभी बाकी हैं।

(घ) 1971-72 **में स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाएँ** : 103 स्वीकृत परियोजनाओं में से 10 के संबंध में परिषद को अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 3 रिपोर्टें परिषद ने स्वीकार कर ली हैं और 7 के प्रारंभिक मसौदे प्राप्त हो चुके हैं जिनकी जाँच और संशोधन का काम इस समय हाथ में है। शेष 93 परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें मिलनी अभी बाकी हैं।

(ङ) 1972-73 **में स्वीकृत परियोजनाएँ** : 104 स्वीकृत परियोजनाओं में से केवल 2 की अंतिम रिपोर्टें परिषद को प्राप्त हुई हैं। शेष 102 के संबंध में रिपोर्टें मिलनी अभी बाकी हैं।

3·04. **परियोजना-निदेशकों का सम्मेलन** : 1 मार्च 1972 को जिन परियोजनाओं पर काम चालू था उनके निदेशकों के क्षेत्रीय सम्मेलन जुलाई-अगस्त-सितम्बर, 1972 में 6 केन्द्रों (नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पूना, कलकत्ता और लखनऊ) में किये गये। इन सम्मेलनों में 111, अर्थात् 62 प्र० श० परियोजना निदेशकों ने भाग लिया। इन सम्मेलनों का उद्देश्य परिषद के अधिकारियों तथा परियोजना निदेशकों

के बीच संपर्क स्थापित करना, उनकी परियोजनाओं की प्रगति और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और विशेष रूप से अनुसंधान-अनुदान की वितरण पद्धति में सुधार के संबंध में और सामान्य रूप से देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के विकास के संबंध में, उनके सुझाव प्राप्त करना था। परिषद के अध्यक्ष ने दिल्ली के सम्मेलन को छोड़कर बाकी सभी सम्मेलनों में भाग लिया। दिल्ली के सम्मेलन में सदस्य-सचिव ने भाग लिया। परिषद के अधिकारियों में से एक निदेशक और एक उपनिदेशक ने भी सभी सम्मेलनों में भाग लिया।

स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार, संस्थावार और विषयवार वितरण

3.5. नीचे की तालिका में स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार, संस्थावार और विषयवार वितरण दर्शाया गया है :

तालिका 1

परियोजनाओं का राज्यवार वितरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	असम	2
3.	बिहार	18
4.	चंडीगढ़	9
5.	दिल्ली	65
6.	गुजरात	27
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	हरियाणा	6
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	केरल	8
11.	मध्य प्रदेश	15
12.	महाराष्ट्र	40
13.	मणिपुर	2
14.	मैसूर	10

1	2	3
15.	उड़ीसा	5
16.	पंजाब	1
17.	राजस्थान	22
18.	तमिलनाडु	12
19.	उत्तर प्रदेश	48
20.	पश्चिम बंगाल	23
		339

तालिका 2

परियोजनाओं का संस्थावार वितरण

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	6
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	6
3.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	5
4.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	5
5.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	2
6.	भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	2
7.	बंबई विश्वविद्यालय, बंबई	8
8.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	9
9.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	26
10.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	6
11.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	2
12.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	15
13.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	2
14.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	2
15.	काशी विद्यापीठ, वाराणसी	2

1	2	3
16.	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	5
17.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	3
18.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	13
19.	एम० एस० विश्वविद्यालय, वड़ौदा	4
20.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	3
21.	मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ	2
22.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	4
23.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	9
24.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	9
25.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	5
26.	पूना विश्वविद्यालय, पूना	5
27.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	15
28.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	2
29.	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	5
30.	सागर विश्वविद्यालय, सागर	6
31.	श्री वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	2
32.	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर	2
33.	अन्य विश्वविद्यालय	19
34.	भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान, नई दिल्ली	1
35.	भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान, कानपुर	1
36.	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इण्डिया, हैदरावाद	4
37.	ए० एन० एस० सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना	6
38.	क्षेत्रीय विकास केन्द्र, सूरत	5
39.	विकासशील राष्ट्र अध्ययन केन्द्र, दिल्ली	5
40.	डेक्कन कालेज, स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पूना	3
41.	गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी	8
42.	राजनीति और अर्थशास्त्र गोखले संस्थान, पूना	2
43.	इन्दौर क्रिश्चियन कालेज, इन्दौर	2
44.	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	5

1	2	3
45.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	3
46.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	3
47.	भारतीय सामाजिक विज्ञान विद्यालय, त्रिवेन्द्रम	2
48.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता	2
49.	वित्तीय प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, मद्रास	2
50.	सामाजिक विज्ञान संस्थान, आगरा	2
51.	मद्रास विकास अध्ययन केन्द्र, मद्रास	4
52.	म० भू० कालेज, उदयपुर	2
53.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन और शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	2
54.	सरदार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	4
55.	श्रीराम औद्योगिक संबंध और मानव साधन केन्द्र, नई दिल्ली	3
56.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई	6
57.	विद्याभवन ग्रामीण संस्थान, जयपुर	2
58.	अन्य संस्थाएं	49

तालिका 3

परियोजनाओं का विषयवार वितरण

क्रम संख्या	विषय	परियोजनाओं की संख्या
1.	अर्थशास्त्र, वाणिज्य और जनसांख्यिकी	94
2.	राजनीतिशास्त्र और शासन	99
3.	समाजशास्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक मानवविज्ञान	102
4.	मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान	21
5.	प्रशासन और प्रबंध व्यवस्था	14
6.	मानव, आर्थिक और राजनीतिक भूगोल	5
7.	अन्य विषय	4

(ख) **अनुसंधान कार्यक्रम**

3.06. परिषद ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ अनुसंधान कार्यक्रम विकसित करने का निर्णय किया है। एक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण तथा संगत केंद्रीय विषय पर अध्ययनों की एक शृंखला शुरू की जाएगी जिसकी अवधि तीन से पाँच वर्ष तक होगी। कुछ विशेष संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय विभागों के जरिए इन कार्यक्रमों को विकसित करने का विचार है। आशा है कि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए अनुसंधान सामाजिक विज्ञान संबंधी अनुसंधान को नीति प्रतिपादन प्रक्रिया से संबद्ध करने और देश की गंभीर समस्याओं का निदान ढूंढने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और अनुसंधान की सुदृढ़ परंपरा का निर्माण करने में भी ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। ये कार्यक्रम शाखागत तथा अन्तर्शाखागत दोनों होंगे।

3.07 विश्वविद्यालय के विभागों तथा अनुसंधान संस्थाओं के सामाजिक वैज्ञानिकों से अनुरोध किया गया कि वे (क) राष्ट्रीय महत्व और उपयोग के ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की सूचना दें जिन पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुसंधान कार्य किया जा सके और (ख) ऐसे सामाजिक वैज्ञानिकों और संस्थाओं की सूचना दें जो उनकी राय में इन विषयों पर अनुसंधान-कार्य हाथ में लेने में समर्थ हों। जहाँ आवश्यक है वहां परिषद स्वयं सामाजिक वैज्ञानिकों से संपर्क स्थापित कर उनसे अनुरोध कर रही है कि वे राष्ट्रीय महत्व का कोई कार्यक्रम प्रवर्तित करें।

3.08. आशा है कि परिषद 1973-74 में कम से कम कुछ अनुसंधान कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करने में सफल होगी।

IV

शिक्षावृत्तियाँ

4·01. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुदान परिषद अनुदान योजना, 1972, के अधीन परिषद ने निम्नलिखित प्रकार की शिक्षा-वृत्तियाँ शुरू कीं :

(1) राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियाँ,
(2) वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ,
(3) डाक्टरोत्तर शिक्षावृत्तियाँ और
(4) डाक्टोरल शिक्षावृत्तियाँ

इनके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत डाक्टरेट की उपाधि के लिए कार्य कर रहे छात्रों को (जिन्हें शिक्षावृत्ति नहीं मिलती) फुट-कर अनुदान देने की भी व्यवस्था है, जिसकी राशि देश में स्थित विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 3,000 रुपए और विदेश में स्थित विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 5,000 रुपए है।

4·02. परिषद ये शिक्षावृत्तियाँ निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान करता है :

(1) भारत में अनुसंधान कर रहे भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक।
(2) एशियाई देशों में कार्य कर रहे भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक।
(3) एशिया से बाहर कार्य कर रहे भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक और
(4) भारत में कार्य कर रहे विदेशी सामाजिक वैज्ञानिक।

4·03. रिपोर्टाधीन वर्ष में जो विभिन्न प्रकार की शिक्षावृत्तियाँ और फुटकर अनुदान स्वीकृत किए गए उनका विवरण आगे दिया जा रहा है।

(1) भारत में अनुसंधान कर रहे भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक

(क) राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियाँ

4·04. डा० अशोक मित्रा को "व्यापार की शर्तें, क्लास-एलाइन-मेन्ट और आर्थिक विकास के बीच संबंध" पर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने 16 जुलाई 1972 से कार्य शुरू कर दिया है और वे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, कलकत्ता से संबद्ध हैं।

4·05. इससे पूर्व स्वीकृत दो राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियों को शामिल कर वर्ष के अंत में राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या तीन थी।

(ख) वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ

4·06. निम्नलिखित विद्वानों को छह वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की गई :

(1) श्री ए० बागची ने, जिन्हें "सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में भारत में आयपरक कर व्यवस्था" विषय पर कार्य करने के लिए 1971-72 में शिक्षावृत्ति प्रदान की गई थी, उन्होंने 1 फरवरी 1973 से कार्य प्रारम्भ किया और वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में कार्य कर रहे हैं।

(2) डा० (कुमारी) सरोजनी विसारिया को, जो "जम्मू और कश्मीर के गुज्जर" विषय पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में कार्य कर रही हैं यह शिक्षावृत्ति दी गई, जो 1 मार्च 1972 से शुरू हुई थीं, दो वर्ष के लिए है।

(3) प्रो० जी० एस० शर्मा, जो "भारत में विधिशास्त्र" विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्य करेंगे। उन्होंने अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया है।

(4) प्रो० अशोक रुद्र, जो "कृषि में रोजगार और बेरोजगारी" विषय पर कार्य करेंगे। उन्होंने अभी कार्य आरम्भ नहीं किया है।

(5) श्रीमती आर० के० मेनन, जो "उत्पादन की एशियाई प्रणाली" विषय पर कार्य करेंगी। उन्होंने अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया है।

(6) डा० ए० आर० देसाई, जो "भारतीय समाज का बहुमुखी विकास" विषय पर बंबई विश्वविद्यालय में कार्य करेंगे।

उन्होंने अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया है ।

4·07. पिछले वर्ष प्रदान की गई 10 शिक्षावृत्तियों को शामिल कर इस वर्ष के अंत तक इस वर्ग के अन्तर्गत शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या 16 होती है । इनमें से एक छात्र ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । दूसरे छात्र ने विश्वविद्यालय में नियुक्त हो जाने के कारण शिक्षावृत्ति से इस्तीफा दे दिया है, परन्तु जिस परियोजना के लिए उन्हें शिक्षावृत्ति दी गई थी उस पर उन्होंने काम जारी रखा है, अन्य शिक्षावृत्तियाँ इस समय चालू हैं ।

(ग) डाक्टरोत्तर शिक्षावृत्तियाँ

4·08. निम्नलिखित अनुसंधानकर्ताओं को डाक्टोत्तर शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की गई :

(1) डा० (श्रीमती) प्रमिला कपूर ने, जिन्हें 1971-72 में डाक्टरोत्तर शिक्षावृत्ति प्रदान की गई थी, 1972-73 से कार्य आरंभ कर दिया है । वे "सैनिक कर्मचारियों के व्यावसायिक पैटर्न का उनके पारिवारिक जीवन और संबंधों पर प्रभाव" विषय पर कार्य कर रही हैं । वे सीधे परिषद से अपनी शिक्षावृत्ति प्राप्त करती हैं ।

(2) डा० (श्रीमती) जरीना भट्टी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में "आर्थिक शक्तियाँ और सामाजिक परिवर्तन : एक मुस्लिम गाँव का अध्ययन" विषय पर कार्य कर रही हैं । यह शिक्षावृत्ति जो 7 जनवरी 1973 से प्रारम्भ होती है, दो वर्ष के लिए है ।

4·09. इन शिक्षावृत्तियों को शामिल करके वर्ष के अंत में डाक्टोत्तर शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या 5 थी, ये सभी इस समय चालू हैं ।

(घ) डाक्टरेट की उपाधि के लिए

4.10 रिपोर्टाधीन वर्ष में डॉक्टरेट की उपाधि के लिए 51 शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की गईं । इन छात्रों के नाम, उनके अनुसंधान के विषय और संबद्ध संस्थाओं का विवरण इस अध्याय के अंत में परिशिष्ट में दिया गया है ।

4·11. पिछले वर्ष डॉक्टरेट की उपाधि के लिए प्रदान की गई 17 शिक्षावृत्तियों को शामिल कर, इस वर्ष के अंत में इस वर्ग की

शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या 68 थी। इनमें से 4 छात्रों ने अपना अनुसंधान कार्य पूरा करने से पहले ही काम छोड़ दिया।

फुटकर अनुदान

4.12 डॉक्टरेट की उपाधि के लिए निम्नलिखित छात्रों को जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, फुटकर अनुदान स्वीकृत किया गया

1. श्री हिरण्मयदास (जादवपुर विश्वविद्यालय)—पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण इलाकों में कृषि तथा रोजगार संभाव्यताओं में तकनीकी परिवर्तन का समन्वय—2,000 रु० (क्षेत्रीय कार्य)

2. श्री पी० वी० एस० तोमर (जीवाजी विश्वविद्यालय)—चंबल घाटी के लंबे अरसे के कैदियों की पारिवारिक समस्या—1,000 रु०

3. श्री सी० एस० बरला (जीवाजी विश्वविद्यालय)—कृषि ऋणों के लाभ और उपयोग-लागत—2,000 रु०

4. श्री शिवशंकर सिंह (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय)—कृषि-ऋणों का पुनर्गठन विशेषत: वाराणसी जिले के चन्दौली ब्लॉक के संदर्भ में—2,800 रु० (क्षेत्रीय कार्य)

5. श्रीमती इन्दिरा राजारमण (दिल्ली विश्वविद्यालय)—पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन के स्तर—3,000 रु०।

6. श्रीमती कलारानी (राँची विश्वविद्यालय)—नौकरीपेशा स्त्रियों में भूमिका-संघर्ष—1125 रु०

7. श्री आर० एस० राजपुर (सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली)—चौथी लोकसभा : निवेश और निर्गत के संदर्भ में इसकी संरचना और प्रक्रिया का आनुभविक अध्ययन—2,000 रु०

8. श्री नूर मोहम्मद (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय)—कानपुर में गंदी बस्तियों की संस्कृति और परिवर्तित व्यवहार—1,000 रु०

9. श्री बी० ए० पंड्या (गोरखपुर विश्वविद्यालय)—ग्रामीण और शहरी युवकों की आकांक्षाओं और मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन—2,000 रु०

10. कु० मंजु गुप्ता (आंध्र विश्वविद्यालय)—जलयान-निर्माण उद्योग में औद्योगिक संबंध—2,000 रु०

11. श्री वाई० रंगाराव (आंध्र विश्वविद्यालय)—भारत में जल-यान-निर्माण उद्योग में लागत—2,000 रु०

12. श्री गोविंद नाथ चौधरी (राँची विश्वविद्यालय)—रांची के औद्योगिक इलाके के आसपास के जनजातीय गाँवों में सामाजिक और साँस्कृतिक प्रभाव—1,000 रु०

13. प्रो० अजमा अहमद (पटना विश्वविद्यालय)—कॉलेज छात्रों के मूल्यों का अध्ययन—830 रु०

14. श्री ई० एस० वी० घोष (इलाहाबाद विश्वविद्यालय)—भारतीय बालकों में राष्ट्रीय मनोवृत्ति का विकास—1,650 रु०

15. श्री महेशपाल सिंह (मेरठ विश्वविद्यालय)—हिमालय की यमुना घाटियों में आबादी और बस्ती की वितरण प्रणाली—1,500 रु० (क्षेत्रीय कार्य)

16. श्री हरीचन्द शर्मा (आगरा विश्वविद्यालय)—ग्रामीण नेतृत्व में व्यक्तित्व का तत्व और अन्य मनोवैज्ञानिक विविधता—1,800 रु०

17. श्री सी० एस० जॉस (कोचीन विश्वविद्यालय)—प्रमुख भारतीय मसालों की समस्याओं और संभाव्यताओं का अध्ययन—3,000 रु० (क्षेत्रीय कार्य)

18. श्री परेश चन्द्र रॉय चौधरी (कलकत्ता विश्वविद्यालय)—बंगरगाह और गोदी मजदूरों में शराब का प्रचलन और परिवार-विघटन—3,000 रु० (क्षेत्रीय कार्य)

19. श्री आर० के० बाजपेयी (मेरठ विश्वविद्यालय)—समयपूर्ण सामाजिक वंचन का रीसस वानर के सामाजिक और भावात्मक व्यवहार पर प्रभाव—3,000 रु०

20. श्री गोपाल मेहदी (गोहाटी विश्वविद्यालय)—'जिरकंदाम में शिक्षा'—3,000 रु०

21. श्री० जे० एन० मुकर्जी—बिहार की औद्योगिक संरचना—500 रु०

22. श्री सी० जे० पांडे (नागपुर विश्वविद्यालय)—संज्ञानात्मक शैलियों और व्यक्तित्व चरों का मनोमितिक अध्ययन—1,700 रु०

23. श्रीमती अरुणा एन मिची (मिचिगन स्टेट विश्वविद्यालय, मिचिगन, अमरीका)—ग्रामीण भारत में आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक मनोवृत्ति—2,000 रु०

24. श्री मुमताज अली खाँ (भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान, कानपुर)—अनुसूचित जातियाँ और उनकी स्थिति—340 रु०

(2) एशिया में कार्यरत भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक

क. वरिष्ठ शिक्षावृत्ति

4.13 निम्नलिखित दो विद्वानों को वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की गईं :—

(1) प्रोफेसर बोधायन चट्टोपाध्याय, "दक्षिण और पूर्व एशिया में संरचनात्मक द्वित्व (डुएलिज्म) के अंतर्गत आर्थिक विकास : 1950-1970" विषय पर जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय में 1 मार्च 1973 से दो वर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं।

(2) डा० (श्रीमती) कल्याणी बन्धोपाध्याय, "लोकगणतंत्र चीन और भारत का कृषि विकास : एक तुलनात्मक अध्ययन" विषय पर जादवपुर विश्वविद्यालय में काम कर रही हैं। यह शिक्षावृत्ति दो वर्ष की अवधि की है और यह अवधि उस तारीख से प्रारंभ होगी, जब से वे इस पर कार्य शुरू करेंगी।

4.14. पिछले वर्ष की चार शिक्षावृत्तियों को शामिल करके, रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत में इस वर्ग की शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या 6 थी। इनमें से एक शिक्षावृत्ति 15 जुलाई 1972 को पूरी हो गई थी लेकिन छात्र से अंतिम रिपोर्ट मिलनी बाकी है।

4.15. परिषद ने इस वर्ष निम्नलिखित भारतीय सामाजिक विज्ञानियों को अपनी परियोजनाओं के लिए सामग्री एकत्र करने के निमित्त विभिन्न देशों के दौरे के लिए सहायक अनुदान दिए।

(1) हस्तिनापुर कालेज, दिल्ली के डा० वेद प्रताप वैदिक को अपनी परियोजना "अफगानिस्तान की विदेश नीति के नए उपकरण" के लिए अफगानिस्तान के क्षेत्रीय दौरे के लिए (3,825 रु०)

(2) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के डा० मोहम्मद अयूब को अपनी परियोजना "अफगानिस्तान और पख्तूनिस्तान की समस्याएँ : आंतरिक मजबूरियां और सामरिक महत्व" के लिए अफगानिस्तान के क्षेत्रीय दौरे के लिए (3,825 रु०)

(3) अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय, दिल्ली के डा० अनिरुद्ध गुप्ता को अपनी परि-

योजना 'जाम्बिया में राजनीति 1964-72" के सिलसिले में जाम्बिया के क्षेत्रीय दौरे के लिए (18,300 रु०) ।

(4) डा० (कुमारी) एस० के० वर्गीज को "भारत इण्डोनेशिया व्यापार और आर्थिक सहयोग की समृद्धि" के सिलसिले में इण्डोनेशिया और सिंगापुर के क्षेत्रीय दौरे के लिए (10,811 रु०) दिए गए ।

ख. डाक्टरी शिक्षावृत्तियाँ

4·16. इस वर्ष निम्नलिखित तीन छात्रों को डॉक्टरी शिक्षा-वृत्तियों की स्वीकृति प्रदान की गई :

(1) मनमोहन मट्टू को दक्षिण-पूर्व एशिया के संदर्भ में फिलिपीन्स की विदेश नीति, 1961-69, पर कार्य करने के लिए एक शिक्षावृत्ति प्रदान की जो 1 जून 1972 से प्रारंभ हुई । यह एक वर्ष की अवधि के लिए है ।

(2) दिलीप चंद्र को "इंडोनेशियाई राजनीति में इस्लामी राजनीतिक दल" पर कार्य करने के लिए शिक्षावृत्ति दी गई जो 14 अक्टूबर 1972 से प्रारंभ हुई, एक साल की अवधि के लिए है ।

(3) कलीम बहादुर को "पाकिस्तान का जमाइत-इस्लामी : राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक कार्रवाई" पर कार्य करने के लिए शिक्षावृत्ति दी गई जो 1 दिसम्बर 1972 से प्रारंभ हुई । यह एक वर्ष की अवधि के लिए है ।

4·17. पिछले वर्ष की एक शिक्षावृत्ति को शामिल कर, इस वर्ष के अंत तक इस वर्ग की शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या 4 थी । इनमें से एक शिक्षावृत्ति, जिसको 27 नवंबर 1972 को समाप्त हो जाना था, एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है ।

फुटकर अनुदान

4·18. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मोहम्मद इक़बाल को अपनी डाक्टरी परियोजना "ईरान का औद्योगिक विकास—उपलब्धियों और असफलताओं का मूल्यांकन" के सिलसिले में ईरान का क्षेत्रीय दौरा करने के लिए 5,000 रु० का फुटकर अनुदान प्रदान किया गया ।

(3) गैर-ऐशियाई देशों पर कार्यरत भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक

क. वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ

4·19. निम्नलिखित दो विद्वानों को वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की गई :

(1) डा० आर० वैद्यनाथ जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में "रूस में संघ-गणतंत्र संबंध 1917-67" पर कार्य कर रहे हैं। यह शिक्षावृत्ति, जो 21 अगस्त 1972 से प्रारंभ होती है, तीन वर्ष की अवधि के लिए है।

(2) डा० अमल एस० रे, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में "नए राज्यों में संघवाद : भारत, मलयेशिया और नाइजीरिया" पर कार्य कर रहे हैं। यह शिक्षावृत्ति, जो 1 नवम्बर 1972 से प्रारंभ होती है, दो वर्ष की अवधि के लिए है।

4·20. पिछले वर्ष प्रदान की गई एक शिक्षावृत्ति को शामिल कर इस वर्ष की शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या तीन होती है। विश्वविद्यालय में नियुक्ति हो जाने के कारण इनमें से एक छात्र ने शिक्षावृत्ति से इस्तीफा दे दिया लेकिन जिस परियोजना के लिए उन्हें शिक्षावृत्ति दी गई थी उस पर उनका कार्य जारी है।

ख. डाक्टरी शिक्षावृत्तियाँ

4·21. निम्नलिखित चार विद्वानों को डॉक्टरी शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की गई :

(1) श्री अशोक मोदक को "रूस द्वारा भारत को विदेशी सहायता, 1947-67" पर कार्य करने के लिए शिक्षावृत्ति दी गई, जो 1 मार्च 1972 से प्रारंभ हुई थी। यह एक वर्ष के लिए थी, लेकिन उन्होंने अब इस कार्य से इस्तीफा दे दिया है।

(2) श्री अमूल्य प्रसाद शर्मा को "इजराइल और तृतीय विश्व : इजराइल की विदेश नीति का अध्ययन" पर कार्य करने के लिए शिक्षावृत्ति प्रदान की गई, जो 19 जून 1972 से प्रारंभ होती है और दो वर्ष की अवधि के लिए है।

(3) श्रीमती हीरा भोजानी को "लाओस के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति, 1954-68" पर कार्य करने के लिए शिक्षावृत्ति दी गई है जो 7 जून 1972 से प्रारंभ होती है और दो वर्ष की अवधि के लिए है।

(4) श्री प्रेम मोहन शर्मा को "संयुक्त राष्ट्र में शांति-स्थापना के कार्यों में महासभा की भूमिका 1950-60" यह शिक्षा-वृत्ति, जो 12 जनवरी 1973 से प्रारंभ होती है, नौ महीने की अवधि के लिए है।

4·22. पिछले वर्ष प्रदान की गई दो शिक्षावृत्तियों को शामिल कर इस वर्ष के अंत तक इस वर्ग की शिक्षावृत्तियों की संख्या 6 थी। ये सभी शिक्षावृत्तियाँ इस समय चालू हैं।

4·23. भारतीय सामाजिक विज्ञानियों के संदर्भ में 31 मार्च 1973 तक शिक्षावृत्ति-कार्यक्रम की प्रगति नीचे की तालिका में दिखाई जा रही है :

क्रम संख्या	शिक्षावृत्ति का वर्ग	प्रदान की गई शिक्षावृत्तियाँ			
		1970-71	71-72	72-73	कुल
1.	राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियाँ	—	2	1	3
2.	वरिष्ठ शिक्षावृत्तियाँ	—	14	10	24
3.	डॉक्टरोत्तर शिक्षावृत्तियाँ	—	3	2	5
4.	डॉक्टरी शिक्षावृत्तियाँ	—	17	58	75

(4) भारत में कार्यरत विदेशी सामाजिक वैज्ञानिक

4·24. विशेष रूप से एशियाई और अफ्रीकी देशों के विदेशी सामाजिक वैज्ञानिकों को भारत में अनुसंधान करने के लिए अनुदान प्रदान करना परिषद की एक नीति है। 31 मार्च 1973 तक निम्न-लिखित चार शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की गईं :

(1) डा० नजमल अबेदिन (बॉगाल देश) ने "संसदीय संस्थाओं में नई प्रवृत्तियाँ" विषय पर सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्था, नई दिल्ली में 11 नवंबर 1972 से तीन महीने तक कार्य किया।

(2) कृष्णलाल कुंजन (मारीशस) ने "मारीशस जैसे बहुजातीय समाज में एकदलीय प्रणाली की प्रभावशालिता या प्रभाव-

हीनता" विषय पर सांविधानिक और संसदीय संस्थान, नई दिल्ली में तीन महीने तक कार्य किया।

(3) डा० अब्दुल रहमान मदानी हसन (सूडान) ने "तमिलनाडु में कपास की खेती" विषय पर मद्रास विकास अध्ययन संस्थान में तीन महीने तक कार्य किया।

(4) इरानी नागरिक श्री महमूद साल्वी को एक डॉक्टरी शिक्षावृत्ति प्रदान की गई। वे "डेवेलपमेंट ऑफ सुपर-वाइजरी प्रैक्टिसेज टेस्ट" विषय पर इलाहाबाद विश्व-विद्यालय में कार्य कर रहे हैं।

परिशिष्ट

1972-73 में प्रदान की गई डाक्टरी शिक्षावृत्तियाँ

1. सुब्रमण्यन्शर्मादेवी रामलिंगम—कृषि विकास-पैटर्न का अध्ययन और तमिलनाडु के आर्थिक विकास के साथ इसका संबंध—तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर

2. विष्णुकांत पुरोहित—राजस्थान के कुछ विशिष्ट उद्योगों में मजदूरी आंदोलन और श्रमिक-उत्पादिता—राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

3. मदन मोहन बत्रा—कृषि मूल्य परिवर्तन और उत्पादन पर उसका प्रभाव—दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

4. ई० शेषाद्रि शास्त्री—भारत की कुछ मार्ग परिवहन संस्थाओं के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन—उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

5. अरुणा राय—मुद्रीकरण और कृषि विकास—जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

6. महादेवी रमन—तमिल पूंजीपति वर्ग और जमींदारी, विदेशी पूंजी और गैर-तमिल पूंजीपति के बीच विकासमान संबंधों का अध्ययन, 1870-1929—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

7. राधाकृष्ण पिल्लै—पूंजी निर्माण और कृषि—जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

8. कलानिधि सुभाराव—भारतीय कृषि में बाजार-संरचना—दिल्ली विश्वविद्याय दिल्ली

9. जीवन के० मुकर्जी—शहरी पश्चिमी बंगाल के लिए गृह-निर्माण नीति के कुछ पहलू—कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

10. के० विजयवाणी—उत्पादन कार्य और प्रतिस्थापन की नम्यता—आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर

11. हरविन्दर वर्क—हिमाचल प्रदेश के कृषि विकास की योजना और प्रशासन—पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

12. चंदनलाल जोशी—सामन्तशाही का राजनीति—1948 के बाद स्वातन्त्र्योत्तर राजस्थान की सामंतवादी शक्तियों की संरचना और भूमिका का अध्ययन—उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर

13. हीरा सिंह—भारतीय राजनीति में सामन्तवाद का ह्रास और नई शक्तियों का उदय—दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

14. सुखदेव नंदा—उड़ीसा की संयुक्त राजनीति—बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर

15. कृष्णा रानी झा—राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी खंड का राजनीतिक और सैद्धांतिक विकास—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

16. नलिनी चोपड़ा—भारत में विकल्प के रूप में साम्यवादी आंदोलन की स्थिति—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

17. पांडव नायक—उड़ीसा के गांव का राजनीतिक चित्रण—एक सूक्ष्म अध्ययन—बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर

18. रक्षा कौल—हिंद महासागर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में अणु (न्यूक्लियर) मुक्त क्षेत्र—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

19. निलंजन कविराज—तटस्थता : एक नीति का विकास—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

20. नीला जोशी—स्वास्थ्य और रोग में सांस्कृतिक तत्व : एक भारतीय शहर में चिकित्सा का समाज शास्त्रीय अध्ययन—सागर विश्वविद्यालय, सागर

21. कलथिल मारथ्यू—टेक्नोलॉजी और अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में दिल्ली और उसके आसपास के औद्योगिक एककों के कर्मचारियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण—दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

22. एम० डी० चन्द्रिका—नायर विवाह और परिवार—सागर विश्वविद्यालय, सागर

23. सुरजानसिंह शर्मा—सातत्य, असातत्य और प्रतिस्थापन और कार्य : एक ग्रामीण इलाके के उच्च पदासीन व्यक्ति—मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ

24. सुधा गोगटे—बंबई में क्षेत्रीयता : एक क्षेत्रीय आंदोलन का प्रारंभ—पूना विश्वविद्यालय, पूना

25. मंजु मोगरा—राजस्थान की औद्योगिक संस्थाओं में एक जन-जातीय इलाके की श्रमिक स्त्रियों का अध्ययन—उदयपुर विश्व-विद्यालय, उदयपुर

26. राजेन्द्र सरकार—जनजातीय समाज में भूमि सुधार और भूमि-अपहरण—लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

27. शिवानी रॉय—मुस्लिम स्त्रियों का स्थान और निर्णय-अधिकार—दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

28. सुशीला साँवल—एक कुमाऊँ गाँव का समाजशास्त्रीय अध्ययन : इसका ग्रामीण जीवन और इसके मूल्य—दिल्ली विश्व-विद्यालय, दिल्ली

29. वेदप्रकाश—दक्षिण बिहार के मैदान में केन्द्रीय स्थान और स्थानिक पारस्परिक क्रिया—गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

30. कल्पना घोषाल—मुर्शिदाबाद के कुटीर तथा लघु उद्योग धंधों का भौगोलिक वितरण और उनकी संभावनाएँ—कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

31. थक्केथलकल कुर्लन मेथ्यू—मेघालय का जनसंख्या-भूगोल—गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी

32. सैयद शहीद जाफ़री—कुमाऊँ गढ़वाल क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास अध्ययन का सेवा केन्द्र—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

33. माया बैनर्जी—विहार के सिंहभूम जिले का जनसांख्यिकी अध्ययन—कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

34. प्रतिमा भाटिया—नौकरी पेशा स्त्रियों में भूमिका-संघर्ष —लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

35. अब्दुल अज़ीज़—मेवात : इसकी क्षेत्रीय संरचना का विश्लेशषण—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

36. जोगेन्द्र कुमार सिन्हा—आक्रमण की कार्यवाही का विकास और इसके कुछ सह संबंधों का अध्ययन—इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, इलाहाबाद

37. नमिता मुकर्जी—तीन धार्मिक समुदायों में बच्चों के

पालन-पोषण के बदलते पैटर्न और बच्चों के व्यवहार-समायोजन में इसका प्रभाव--दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

38. अशुम मित्तल--अवचेतन बोध में संरचनात्मक तत्व का महत्व : महत्वपूर्ण उद्देश्य--दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

39. मोहनलाल राव--राजस्थान के जनजातीय और गैर-जनजातीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बालकों में वर्गगत मनोवृत्ति निर्माण का अध्ययन--दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

40. राजम्मा श्री कुमारी--कानीखरों में सामाजिक बोली की स्थिति--रूपांतरण व्याकरण से एत्रकित--केरल विश्वविद्यालय, केरल

41. प्रश्राराम महीपति फूलमाली--महाराष्ट्र की चर्मकार जाति : सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन--पूना विश्वविद्यालय, पूना

42. पार्वती वर्दियार--रोर्सचाच इन्क ब्लॉट टेस्ट के आधार पर आदिवासी मुंडाओं की प्रतिक्रियाओं के संबंध में मानदंडों का निर्धारण--राँची विश्वविद्यालय, राँची

43. पार्वती वर्दियार--टेक्नोलॉजी के परिवर्तन में नेतृत्व की भूमिका : पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र का समाज शास्त्रीय केस-अध्ययन--कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी

44. एम० आर० मरक--मेघालय के राजनीतिक उच्चवर्ग--दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

45. एंगुला वेजकाटा रत्नैया--तेलंगाना में जन-जातीय शिक्षा संरचनात्मक व्यवरोध--आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर

46. गोविंदी जोशी--चीन में दलगत सिद्धांत और युवा वर्ग, 1962-70 (तुलनात्मक और परिप्रेक्ष्यगत इतिहास)--बंबई विश्व-विद्यालय, बंबई

47. राधिका राम सुब्बम--अर्धविकसित समाज में वैज्ञानिक--बंबई विश्वविद्यालय, बंबई

48. आर० प्रकाशन--औद्योगिक उत्पादन में मानवीय तत्व--सागर विश्वविद्यालय, सागर

49. दयाराम सिंह--चंबल घाटी में डाकुओं के दलों से पीड़ित व्यक्ति--सागर विश्वविद्यालय, सागर

50. वी० सी० कौशिक--भारतीय संसद द्वारा कानून निर्माण :

संविधान के 14वें संशोधन की राजनीतिक—एक केस अध्ययन—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

51. एन० राममूर्ति—भारत में कृषि के विकास में जल उपयोग और एकाधिक फसल का आर्थिक पक्ष (आंध्र प्रदेश के निज़ाम सागर के संदर्भ में)—आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली

V

प्रकाशन अनुदान

5·01. परिषद (क) डाक्टरेट उपाधि के लिए लिखे शोध-प्रबंधों, (ख) परियोजनाओं की शोध-रिपोर्टों (चाहे वे परिषद के अनुदान से लिखी गई हों या अन्यथा लिखी गई हों), और (ग) ग्रंथ-संदर्भिका तथा प्रलेखन कार्यों के प्रकाशन के लिए, प्रकाशन-अनुदान देती है।

क. डाक्टरेट उपाधि के लिए शोध-प्रबंध

5·02. सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में डाक्टरेट उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबंधों के प्रकाशन के लिए प्रकाशन-खर्च का 75 प्र०श० या 3,000 रु०, जो भी कम हो, दिया जाता है (मुख्यत: वर्णनात्मक शोध-प्रबंधों के लिए यह राशि कम करके 1,500 रु० कर दी गई है)। 31 मार्च 1973 को इस योजना की प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

(क) प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	580
(ख) स्वीकृत आवेदन पत्रों और स्वीकृत सहायक अनुदान की संख्या	195
(ग) विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	88
(घ) अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	182
(ङ) ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर विचार किया गया और जिनमें विस्तृत संशोधन आवश्यक है।	115

5·03. परिषद द्वारा जिन शोध प्रबंधों को सहायता दी गई है उनमें से अब तक 60 प्रकाशित हो चुके हैं।

5·04. 1972-73 में निम्नलिखित पी-एच० डी० शोध प्रबंधों के लिए प्रकाशन अनुदान स्वीकृत किए गए

1. डा० (श्रीमती) वी० मोहन, प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़—विभिन्न आयु स्तरों की बुद्धि और शैक्षिक योग्यता का तंत्रिका रोग और वहिर्वृत्ति से संबंध

2. डा० बी० एल० टक, प्राध्यापक, सामाज-शास्त्र एम० एम० एच० कालेज, गाज़ियाबाद—ग्रामराज के समाज वैज्ञानिक आयाम

3. डा० आर० के० अरोड़ा, प्राध्यापक, लोक प्रशासन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर—तुलनात्मक लोक प्रशासन—एक पारि-स्थितिक परिप्रेक्ष्य

4. डा० एम० डी० साठे, 584, नारायण, पूना—जनजातीय समु-दाय का क्षेत्रीय नियोजन

5. डा० एम०एफ अब्राहम, गांधी ग्राम, जिला मदुरै (तमिलनाडु) —ग्रामीण भारत में नेतृत्व का गतिविज्ञान

6. डा० आर० के० वर्मा, प्राध्यपक, राजनीतिशास्त्र विभाग, मूल विज्ञान और मानविकी स्कूल, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदय पुर—दक्षिण-पूर्व एशिया में आस्ट्रेलियाई-हितों और राजनीति का अध्ययन (1945-54)

7. डा० बी० सी० अग्रवाल, ग्रामीण समाजशास्त्र अध्यक्षा, ग्रामीण समाजशास्त्र अनुभाग, कृषि विस्तार विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली—मध्य प्रदेश के धार जिले में धार्मिक-आर्थिक तंत्र

8. डा० (कुमारी) आर० के० बर्मन, उपनिदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली—मलयेशिया की विदेश नीति (1957-1960)

9. डा० एस० एल० वर्मन, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र, एस० डी० गवर्नमेंट कालेज, ब्यावर (राजस्थान)—राजस्थान का राज-स्व बोर्ड

10. डा० डी० एस० जलाल, प्रवक्ता, भेइगोल काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर, वाराणसी—पिथौरागढ़ जिले में भूमि-उपयोग

11. डा० आर० एस० चवाण, अलाई प्लाट्स, अकोला—एशिया में राष्ट्रीयता

12. डा० एस० भट्ट, एच-44, ग्रीनपार्क एक्सटेन्शन, नई दिल्ली—वाह्य अंतरिक्ष कानून का कानूनी नियंत्रण, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी

13. डा० एम० वी० सुब्बाराव, प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, एस० वी० विश्वविद्यालय, तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुरक्षा परिषद में विवादों के शांति-पूर्ण समझौते के संदर्भ में वीटो का प्रयोग

14. डा० जॉन सी० प्रभु, प्रोफेसर और डीन, जेवियर संस्थान जमशेदपुर—भारत में उर्वरता का सामाजिक और सांस्कृति निर्धारण: शोध-उपलब्धियों का वर्गीकरण

15. डा० टी० टी० पाउतोस, प्रोफेसर, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली—अन्तर्राष्ट्रीय कानून में उत्तराधिकार भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और वर्मा का अध्ययन

16. श्री एम० एच० चोपड़ा, सहायक प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली—पश्चिमी यूरोप के प्रति डिगॉल की नीति के कुछ पहलू, 1958-63

17. डा० डी० एन० असोपा, प्राध्यापक, इतिहास, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर—संघीय जर्मन गणतंत्र में संसदीय प्रणाली : दलीय राजनीति और संसदीय प्रक्रिया का एक अध्ययन

18. डा० अवतार सिंह, सह-प्रोफेसर, समाजशास्त्र, पोस्ट आफिस बाक्स 2783, ई० डी० यू०, ग्रीनविले, 27834, उत्तर कैरोलिना—नेतृत्व पैटर्न और ग्राम-संरचना : छह भारतीय गाँवों का अध्ययन

19. डा० (कुमारी) चंपा अफाले, अनुसंधान अधिकारी, पी० ई० ओ० (योजना आयोग), नई दिल्ली—घर और स्कूल में बच्चा (पूना के एक महाराष्ट्रीय हिंदू परिवार में बच्चों के पालन-पोषण का अध्ययन

20. डा० आर० रामचंद्रन, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, केरल विश्वविद्यालय, केरल—ग्रामीण भारत में नवीनता का स्थानिक विसरण : कोयंबटूर के पठारों में सिंचाई-पंपों के प्रसार के केस-अध्ययन

21. डा० आर० डी० दीक्षित, प्राध्यापक, भूगोल, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर—संघवाद का राजनैतिक भूगोल-मूल-स्थायित्व का अध्ययन

22. डा० राम वली सिंह, प्राध्यापक, भूगोल, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर—वाराणसी में राजपूत जाति की वस्ती

23. डा० वी० एस० मिश्रा, कार्यकारी अधिकारी, पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, पटना—विकासात्मक अर्थव्यवस्था में नगरपालिका कर रोपण

24. डा० आर० सी० सिंह, प्राध्यापक, श्रम और समाज-कल्याण विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना—डाक और तार विभाग में मजदूर संघ आंदोलन और सामूहिक सौदेदारी

25. डा० (श्रीमती) कमल भटारा, जबलपुर समूह की संसंजकता का लक्ष्य—निर्धारण व्यवहार पर प्रभाव

26. डा० डी० एम० पेस्तोनजी, प्राध्यापक, मनोविज्ञान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली—संबद्ध संस्थागत संरचना में कर्मचारियों के मनोबल और कार्य-संतोष का अध्ययन

27. डा० के० डी० गंग्रादे, दिल्ली सामाजिक कार्य स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली—दिल्ली के तीन गाँवों में नेतृत्व तथा सामाजिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन

28. डा० एस० डी० मुनी, वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी, दक्षिण एशियाई अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर—नेपाल की विदेश नीति (1951-66)

29. डा० एस० एल० श्रीवास्तव, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर—राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन

30. डा० एस० ए० कयूम, राजनीतिशास्त्र विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़—ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिश्र के संबंध

31. डा० (श्रीमती) पूर्णिमा वर्मा, राँची—छोटा नागपुर के हजारीबाग जिले के एक गाँव-अमरी का सामाजिक संगठन

32. डा० एन० पी० चौबे, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद—गाँव में मेले का महत्त्व, जोखिम, जोखिम का परिहार और भय

33. डा० पी० डी० साइका, उत्तर भारत कृषि-आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र, जोरहाट—आसाम के बेलगारिया डैफल गांव की सामाजिक आर्थिक संरचना

34. डा० एम० एम० दाइ, अर्थशास्त्र विभाग, एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा—भारत में फैक्टरी श्रमिक का आय-साझा

35. डा० मनोरंजन झा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी —संयुक्त राज्य अमरीका और भारत (1930-35)

36. डा० एस० एल० शेट्टी, अनुसंधान अधिकारी, अर्थशास्त्र विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बंबई—भारत में खेती और गैर-खेती सेक्टरों पर भार (अन्तर्सेक्टर और अंतर्वर्ग विश्लेषण)

37. डा० एस० के० कुठियाला, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली—भारत में औद्योगिक श्रमिक

38. डा० के० पी० सक्सेना, वरिष्ठ प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, डी० ए० वी० कालेज, देहरादून—अर्थशास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र के संबंध में संस्थागत अर्थशास्त्रियों के विचार

39. डा० के० एम० त्यागराजन, सचिव, एशिया प्रबंध प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोयंबटूर—व्यक्तिगत मूल्यों और प्रबंधक व्यवहार के संबंध का अन्तर्सांस्कृतिक अध्ययन

40. डा० एम० जी० के० पावस्कर, अर्थशास्त्री, टाटा अर्थशास्त्र सलाहकार सेवा क्विट हाउस, मंगलौर स्ट्रीट, बंबई—बाड़-रोपण का आर्थिक अध्ययन

41. डा० सुभाष चंद्र, रीडर, केन्द्रीय लोक-सहयोग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली—शहरी सामाजिक सहयोग : कानपुर महानगर के त्रिविमीय क्षेत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण

42. डा० जैनेन्द्र कुमार दोषी, आकाशवाणी, जयपुर—एक भील गाँव की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक अवरोध

43. डा० वी० पी० वैदिक, प्राध्यापक, हस्तिनापुर कालेज, मोतीबाग, नई दिल्ली—अफगानिस्तान के साथ संयुक्त राज्य अमरीका और रूस के संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन

44. डा० आर० पांडे, समाजशास्त्र विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर—ग्रामीण और शहरी युवकों की आकांक्षाओं और मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन

45. डा० सी० के० एम० जरीवाला, भारतीय कानून संस्थान, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली—भारत में अन्तर्राजकीय व्यापार की स्वतंत्रता

46. डा० दुर्गानन्द झा, अर्थशास्त्र विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर—बिहार के संदर्भ में योजना और कृषि विकास

47. डा० (कुमारी) अमिता दत्त, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, प्रेसीडेन्सी कालेज, कलकत्ता—स्थानांतरण व्यापार और वास्तविक आय

48. डा० जी० के० प्रसाद, फ्लैट संख्या 49, राजेन्द्रनगर, पटना—भारत में नौकरशाही : एक सामाजिक अध्ययन

49. डा० के० के० दुबे, प्राध्यापक, भूगोल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी—उत्तर प्रदेश के कोवला शहरों में भूमि का उपयोग तथा दुरुपयोग

50. डा० जे० एम० ओझा, व्यावहारिक विज्ञान केन्द्र, 32, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली—उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिए विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का संशोधन

51. डा० हरिमोहन सक्सेना, प्राध्यापक, भूगोल, गवर्नमेंट, ब्वायज कालेज, श्रीगंगानगर, राजस्थान—हादूती पठारों का परिवहन और बाजार केन्द्र : परिवहन बाजार संबंध का अध्ययन

52. डा० एल० रघुनन्द राव, प्राध्यापक, वाणिज्य, गवर्नमेंट सिटी कालेज, हैदरावाद—आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सहयोग का अध्ययन

53. डा० ए० के० राय, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता—जम्मू और कश्मीर में कृषि के विकास में सहकारी ऋण का महत्व

54. डा० एस० पी० विजय सारथी, रीडर, वाणिज्य विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदरावाद—भारत में कंपनियों की असफलता—विशेषत: आंध्र प्रदेश के संदर्भ में

55. डा० मेहफूजुर रहमान, प्राध्यापक, वाणिज्य, वाणिज्य विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़—भारत में ब्याजदर की संरचना

56. डा० किरपाल सिंह सूदन, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ—शहरी समाज में वृद्ध : लखनऊ शहर में वृद्धों का सामाजिक कार्य अध्ययन

57. डा० (श्रीमती) राजकुमार अग्रवाल, कानून विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूना—हिन्दू कानून के अंतर्गत वैवाहिक उपचार

58. डा० यू० के० जादव, अधीक्षक, औरंगाबाद केन्द्रीय जेल, औरंगाबाद—क्या प्राणदंड आवश्यक है ?

59. डा० विष्णु भगवान, गवर्नमेंट कालेज, गुड़गाँवा—रोहतक में नगरपालिका सरकार और राजनीति

60. प्रोफेसर आर० चक्रवर्ती अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान—बीसवीं सदी में हस्तक्षेप और इसके नियंत्रण की समस्या

61. डा० वी० पी० सिन्हा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली—टेलीविजन के जरिए कृषि संबंधी सूचना के प्रसारण में कुछ अभिप्रेरक तत्वों का अध्ययन

62. डा० जे० एल० आजाद, योजना परिषद, योजना भवन, नई दिल्ली—स्वातन्त्र्योतर भारत में उच्च शिक्षा की वित्त व्यवस्था का आलोचनात्माक अध्ययन

63. डा० एस० एस० मूर्ति, सहायक प्रोफेसर, कृषि महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद—किसानों के पूर्वानुमान संबंधी संचार-व्यवहार में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सह संबंध

64. डा० विष्णु प्रसाद, 75, अनुग्रहपुरी, गया, बिहार—प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली

65. डा० सी० पी० श्रीवास्तव, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट डिग्री कालेज, वाराणसी—हिंदी में परिवार संघर्ष का सामाजिक अध्ययन

66. डा० (श्रीमती) नन्दिनी उपरैली, प्राध्यापक, कनोडिया महिला कालेज, जयपुर—भारत की अस्थायी संसद : संसदीय प्रजातंत्र के विकास का केस-अध्ययन

67. डा० (श्रीमती) उर्मिला अग्रवाल, मार्फत श्री राम बाबू लाल जी, दिल्ली चौक, न्यू बिल्डिंग, हाथरस (उत्तर प्रदेश)—सामुदायिक विकास खंड में टैक्नोलॉजी परिवर्तन के सामाजिक परिणाम

68. डा० शेख अबार हुसैन, शिया डिग्री कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ—उत्तर प्रदेश में शिया विवाह प्रणाली

69. डा० एस० के० गुप्ता, मानवविज्ञान और समाजशास्त्र विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर—प्रजातंत्रीय समाज में नागरिक भूमिका निर्वाह के लिए सामाजीकरण

70. डा० एन० के० सिंघी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर—नौकरशाही : एक सामाजिक अध्ययन

71. डा० (श्रीमती) राजेन्द्र जिंदल, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, एस० डी० गवर्नमेंट कालेज, ब्यावर (राजस्थान)—एक तीर्थ स्थान की संस्कृति : नाथद्वारा का एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन

72. डा० एस० मुखर्जी, रोम, इटली—किशोर सुधार संस्थाओं का प्रशासन : दिल्ली और महाराष्ट्र का तुलनात्मक अध्ययन

73. डा० बी० डी० धवन, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली—भारत में उपग्रह टेलीविजन की अर्थ-व्यवस्था

74. डा० के० के० शर्मा, वाणिज्य के वरिष्ठ प्राध्यापक, गवर्नमेंट कालेज, अजमेर—भारत में मोटर परिवहन, इसका विकास और नियोजन

75. डा० दलीपसिंह सिधु, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब—लुधियाना में अंडों की माँग और पूर्ति

76. डा० डी० एस० त्यागी, कृषि मूल्य परिषद, कमरा संख्या 575, कृषि भवन, नई दिल्ली—भावी मूल्यों के संबंध में किसानों की आशाएँ और भूमि वितरण पर इसका प्रभाव

77. डा० जगदीश चंद्र, सी-23, शरत सिंह मार्ग, तिलक नगर, जयपुर—राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन

78. डा० के० के० जेकब, उदयपुर समाज कार्य विद्यालय, उदयपुर—भारत में कार्मिक-प्रबंध : कार्मिक अधिकारियों के कार्यों और प्रशिक्षण का अध्ययन

79. डा० शैलेन्द्र सिंह, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, लखनऊ विश्व-विद्यालय, लखनऊ—भारत में राज्यों को केन्द्र से सहायक अनुदान

80. डा० सीताराम रस्तोगी, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्व-विद्यालय, लखनऊ—कानपुर में मजदूरी-नियमन

81. डा० लक्ष्मी वर्मा, प्राध्यापक, महिला कालेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी—असंतोष को प्रमाणित करने वाले चरों का अनुभवात्मक अध्ययन

82. डा० ब्रह्म भारद्वाज, 11/9, शक्तिनगर, दिल्ली—भारत में प्रत्यायुक्त (डेलिगेटेड) विधान

83. डा० आई० एन० तिवारी, वरिष्ठ अनुसंधान फैलो, गांधी अध्ययन संस्थान, राजघाट, वाराणसी—संयुक्त राष्ट्र महासभा की शांति स्थापित करने की शक्ति

84. डा० सुभापिनी सुब्रह्मण्यम, लेडी इर्विन कालेज, नई दिल्ली—आंध्र प्रदेश के एक सीमावर्ती गाँव में सामाजिक परिवर्तन के कुछ पहलू

85. डा० सीता श्रेष्ठ, 7/719, भीमसेन थाना, काठमांडु, नेपाल—नेपाल और संयुक्त राष्ट्र संघ

86. डा० एस० सी० दोषी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, आठवा लाइन्स, सूरत—परंपराओं की संरचना

87. डा० डब्ल्यू ए० वासन, एस० जे० जेवियर श्रमिक संबंध संस्थान, जमशेदपुर—पश्चिमी भारत वस्त्र उद्योग में मजदूर संघ का विकास

88. डा० शकुन्तला श्रीवास्तव, अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, एस० एम० कालेज, भागलपुर—भारत में संविधान निर्माण पर देश विभाजन का प्रभाव

89. डा० एम० एस० लक्ष्मण, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विभाग, मदुरै विश्वविद्यालय, मदुरै—भारत में आर्थिक विकास

ख. अनुसंधान रिपोर्ट

5·5. अनुसंधान की स्वीकृत रिपोर्टों के प्रकाशन के लिए चाहे वे परिषद की योजना के अधीन लिखी गई हों या अन्यथा लिखी गई हों, प्रकाशन लागत के अधिकतम 75 प्र० श० तक या 5,000 रुपये की राशि, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दी जाती है।

(क) परिषद की योजना से असंबद्ध अनुसंधान

5·06. 31 मार्च 1973 तक परिषद की योजना से असंबद्ध अनुसंधान रिपोर्टों के संबंध में 129 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 41 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, 51 प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए और 37 विचाराधीन हैं।

5·07. 1972-73 में परिषद की वित्तीय सहायता की योजना से असंबंध निम्नलिखित अनुसंधान-रिपोर्टों को अनुदान दिए गए :

1. डा० आर० पी० गर्ग, उपनिदेशक, समाजशास्त्र विभाग, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पिछड़ी जाति कल्याण, उत्तरी क्षेत्र, 1033,

सेक्टर 21-बी, चंडीगढ़—धुसावनी—एक जनजातीय गांव का सामाजिक आर्थिक अध्ययन (3,000 रु०)

2. डा० के० वी० एन० राव, उपनिदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली—तेलंगाना क्षेत्रीय समिति

3. डा० के० सी० एलेक्जेन्डर, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, हैदराबाद—भारत में सहभागिता प्रबंध : दो केस-अध्ययन (1,500 रुपए)

4. श्री सुधीर कक्कड़, मार्फत निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद—एक भारतीय संगठन में कार्य-व्यवहार की व्यक्तित्व और प्राधिकार गतिकी (3,000 रु०)

5. डा० टी० ई० षण्मुगम, प्रोफेसर, मनोविज्ञान, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास—व्यक्तित्व पर अनुसंधान (3,000 रु०)

6. श्रीराम औद्योगिक संबंध और मानवीय साधन केन्द्र, नई दिल्ली-राष्ट्रीय निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली—भवन निर्माण उद्योग में रोजगार संबंध (3,000 रुपए)

7. डा० आर० बी० सिंह, प्राध्यापक, भूगोल गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर—महानगर की अर्थव्यस्था के आधार को मापने के लिए अवस्थिति खंड (लोकेशन कोश्यन्ट्स) (3,000 रु०)

8. डा० मैल्कोम एस० आदिशेषैया, निदेशक, मद्रास विकास-अध्ययन केन्द्र, मद्रास—अर्थशास्त्र में अनुसंधान-निर्देश (2,000 रु०)

9. प्रो० इकबाल नारायण, राजनीतिशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर—राजस्थान में राज्य नियंत्रण और पंचायती राज संस्थाएँ (3,000 रु०)

10. डा० बी० बी० चटर्जी, प्रोफेसर, मनोविज्ञान गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी—परिवार-कल्याण के लिए सामुदायिक कार्य पद्धति (3,000 रु०)

11. भारतीय अर्थमिति संघ, योजना भवन, नई दिल्ली—भारतीय सरकारी सांख्यिकी (5,000 रु०)

12. डा० बी० चटर्जी, प्राध्यापक, कृषिनाथ कालेज, बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल—पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन व्यवस्था (3,000 रु०)

13. डा० एस० सी० पटनायक, वरिष्ठ अनुसंधान फैलो, यू० जी० सी० बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर—कटक के लघु उद्योग और छोटे कारीगर (1,000 रु०)

14. डा० एस० भट्ट, कानून निदेशक, पर्यटन मंत्रालय, सिविल विमान, नई दिल्ली—वायु-आकाश कानून अध्ययन (3,000 रु०)

15. मंदाकिनी खांडेकर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई—बृहत्तर बंबई में सामाजिक और कल्याण सेवाओं का उपयोग (5,000 रु० या प्रकाशन-लागत का 75 प्रतिशत)

16. डा० भागीरथी मिश्र, सह-प्रोफेसर, मानवविज्ञान और दक्षिण एशियाई अध्ययन, वेस्टफोर्ड कॉन—वेरियर एलविन—एक अग्रणी भारतीय मानव वैज्ञानिक (3,000 रु०)

(ख) परिषद की योजना के अधीन किए गए अनुसंधान :

5·08. परिषद की योजना के अधीन वित्तीय सहायता द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं की रिपोर्टों के प्रकाशन के लिए स्वीकृत अनुदानों का विवरण नीचे दिया है :

1. प्रो० श्रीचन्द्र, रीडर, मनोविज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ—युवकों में तनाव का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन (500 रु०)

2. प्रो० ए० आर० देसाई, समाजशास्त्र विभाग, बंबई विश्व-विद्यालय, बंबई—गंदी बस्तियों और शहरों का विकास—गंदी बस्तियों की कुछ समस्याओं के उदय तथा निराकरण के संबंध में कुछ परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए एक केस-अध्ययन (7,130 रु०)

3. प्रो० वी० एस० खन्ना, लोक प्रशासन विभाग, पंजाब विश्व-विद्यालय, चंडीगढ़—चौथे आम चुनाव का सूक्ष्म अध्ययन (900 रु०)

4. डा० (श्रीमती) आई कर्वे, डेक्कन कालेज, पूना—जन-जातीय ग्रामीण शहरी परिवेश में साप्ताहिक बाजारों का महत्व (3,325 रु०)

5. डा० के० जी० क्रिस्टोफर, लघु उद्योग-विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद—उद्योग की स्थापना के लिए नई पद्धतियों को अपनाने की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले सामाजिक मनोवैज्ञानिक तत्व (4,200 रु०)

6. डा० राज नारायण, मनोविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्व-विद्यालय, लखनऊ—चौथे आम चुनाव का अध्ययन (2,000 रु०)

7. डा० एस० पी० वर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर—चौथे आम चुनाव में राजस्थान में मतदान का अध्ययन (5,000 रु०)

8. डा० एम० एस० सवनीस, कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, बंबई—सुधार-संस्थाओं में उपचार-कार्यक्रमों का मूल्यांकन (7,875 रु०)

9. डा० के० जी० देसाई, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई—वृद्ध व्यक्ति की समस्याएँ (6,380 रु०)

10. डा० आर० बी० दास और डा० डी० पी० सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ—कुछ जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था और कार्य प्रणाली तथा लखनऊ निगम के नागरिकों में उनके प्रति संतुष्टि का स्तर (3,000 रु०)

11. प्रो० श्रीचन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ—भारतीय वैज्ञानिकों में असंतोष का सामाजिक-मानसिक अध्ययन (8,558 रु०)

12. डा० सच्चिदानंद, ए० एन० सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान, पटना—गहन कृषि-विकास कार्यक्रमों के सामाजिक आयाम (3,000 रु०)

13. डा० वी० एस० मूर्ति, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर—चौथे आम चुनाव के संदर्भ में, नागपुर में दलीय प्रथा के विकास का अध्ययन (3,000 रु०)

14. प्रो० आर० एन० सक्सेना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़—भारतीय समाज में गोवा के लोगों की भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता से संबंधित समस्याएँ और प्रक्रिया

15. डा० बी० वी० चटर्जी, गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी—सामाजिक विधान और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव : अभिवृत्ति संबंधी व्यवहार और सामग्री (5,000 रु०)

16. प्रो० एल० पी० विद्यार्थी, राँची विश्वविद्यालय, राँची—जनजातीय समाज में बदलता नेतृत्व (5,000 रु०)

17. डा० एन० आर० इनामदार, पूना विश्वविद्यालय, पूना—महाराष्ट्र की जिला परिषदों में शिक्षा प्रशासन का अध्ययन (5,000 रु०)

18. डा० रामाश्रय रॉय, विकासमान समाज अध्ययन केन्द्र, दिल्ली—मध्यावधि चुनाव का अध्ययन (5,000 रु०)

19. डा० डी० टी० लकड़ावाला, अर्थशास्त्र विभाग—गुजरात में शैक्षिक खर्चों का अधिकतम उपयोग (5,000 रु०)

20. प्रो० अमलान दत्त, अर्थशास्त्र विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता—पश्चिमी बंगाल के कालेजों की तकनीक, आकार और स्थिति के संदर्भ में शिक्षा की अर्थव्यवस्था का अध्ययन (2,000 रु०)

21. डा० प्रयाग मेहता, निदेशक, भारतीय जनसंचार-संस्थान, नई दिल्ली—पाँचवें आम चुनाव में मतदान-व्यवहार का संचार संबंधी अध्ययन (3,000 रु०)

22. डा० घनश्यामशाह, विकासमान समाज अध्ययन-केन्द्र, दिल्ली—अनुसूचित जनजाति और 1971 के चुनाव (3,000 रु०)

23. डा० एस० के० मुकर्जी, अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता—हावड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और इस इलाके के सात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1971 के चुनावों का अध्ययन (3,000 रु०)

24. डा० एन० सोमशेखर, औद्योगिक प्रबंध विभाग, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर—औद्योगिक संपदाओं की प्रभावशालिता (मैसूर की औद्योगिक संपदाओं का विश्लेषण) (3,000 रु०)

25. डा० के० शेषाद्रि, निदेशक, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास-संस्थान, हैदराबाद—पंचायती राज और मध्यावधि चुनाव (3,000 रु०)

26. डा० एम० एस० आदिशेषैया, मद्रास विकास अध्ययन केन्द्र, मद्रास—आय-उपार्जन का सामाजिक स्तरण और प्रवृत्तियाँ, तथा तमिलनाडु में हरिजन जाति का वितरण (2,000 रु०)

27. प्रो० एल० सी० गुप्ता, वाणिज्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय—बोनस-शेयर और उनके प्रभाव (रिपोर्ट का संशोधित) संस्करण (3,000 रु०)

28. प्रो० जसबीर सिंह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र—पन्द्रह वर्षों में कृषि का भौगोलिक अध्ययन—भारत के फसल उगाने वाले क्षेत्रों का परिप्रेक्ष्य और सीमांकन (13,000 रु०)

29. डा० सुगाता दास गुप्ता, गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी—भारतीय विश्वविद्यालयों में असंतुष्ट युवकों द्वारा विरोध प्रदर्शन के तरीकों का अध्ययन (रिपोर्ट के संशोधन के बाद अनुदान की राशि का निर्णय किया जाएगा)

30. श्री राजाराम शास्त्री, सामाजिक विज्ञान संस्था, वाराणसी—उत्तर प्रदेश की कुछ वोट अधिकारच्युत जातियों के सामाजिक संगठनों, अभिवृत्तियों और प्रेरणाओं पर अनुसंधान के लिए एक अग्रवर्ती परियोजना (प्रकाशन अनुदान स्वीकृत)

संदर्भ ग्रंथ सूची तथा प्रलेखन कार्य

5·09. संदर्भ ग्रंथ-सूची और प्रलेखन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की माँग के लिए इस वर्ष तीस प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रलेखन सेवा और अनुसंधान सूचना समिति ने तीस प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए क्योंकि वे वित्तीय सहायता के योग्य नहीं थे। उचित सहायतार्थ अनुदान की स्वीकृति के लिए समिति ने परिषद को केवल दो प्रस्तावों की सिफारिश की है। आठ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। समिति की सिफारिश पर जिन दो प्रस्तावों को परिषद ने स्वीकृति प्रदान की है उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

	प्रस्तावक	प्रयोजन	राशि
1.	आर्थिक विकास संस्था	एशियाई सामाजिक विज्ञान संदर्भ ग्रंथ-सूची ग्रंथ-1967, 1968 से 1970 वर्षों के लिए। प्रति ग्रंथ 12,000 रु० के हिसाब से	48,000 रु०
2.	दिल्ली पुस्तकालय संघ	भारतीय प्रेस संदर्भिका ग्रंथ-5	12,000 रु०
		कुल	60,000 रु०

अन्य अनुदान :

5·10. एक विशेष प्रयोजन के लिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अपनी पत्रिका 'इन्टरनेशनल स्टडीज' के प्रकाशन को पुनः शुरू करने के लिए 25,000 रु० का तदर्थ अनावर्ती अनुदान दिया गया। इस पत्रिका का प्रकाशन कुछ कठिनाइयों के कारण बीच में बंद हो गया था।

VI

अध्ययन अनुदान

6·01. परिषद ने मार्च 1972 में अध्ययन-अनुदान की योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले ऐसे पी० एच० डी० छात्रों तथा अन्य अनुसंधान-कर्ताओं को वित्तीय सहायता दी जाती है जो अपने शोध कार्य के सिलसिले में अपने सामान्य निवास-स्थान से दूर किसी पुस्तकालय में जाना चाहते हैं। अध्ययन-अनुदान के अंतर्गत अनुसंधान-कर्ताओं को रेल का तथा ऊँचे दर्जे का बस का दुतरफा भाड़ा दिया जाता है तथा साथ ही दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और पहाड़ी स्थानों में प्रतिदिन 14 रुपए, अहमदाबाद में प्रतिदिन 12 रुपए और अन्य स्थानों में प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाता है।

6·02. दिल्ली से बाहर ये अध्ययन-अनुदान विभिन्न केन्द्रों के जरिये क्रियान्वित किए जाते हैं, जिनकी सूची अध्याय के अंत के परिशिष्ट में दी गई है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक केन्द्र को 20,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। दिल्ली में यह योजना परिषद के सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र के जरिए क्रियान्वित की जाती है।

6·03. रिपोर्टाधीन वर्ष में अध्ययन-अनुदान के लिए 40 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। 31 मार्च 1973 तक इनमें से 33 आवेदन-पत्रों पर अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई और पाँच आवेदन-पत्र विचाराधीन थे। बाकी सात आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिए गए।

6·04. 31 मार्च 1973 तक जिन अनुसंधानकर्ताओं को अध्ययन अनुदान प्रदान किए गए उनका विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। 1972-73 और 1973-74 के दौरान 19 विभिन्न केन्द्रों द्वारा स्वीकृत अध्ययन-अनुदानों का विवरण दूसरे वर्ष की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

परिशिष्ट क

परिषद के अध्ययन-अनुदान को क्रियान्वित करने वाले क्षेत्रीय केन्द्र

1. परिषद का पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र, बंबई
2. परिषद का पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कलकत्ता
3. परिषद का दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र, हैदराबाद
4. सरदार पटेल अर्थशास्त्र तथा सामाजिक अनुसंधान संस्थान, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
5. गौहाटी विश्वविद्यालय, गौहाटी
6. सागर विश्वविद्यालय, सागर
7. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास
8. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर
9. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
10. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम
11. पूना विश्वविद्यालय, गणेशखिंड, पूना
12. उत्कल विश्वविद्यालय, वाणीविहार, भुवनेश्वर
13. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
14. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
15. पटना विश्वविद्यालय, पटना
16. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
17. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर
18. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
19. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

परिशिष्ट ख

1972-73 में अध्ययन-अनुदान पाने वाले अनुसंधानकर्ता*

1. नागपाल, ए० एन०—दिल्ली विश्वविद्यालय—बटाला, आगरा—226.10

2. प्रहराज, जी० बी०—पी० एन० महाविद्यालय, पुरी—कलकत्ता, सिद्री—536.90

3. लाल वर्मा, एस० आर०—गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, दतिया—अलीगढ़ 200.00

4. रीता तिवारी (श्रीमती)—गवर्नमेन्ट महिला डिग्री कालेज, मोरार, ग्वालियर—कलकत्ता—959.00

5. मोहन्ती, बी० बी० (कुमारी)—उत्कल विश्वविद्यालय—बरहामपुर, फूलबाड़ी, संबलपुर, आदि—500.00

6. वेलप्पा, डी०—एस० टी० हिंदू कालेज, नगर कोइल—मद्रास—720.00

7. साहू, एन० एस०—रविशंकर विश्वविद्यालय—पूना, आगरा, कलकत्ता—883.00

8. सिद्दीकी, ए० ए०—लखनऊ विश्वविद्यालय—हैदराबाद, भोपाल, बंबई, कलकत्ता, पटना, श्रीनगर—1305.30

9. नायडू, एस० एस०—वी० टी० कालेज, मदनपल्लि—मद्रास—140.00

10. सिंह, के० एन०—राँची विश्वविद्यालय—कलकत्ता—710.00

11. भटनागर, एन० के०—मेरठ विश्वविद्यालय—इलाहाबाद, कलकत्ता, कालीकट, मद्रास—1118.00

---

* निम्नलिखित में अनुदान प्राप्तकर्त्ता, विश्वविद्यालय, भ्रमण-स्थान और अनुदान की राशि, क्रमशः दिये गये हैं।

12. शर्मा, डी० एन०—गौहाटी विश्वविद्यालय—शिलांग—175.00

13. सच्चिदानंद आश—राँची विश्वविद्यालय—बंबई, मद्रास, कलकत्ता—1233.00

14. मेहता वी० वी०—श्री धमेन्द्र सिंह जी आर्ट्स और ए० एम० पी० लॉ कालेज, राजकोट—अहमदाबाद— 249.00

15. कोहली, वी० के०—खालसा शिक्षण कालेज, अमृतसर—वड़ौदा—390.00

16. मजीद, अख्तर—इलाहाबाद विश्वविद्यालय—दिल्ली—356.15

17. भटनागर, एन० के०—इलाहाबाद विश्वविद्यालय—दिल्ली—302.00

18. भगवत, जी०—शिवाजी विश्वविद्यालय—दिल्ली—540.00

19. भटनागर, बी० एन० एस०—मेरठ विश्वविद्यालय—दिल्ली —910.65

20. बोस, एस० के०—गोरखपुर विश्वविद्यालय—दिल्ली—1138.65

21. चौधरी, ए० के०—कलकत्ता विश्वविद्यालय—बंबई—608.60

22. गौड़, महेन्द्र—कोचीन विश्वविद्यालय—दिल्ली—196.00

23. गोस्वामी, अतुल—गौहाटी विश्वविद्यालय—दिल्ली—489.70

24. मिश्रा, चिंतामणि—उत्कल विश्वविद्यालय—दिल्ली—323.30

25. महमूद, मोहम्मद—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय—दिल्ली—1,000.00

26. रेड्डी, डी० एन०—श्रीवेंकटेश्वर विश्वविद्यालय—दिल्ली—506.00

27. समरथ, उल्हास—विश्वभारती विश्वविद्यालय—दिल्ली—1138.00

28. कु० पद्माशाह शर्मा—भागलपुर विश्वविद्यालय—दिल्ली—413.00

29. तिवारी, आई० एन०—गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी—दिल्ली—684.00

30. बनर्जी, डी० के०—कलकत्ता विश्वविद्यालय—दिल्ली—438.00

31. वर्मा, रवीन्द्र— उदयपुर विश्वविद्यालय—दिल्ली—188.40

32. श्रीमती पी० वासुदेवन—बंबई विश्वविद्यालय—दिल्ली—499.35

33. यादव, डी० एन०—विहार विश्वविद्यालय—दिल्ली—700.00 ।

VII

अनुसंधान पद्धति पर प्रशिक्षण

7·01. 1971 में 11 केन्द्रों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए थे जिनमें 270 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया था। ये प्रशिक्षार्थी 18 राज्यों और संघीय क्षेत्रों से आए थे और लगभग 16 विषयों के थे। इसकी सफलता से प्रेरित होकर परिषद ने 1972 में भी ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने का निश्चय किया।

7·02. 1972 में दो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए गए।

(क) **सामान्य कार्यक्रम** : सामाजिक विज्ञानों की अनुसंधान पद्धति पर आधारभूत पाठ्यक्रम के रूप में आठ सप्ताह का एक कार्यक्रम (जो मुख्यतः पिछले वर्ष की पद्धति पर आधारित था)।

(ख) **विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम** : किसी विषय या शाखा विशेष पर या किसी विशिष्ट तकनीक पर विशिष्ट प्रशिक्षण।

7·03. वर्ग (क) और (ख) के पाठ्यक्रमों में समिति द्वारा निर्धारित निम्नलिखित योग्यता के आधार पर दाखिले दिए गए।

(i) छात्र पी-एच० डी० डिग्री के लिए रजिस्टर्ड हो और सामान्य रूप से अपने शोध-कार्य की प्रारंभिक अवस्था में हो।

(ii) कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक भी जो अनुसंधान करना चाहते हों और पी-एच० डी० डिग्री के लिए रजिस्टर्ड हों, इनमें दाखिला प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) छात्रों की शैक्षिक योग्यता तथा छात्रों की कार्यकुशलता और अनुप्रेरणा के संबंध में अनुसंधान निरीक्षकों की सिफारिशों को उचित तरजीह दी जाए।

(iv) प्रत्येक पाठ्यक्रम में लगभग 10-20 प्रतिशत स्थान बाहर के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए आरक्षित रखे जाएँ।

7·04. 1971 में यह निर्णय लिया गया था कि आवेदन-पत्रों को केन्द्रीय रूप से आमंत्रित किया जाए और वहीं से छात्रों को विभिन्न केन्द्रों में नियत कर दिया जाए। इस बार पाठ्यक्रम-निदेशकों को स्वयं आवेदन-पत्र आमंत्रित करने और सीधे छात्रों का चयन करने के लिए कहा गया। परिषद ने अपनी ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन निकाला। कुछ पाठ्यक्रम निदेशकों ने भी अपनी ओर से अपने-अपने क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकाले।

7·05. इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए परिषद ने बारह केन्द्र नियत किए। इन केन्द्रों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1. सामान्य पाठ्यक्रम*

1. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई—8 सप्ताह—डा० के० जी० देसाई

2. सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली—8 सप्ताह—डा० बी० एन० मुखर्जी

3. लोयाला सामाजिक विज्ञान कालेज, त्रिवेन्द्रम—8 सप्ताह—रेवरेंड डा० जे० पुथेंकलम एस० जे०

4. ए० एन० सिंहा सामाजिक विज्ञान संस्थान, पटना—8 सप्ताह—प्रो० सच्चिदानंद

5. भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान, कानपुर—8 सप्ताह—प्रो० कामता प्रसाद

6. राजनीति शास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर—8 सप्ताह—प्रो० एस० पी० वर्मा

7. मनोविज्ञान विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर—8 सप्ताह—प्रो० आर० एन० रथ

---

* केन्द्र स्थल, पाठ्यक्रम-अवधि, और पाठ्यक्रम निदेशक क्रमशः दिये गये हैं।

8. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता—8 सप्ताह—प्रो० आर० मुखर्जी

II. विशिष्ट पाठ्यक्रम

9. मानवविज्ञान विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश), (विशिष्टता : मानव वैज्ञानिक अनुसंधान)—4 सप्ताह—डा० (श्रीमती) लीला दुबे

10. मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास, स्थान : अर्थशास्त्र विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर (विशिष्टता : अर्थशास्त्रीय अनुसंधान पद्धति)—6 सप्ताह—डा० वी० सर्वेश्वर राव

11. सरदार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद (विशिष्टता: अर्थशास्त्र में गणितीय और सांख्यिकीय पद्धतियाँ)—8 सप्ताह—डा० आर० जे० मोदी

12. विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान विद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (विशिष्टता: समाज वैज्ञानिक अनुसंधान)—6 सप्ताह—डा० विमल पी० शाह

7·06. स्थानीय प्रशासनिक कारणों से सागर विश्वविद्यालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के पाठ्यक्रम रद्द कर देने पड़े। इस प्रकार इस वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवल 10 केन्द्रों ने भाग लिया। इन केन्द्रों में कुल मिला कर 266 व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें से 156 सामान्य पाठ्यक्रमों में और 110 विशिष्ट पाठ्यक्रमों में थे।

7·07. कुल मिलाकर इस कार्यक्रम से सामाजिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को विशेष लाभ हुआ। सामान्य पाठ्यक्रमों में अर्थशास्त्र के छात्रों की संख्या बहुत कम रही। अर्थशास्त्र के छात्रों ने मुख्यतः अपने विषय से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लिया। इस वर्ष राजस्थान के कार्यक्रम में भी, जो मुख्यतः राजनीति-शास्त्र प्रधान था, 23 में से 8 (34%) छात्र अन्य विषयों (समाज शास्त्र, समाज कार्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा, और वाणिज्य) के थे। अन्य केन्द्रों में छात्रों का यह वितरण छिटपुट था।

7·08. इस वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम के नौ केन्द्रों में 95 विद्वानों ने व्याख्याता के रूप में भाग लिया (दसवें, उत्कल, केन्द्र की रिपोर्ट अभी नहीं प्राप्त हुई है)। केवल छह व्याख्याताओं ने दो केन्द्रों में

भाषण दिए : इनमें से चार पाठ्यक्रम निदेशक थे जिन्होंने अपने-अपने पाठ्यक्रमों में भाषण देने के अलावा एक-एक अन्य केन्द्र में भी जाकर भाषण दिए। पिछले वर्ष के विपरीत, इस वार के केन्द्रों की यह विशेषता रही कि उनमें विभिन्न संकायों की व्यवस्था की गई थी और यह प्रयास किया गया था कि एक कार्यक्रम दूसरे कार्यक्रम से न टकराए। पिछले वर्ष के कार्यक्रमों में इस वात का ध्यान नहीं रखा जा सका था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन की सहायता के लिए तीन पद्धतियाँ निकाली गई। आवेदन-पत्र, अनुवर्ती प्रतिभागी मूल्यांकन (सी० पी० ई०) और प्रतिभागी समग्र मूल्यांकन (पी० ओ० ई०)। यह आशा की गई थी कि पाठ्यक्रम निदेशक इन्हें स्वयं क्रियान्वित करेंगे और फिर प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण के निष्कर्ष उनकी रिपोर्टों के आधार बनेंगे।

7·09. इस वर्ष के कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि जहाँ सामान्य पाठ्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया गया था वहाँ भी प्रशिक्षण सामान्य पाठ्यक्रम से कुछ हट कर चला।

7·10. दो वर्ष से चल रहे इस कार्यक्रम के आधार पर जो अनुभव प्राप्त हुए उनसे विचारों में परिपक्वता आई। परिषद के पास इस कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्यधिक संख्या में पत्र प्राप्त हो रहे हैं जो इस कार्यक्रम की लोकप्रियता के सूचक हैं। कई प्रतिभागी परिषद के भावी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का इन्तजार कर रहे हैं।

7·11. इस योजना को और अधिक विकसित करने, इसका समुचित मूल्यांकन करने और इसके लिए उपयुक्त शिक्षण-सामग्री तैयार करने के लिए परिषद के प्रशिक्षण विभाग को और अधिक सुदृढ़ और विकसित करने का प्रस्ताव है।

प्रोत्साहक गतिविधियाँ

8·01. परिषद ने कई विकास-कार्यक्रम हाथ में लिए हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(1) कृषि, इंजीनियरी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान की स्थिति पर अध्ययन दल ;
(2) अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर अनुसंधान ;
(3) अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर अनुसंधान ;
(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा पर देश व्यापी अध्ययन ;
(5) भारत में मुसलमानों की समस्याओं पर अनुसंधान ;
(6) डाकुओं की समस्याओं का अध्ययन ;
(7) क्षेत्रीय अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध ;
(8) भारत में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन ; और
(9) कानून और सामाजिक परिवर्तन ।

1. कृषि, इंजीनियरी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान की स्थिति पर अध्ययन दल :

8·02. परिषद ने 1971 के उत्तरार्ध में विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग के सहयोग से कृषि, इंजीनियरी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान की स्थिति की जाँच के लिए एक अध्ययन-दल का गठन किया । इस दल में निम्नलिखित सदस्य थे :

1. डा० एम० एस० गोरे, निदेशक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई—(**अध्यक्ष**)

2. डा० पी० एन० वाही, महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, बंबई

3. डा० पी० के केलकर, निदेशक, भारतीय टैक्नोलॉजी संस्थान, बंबई

4. डा० सी० दक्षिणामूर्ति, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

5. डा० कामता प्रसाद, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, भारतीय टैक्नोलॉजी संस्थान, कानपुर

6. डा० एस० एन० चट्टोपाध्याय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन और शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली

7. डा० वाई० पी० सिंह, प्राध्यापक कृषि विस्तार, कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)

8. डा० उदय पारीख, निदेशक, आधारभूत-विज्ञान एवं मानिविकी संस्थान, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर

9. डा० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली—(**सदस्य-सचिव**)

8·03. अध्ययन-दल ने संबद्ध संस्थाओं से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रचलित पाठ्यक्रम संकलित कर निम्नलिखित बातों की जांच के लिए उनका विश्लेषण किया :—

(i) अनियार्य पाठ्यक्रम बनाम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ;

(ii) उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में, उपलब्ध शिक्षण घंटों, निर्धारित अंकों और उपलब्ध पाठ्यक्रमों की संख्या के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान को कितना महत्व दिया जाता है।

(iii) सामाजिक विज्ञान की किन-किन शाखाओं में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं ;

(iv) पाठ्यक्रमों का विन्यास ;

(v) सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में (शाखावार और अन्तर्शाखावार) पाठ्यक्रमों को संगठित करने की पद्धति ; और

(vi) पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण और मूल्यांकन।

8·04. अध्ययन-दल ने एक प्रश्नावली भी तैयार की। इसे इंजीनियरी, चिकित्सा और कृषि संस्थानों में काम करने वाले

सामाजिक वैज्ञानिकों को भिजवाया गया । इनसे प्राप्त उत्तरों की जाँच करके उनका विश्लेषण किया गया। इन संस्थानों के प्रशासकों (निदेशकों, प्रधानाचार्यों आदि) को एक प्रश्नावली भिजवाई गई तथा उनसे प्राप्त उत्तरों का भी अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया ।

8·05. अध्ययन-दल की सिफारिश पर निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की गई :

1. **डा० एस० एन० चट्टोपाध्याय** : "चिकित्सा-शिक्षण में सामाजिक विज्ञान-विद्यार्थी एवं प्रशिक्षक का प्रत्यक्षज्ञान" ।
2. **डा० वाई० पी० सिंह** : "सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-चर्या, तथा उच्चतर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रशिक्षण आवश्यकताएँ ।"
3. **डा० वाई० पी० सिंह** : "उच्चतर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने की योजना की तालिका का विकास"

8·06. सर्वश्री एस० एन० चट्टोपाध्याय और डा० वाई० पी० सिंह अध्ययन-दल के सदस्य हैं, इसलिए उनके अध्ययन के परिणामों को अध्ययन-दल के विवरण में समाविष्ट किया जाएगा ।

8·07. अध्ययन दल ने भारतीय टैक्नोलॉजी संस्थान, बंबई और कृषि विश्वविद्यालय, हिसार तथा कृषि विस्तार विभाग, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर और आर० एन० टी० मेडिकल कालेज, उदयपुर का दौरा किया । अध्ययन दल के एक अन्य सदस्य प्रो० कामता प्रसाद ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना का दौरा किया ।

8·08. इस विषय में कुछ सुप्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिकों से इंजीनियरी, चिकित्सा और कृषि संस्थानों में सामाजिक विज्ञानों की स्थिति के संबंध में विस्तृत लेख लिखवाए जाने का विचार है । इन पर 1973 में होने वाले राष्ट्रीय सेमिनार में, जिसमें इंजीनियरी, चिकित्सा और कृषि संस्थानों के सामाजिक विज्ञानों के अध्यापक भाग लेंगे, विचार किया जाएगा ।

8·09. इस प्रकार अध्ययन-दल निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा । (क) अध्ययन-दल और इसके सदस्यों के दौरों के परिणामस्वरूप प्राप्त विवरण ; (ख) डा० एस० एन० चट्टोपाध्याय और डा० वाई० पी० सिंह द्वारा किए गए

अनुसंधान, (ग) पाठ्यचर्या की विषयवस्तु का विश्लेषण, (घ) कृषि, चिकित्सा और इंजीनियरी संस्थानों में कार्य करने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों और प्रशासकों को भेजी गई प्रश्नावलियों के उत्तर, (ङ) प्रतिष्ठित सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सेमिनार के लिए लिखित विस्तृत लेख, और (च) सेमिनार में दी गई सामग्री और उससे प्राप्त निष्कर्ष। आशा की जाती है कि यह रिपोर्ट मार्च 1974 तक तैयार हो जाएगी।

2. अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर अनुसंधान

8·10. अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर परिषद की एक सलाहकार समिति है। 31 मार्च 1973 को इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

1. प्रो० आर० डी० भण्डारे (**अध्यक्ष**)
2. श्रीमती एम० चंद्रशेखर
3. डा० आई० पी० देसाई
4. श्री जीवन लाल जयरामदास
5. डा० (श्रीमती) पर्वतम्मा
6. श्री राजाराम शास्त्री
7. डा० सुरजीत सिन्हा
8. श्री आर० श्रीनिवासन
9. प्रो० एन० आर० देशपांडे
10. श्री जे० पी० नायक (**सदस्य-सचिव**)

8·11. समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि प्रत्येक क्षेत्र और केन्द्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की समस्याओं का अलग-अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। समिति ने निम्नलिखित समस्याओं के अध्ययन का भी सुझाव दिया :

(क) अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्याएँ ;
(ख) अनुसूचित जातियों से संबंधित विधान तथा व्यवहार में इसका प्रभाव ;
(ग) अनुसूचित जातियों में सामाजिक आंदोलन और विशिष्ट वर्ग ;
(घ) राजनीतिक अधिकार, वयस्क मताधिकार और स्थानों का आरक्षण ; और

(ङ) शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन ;

(च) समिति ने यह भी सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों पर किए गए सम्पूर्ण अनुसंधान कार्य की विस्तृत संदर्भ ग्रंथ सूची संकलित की जाए ।

8·12. अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी विधानों की सूची और संबंधित निर्णय-विधि तैयार की जा चुकी है । इस बारे में एक प्रबंध भी लिखा जा रहा है ।

8·13. उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों के आर्थिक ढाँचे से संबंधित कार्य नीचे दिए कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों को सौंपा गया था :

1. उत्तर प्रदेश·····प्रो० बलजीत सिंह
2. तमिलनाडु·····डा० एम० एस० आदिशेषैया
3. गुजरात·····प्रो० वी० एन० कोठारी
4. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश···प्रो० एस० बी० रांगनेकर

इनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

8·14. अनुसूचित जातियों पर हुए अनुसंधान कार्य का संदर्भ-ग्रंथ सूची से संबंधित आरंभिक कार्य पूरा हो चुका है ।

8·15. गुजरात में अस्पृश्यता (छुआछूत) संबंधी अध्ययन का काम पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । यह एक मार्गदर्शी परियोजना है, जिससे प्राप्त अनुभव के आधार पर इसी प्रकार के अध्ययन देश के अन्य भागों में भी शुरू करने का विचार है ।

8·16. अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रसार के संबंध में राष्ट्र-व्यापी अध्ययन आरंभ किया जा चुका है । इसका विस्तृत विवरण अलग से परिच्छेद (4) में दिया जा रहा है ।

8·17. परिषद ने समीक्षाधीन वर्ष में अनुसूचित जातियों से संबंधित निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की है :—

1. शिक्षित हरिजन विशिष्ट वर्ग : उनकी प्रतिष्ठा, शुद्ध कार्य-गतिशीलता और सामाजिक रूपांतरण में उनकी भूमिका का अध्ययन—प्रो० सच्चिदानंद, ए० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना

2. कुर्मी महासभा के विशिष्ट संदर्भ में जाति-साहचर्य का बदलता हुआ अनुपात—डा० के० वी० वर्मा, ए० एन० सिन्हा, सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना

3. वाराणसी (ग्रामीण क्षेत्र) में रहने वाले लोगों की शिक्षा और व्यवसाय के ढांचे का अध्ययन अनुसूचित जातियों के विशिष्ट संदर्भ में—डा० एस० एन० सिंह, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी

4. अनुसूचित जातियों के संबंध में जाति निर्मूलन संस्था द्वारा एकत्र की गई सामग्री का सारणीकरण तथा रिपोर्ट तैयार करना—प्रो० वी० एम० दांडेकर, गोखले अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र संस्थान, पूना

5. ग्रामीण गुजरात में अस्पृश्यता—डा० आई० पी० देसाई, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, सूरत

6. अनुसूचित जातियों और अस्पृश्यवर्गों को सूचीबद्ध करना और उनकी विशेषताओं का निरूपण करना—प्रो० आर० के० मुखर्जी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता

7. अनुसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता—डा० सी० राजगोपालन, समाजशास्त्र विभाग, बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर

8. सहकारिता आंदोलन और निम्नवर्ग के लोग—प्रो० वी० वी० बोक्कर, मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद

9. गुजरात में अनुसूचित जातियों और जनजातियों में मैट्रिकोत्तर छात्र—डा० वी० पी० शाह और डा० तारा पटेल, सामाजिक विज्ञान विद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

10. उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में उनकी रूप-रेखा—डा० (श्रीमती) सुमा चिटनिस, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई

11. तमिलनाडु में हरिजन समाज का सामाजिक स्तरीकरण और उनमें आय के उपार्जन और वितरण की प्रवृत्तियाँ—डा० एम० एस० आदिशेषैया, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास

3. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर अनुसंधान

8·18. अनुसूचित-जनजातियों की समस्याओं के अध्ययन के

लिए परिषद ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है। 31 मार्च 1973 को इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

1. प्रो० श्यामा चरण दुबे (अध्यक्ष)
2. डा० वी० के० रॉय बर्मन
3. डा० ए० के० डांडा
4. श्रीमती आर० ओ० घर
5. श्री कार्तिक ओराओन एम० पी०
6. डा० एस० एन० दुबे
7. प्रो० एल० पी० विद्यार्थी
8. डा० डी० एन० मजूमदार
9. श्री जे० पी० नायक
10. डा० योगेश अटल (सदस्य-सचिव)

8·19. सलाहकार समिति ने अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अनुसंधान की प्राथमिकताओं के प्रश्न पर विचार करने के लिए मानवशास्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन का आयोजन 26-27 मई 1972 को नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इसमें अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अनुसंधान विषयक प्राथमिकताओं पर परिषद के नीति-कथन तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा तैयार की गई प्रायोगिक कार्य-योजना पर विचार किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन, भारत सरकार के शिक्षा और समाजकल्याण मंत्री श्री नूरुल हसन ने किया। इसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रमुख मानवशास्त्रियों ने भाग लिया।

8·20. सम्मेलन द्वारा अनुमोदित तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 22 नवम्बर 1972 को आयोजित बैठक में स्वीकृत नीतिकथन और कार्य योजना का विवरण अलग से प्रकाशित कर दिया गया है।

8·21. सम्मेलन की सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिए अनुसूचित जनजातियों के संबंध में गठित सलाहकार समिति ने जनजातियों की अवस्था पर निम्नलिखित अध्ययन-कार्य आरंभ करने का संकेत दिया। इसमें जनजातियों के संबंध में उपलब्ध साहित्य का सर्वेक्षण किया जाएगा और यह जहाँ एक ओर अनुसंधान की

प्रवृत्तियों का पता लगाएगा वहाँ दूसरी ओर भविष्य में जाँच के लिए नए क्षेत्रों की भी सिफारिश करेगा :

1. जनजातीय आत्मरूप और व्यक्तित्व—डा० के० एन० सहाय
2. अन्तर्जनजातीय संबंधों के नमूने—डा० पी० के० मिश्र
3. जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों के अन्योन्य प्रभाव के नमूने—डा० विनोद अग्रवाल
4. जनजातियों में पुनरुद्धारवादी, पुनर्जैव शक्तिवादी और अन्य सामाजिक राजनीतिक आंदोलन—श्री गोपाल भारद्वाज
5. पारम्परिक और नई उभरती हुई राजनीतिक संरचनाओं में अन्योन्य क्रिया—डा० एस० के० गुप्ता
6. जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति—श्रीमती जरीना भट्टी
7. जनजातीय धर्म, विश्वास एवं रीति-रिवाज और उनकी मुख्य धर्मों से अन्योन्यक्रिया—श्रीमती सुशील सानवाल
8. जनजातीय अर्थव्यवस्थाएँ और उनका रूपान्तरण—डा० ए० के० डांडा
9. भूमि-तंत्र एवं भू-विधान—श्री एन० एन० व्यास
10. जनजातीय शिल्प और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी)—डा० श्यामल सेनगुप्ता
11. जनजातियों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और चिकित्सा संबंधी आदतें—डा० डी० पी० मुखर्जी
12. जनजातीय जनांकिकी, जीवन-मृत्यु आँकड़े और जैव-सामाजिक अनुकूलन—डा० एन० जी० नाग
13. जनजातीय सौंदर्य शास्त्र : कला, संगीत, नृत्य और लोक-कथा—कु० सुधा गोगटे
14. जनजातीय शिक्षा—डा० एल० आर० एन० श्रीवास्तव
15. जनजातीय कृषि : स्थानांतरी, सीढ़ीदार, वर्षाधीन और जलसिंचित खेती—डा० एस० बोस
16. जनजातियों के लोकाचार और सांसारिक दृष्टिकोण—डा० जे० डी० मेहरा
17. औद्योगिकीकरण और नागरीकरण—श्री जे० एस० भंडारी
18. जनजातीय प्रथागत कानून—श्री बी० बी० स्वरूप
19. परिवार-संगठन और सगोत्रता—श्री आई० एस० मरवाह

20. जनजातीय भाषाओं का अध्ययन—डा० एल० एम० खूब-चंदानी

8·22. इस वर्ष के दौरान परिषद ने जनजातियों से संबंधित निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं को भी मंजूरी दी।

1. गुजरात में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मैट्रिकोत्तर छात्र—डा० वी० पी० शाह और डा० तवा पटेल, सामाजिक विज्ञान विद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात

2. केरल की जनजाति कुर्चुया पर प्रबंध लेखन—डा० अय्यप्पन, नं० 6, कॉन्वेंट रोड, शिनाय नगर, मद्रास-26

3. अनुसूचित जनजातियों का राजनीतिक एकीकरण—राजस्थान की 'बिल' जनजातियों की राजनीति का अध्ययन—डा० एस० एल० दोषी, आधारभूत विज्ञान एवं मानविकी संस्थान, उदयपुर विश्व-विद्यालय, उदयपुर

4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का देशव्यापी अध्ययन

8·23. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए गठित सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर परिषद ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा की समस्या पर देश-व्यापी अध्ययन का अभियान चलाया।

8·24. इस प्रयोजन के लिए एक समन्वय समिति बनाई गई है। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

प्रो० आई० पी० देसाई, निदेशक, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, सूरत—(**संयोजक**)

प्रो० रामकृष्ण मुखर्जी, अध्यक्ष, समाजशास्त्र अनुसंधान एकक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता

प्रो० योगेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, सामाजिक-तंत्र अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डा० (श्रीमती) सुमा चिटनिस, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई।

डा० ए० के डांडा, अधीक्षक, मानवशास्त्र, भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण, नागपुर

प्रो० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय समाजशास्त्र अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

8·25. समन्वय समिति ने इस अध्ययन के लिए अनुसंधान की योजना तैयार की और विभिन्न परियोजनाओं का उत्तरदायित्व सँभालने के लिए देश के विभिन्न भागों से विद्वानों का चयन किया।

8·26. **सीमाक्षेत्र**—इस अध्ययन के पूरा देशव्यापी होने के कारण इसका अध्ययन क्षेत्र सारा देश है। लेकिन देश के विभिन्न भागों में इतनी अधिक विविधताएँ हैं कि इस अध्ययन को प्रदेशानुसार अध्ययन में विभाजित करना अधिक सुविधाजनक होगा।

8·27. प्रत्येक राज्य के लिए तीन विभिन्न प्रकार के अध्ययनों पर विचार किया गया :

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राज्यानुसार रूपरेखा ;
2. उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या ; और
3. माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या।

8.28. इनमें प्रत्येक राज्य के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समूहों में साक्षरता प्राप्ति पर विशेष ध्यान देते हुए एक जनसांख्यिकीय रूपरेखा तैयार की गई ; तथा शैक्षणिक प्रक्रम की व्याख्या करने और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की मनोवृत्तियों और आकांक्षाओं का विवरण देने के लिए कुछ चुने हुए नमूनों के आधार पर व्यवस्थित अन्वेषण तैयार किया गया।

8·29. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों का अध्ययन नीचे दिए हुए तथ्यों के निर्धारण के लिए किया जा रहा है।

(क) शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की स्थिति का निर्धारण ;
(ख) यथासंभव उनकी अन्य विद्यार्थियों से तुलना ; और
(ग) किस प्रकार का भेदभाव उनसे किया जाता है तथा उन्हें किन-किन कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसे जानना।

8·30. इस अध्ययन के लिए कुछ निर्दिष्ट संस्थाओं के चुने हुए कुछ अध्यापकों से निर्धारित प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों का उद्देश्य,

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के प्रति अध्यापकों के रुख को जानना तथा साथ ही साथ उनके द्वारा इन विद्यार्थियों के शैक्षणिक निष्पादन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना था।

8·31. इस अध्ययन के लिए चुने गए राज्य और प्रत्येक राज्य में निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :

राज्य	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		
	विद्यालय	कालेज	विद्यालय	कालेज	कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	250	250	262	250	1,012
असम	216	204	236	150	806
बिहार	247	240	*250	238	975
गुजरात	193	212	235	199	839
हरियाणा	250	215	—	—	465
केरल	246	241	232	*250	969
मध्य प्रदेश	265	236	217	225	943
महाराष्ट्र	196	203	182	197	778
मणिपुर और नागालैंड	—	—	*250	*250	500
मैसूर	210	259	136	122	727
उड़ीसा	249	271	247	174	941
पंजाब	254	235	—	—	489
राजस्थान	173	233	187	209	802
तमिलनाडु	255	237	*250	107	849
पूर्वी उत्तर प्रदेश	240	230	—	—	470
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	250	347	—	—	597
कुल योग	3,494	3,613	2,684	2,371	12,400

*ये अस्थायी आँकड़े हैं।

8·32. सभी राज्यों में, इस अध्ययन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इस प्रकार इसका प्रथम चरण पूरा हो गया है और इसकी रिपोर्टें भी प्राप्त हो चुकी हैं। इन रिपोर्टों का उपयोग इस अध्ययन की पूरे राष्ट्र की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाएगा। प्रत्येक

परियोजना के निदेशक इन रूपरेखाओं को अपने-अपने राज्य के द्वितीय चरण की रिपोर्टों के भूमिका-भाग में संक्षिप्त रूप में सम्मिलित करेंगे।

8·33. इस अध्ययन का द्वितीय चरण जनवरी 1973 में आरंभ किया गया था, जबकि एक प्रश्नावली तैयार की गई और उसे प्रत्यार्थियों में पक्ष प्रचार के लिए सभी परियोजनाओं के निदेशकों के पास भेज दिया गया। आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल और मणिपुर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में आँकड़े इकट्ठे करने का काम पूरा कर लिया गया है। फिलहाल, उनका वर्गीकरण किया जा रहा है। इसी अवधि में, एक संगणक-कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है।

8·34. राज्यवार रिपोर्टें जनवरी 1974 तक पूरी कर ली जाएँगी।

8·35. जिन विद्वानों को विभिन्न राज्यों में अध्ययन का दायित्व सौंपा गया है उनके अध्ययन का क्षेत्र तथा उनकी सूची नीचे दी गई है :

क्रम सं०	राज्य	परियोजना निदेशक का नाम	अध्ययन विषय
1	2	3	4
1.	आँध्र प्रदेश	डा० सी० लक्ष्मण	माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी
2.	आंध्र प्रदेश	प्रो० एन० एस० रेड्डी	,,
3.	असम	डा० एस० एम० दुबे	,,
4.	बिहार	प्रो० सच्चिदानंद	,,
5.	गुजरात	डा० आई० पी० देसाई	,,
6.	गुजरात	डा० बी० वी० शाह	,,
7.	हरियाणा	डा० के० डी० गंगरादे	विद्यालय और महाविद्यालय
8.	केरल	डा० पी० के० बी० नायर	माध्यमिक विद्यालय
9.	केरल	श्री ई० आई० जॉर्ज	,,

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	डा० टी० एन० वलुजूंआर	माध्यमिक विद्यालय
11.	महाराष्ट्र	डा० (श्रीमती) सुमा चिटनिस	महाविद्यालय के विद्यार्थी
12.	मैसूर	डा० सी० पर्वतम्मा	,,
13.	मैसूर	प्रो० सी० राजगोपालन	,,
14.	मध्य प्रदेश	प्रो० टी० वी० नायक	,,
15.	मध्य प्रदेश	डा० ए० पी० सिन्हा	,,
16.	मणिपुर	डा० जी० काबुई	महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय
17.	उड़ीसा	प्रो० रथ	माध्यमिक विद्यालय
18.	उड़ीसा	डा० के० महापात्र	महाविद्यालय के विद्यार्थी
19.	पंजाब	श्री पी० एन० पंपले	,,
20.	राजस्थान	डा० एस० के० लाल	माध्यमिक विद्यालय
21.	राजस्थान	डा० टी० पी० सिंह	,,
22.	तमिलनाडु	डा० एम० एस० आदिशेषैया	माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय
23.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	प्रो० बी० आर० चौहान	माध्यमिक विद्यालय
24.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	डा० बी० डी० सोनी	महाविद्यालय के विद्यार्थी
25.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	श्री एस० के० गोयल	,,
26.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	डा० टी० पी० सिंह	माध्यमिक विद्यालय

5. भारत में मुसलमानों की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान

8·36. परिषद ने भारत में मुसलमानों की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान के लिए एक सलाहकार समिति बनाई है। मार्च 1973 को इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

1. प्रो० रशीदुद्दीन खान (अध्यक्ष)
2. डा० पी० एन० मसलदान

3. डा० ए० एम० ख़सरो
4. डा० मंज़ूर आलम
5. डा० अनवर मोअज्जम
6. श्री० डी० आर० गोयल
7. प्रो० एस० सी० मिश्र
8. प्रो० एम० मकबूल अहमद
9. डा० एस० टी० लोखंडवाला
10. डा० गोपाल कृष्ण
11. श्री जे० पी० नायक (सदस्य-सचिव)

8·37. 29 मार्च 1973 को आयोजित बैठक में समिति ने प्रो० ए० एम० ख़सरो और डा० गोपाल कृष्ण द्वारा हाथ में ली गई "वक्फ की निधियों का आर्थिक विश्लेषण" और "भारतीय मुसलमानों की सामाजिक गतिशीलता" नामक दो प्रमुख परियोजनाओं पर किए गए कार्य की समीक्षा की। इनमें से प्रथम परियोजना के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न मुस्लिम देशों में वक्फ की कार्य-प्रणाली पर एक टिप्पणी तैयार की जाए और वक्फ अधिनियमों की बंबई धर्मार्थ न्यास अधिनियम और मद्रास हिंदु धर्मार्थ-अक्षयनिधि अधिनियम से तुलना की जाए। इन सुझावों के आधार पर प्रो० ख़ुसरो से, समिति के और आगे विचार के लिए एक नोट प्रस्तुत करने की प्रार्थना की गई। डा० गोपाल कृष्ण ने जिस परियोजना पर काम किया था उसके लिए संकलित सामग्री को, देश के विभिन्न भागों के अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए टेप कर दिया जाएगा। यह सामग्री और भारत के महापंजीयक से प्राप्त होने वाली सामग्री भारतीय मुसलमानों की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

8·38. समिति ने गहन अध्ययन के तीन क्षेत्रों का निर्धारण किया। ये हैं—(1) वक्फ का अध्ययन (2) मुसलमानों का अपने क्षेत्रीय पर्यावरणों में अध्ययन और (3) भारत में राजनीति के धर्मनिरपेक्षीकरण के संदर्भ में मुसलमानों का अध्ययन। समिति ने इन तीनों क्षेत्रों के लिए एक-एक उपसमिति का गठन आवश्यक समझा। अनंतिम रूप से तीन उप-समितियों का गठन निम्न प्रकार किया गया :

1. वक्फ की निधियों का विश्लेषण—प्रो० ए० एम० ख़ुसरो

(संयोजक), डा० लोखण्डवाला और प्रो० एस० ए० एच० हक्की, डा० ए० वी० शेख

(2) विभिन्न क्षेत्रीय पर्यावरणों में मुसलमानों का अध्ययन—प्रो० मंजूर आलम (संयोजक), प्रो० एस० सी० मिश्र, श्री डी० आर० गोयल और डा० अनवर मोअज्जम

(3) भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्षीकरण के संदर्भ में मुसलमानों का अध्ययन—श्री डी० आर० गोयल (संयोजक), प्रो० पी० एन० मसलदान, प्रो० मकबूल अहमद और डा० गोपाल कृष्ण।

8·39. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि हैदराबाद में किसी समय नवंबर 1973 में भारत में रहने वाले मुसलमानों की समस्याओं पर अनुसंधान के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाए। यह उपसमिति इस गोष्ठी में भाग लेने के लिए ऐसे विद्वानों का चयन करे जो शिक्षा, पत्रकारिता और सिविल सेवा से संबद्ध हों।

8·40. भारत में मुसलमानों की समस्याओं पर अब तक नीचे दिए कुछ विषयों पर अनुसंधान कार्य हो चुका है :

(i) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद के मोइन शकीर ने आजादी के बाद की अवधि में भारत में रहने वाले मुसलमानों के विषय में अंग्रेजी में लिखे गये लेखों का सर्वेक्षण किया जिनमें मुसलमानों के विषय में प्रमुख समस्याओं पर विचार किया गया है ;

(ii) इसी प्रकार का एक सर्वेक्षण उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के प्रो० अनवर मोअज्जम ने आजादी के बाद के समय में उर्दू भाषा में लिखित लेखों पर किया ;

(iii) प्रमुख पुस्तकालयों में उपलब्ध अनुसंधान-सामग्री की एक ग्रंथ-सूची तैयार की जा रही है ; और

(iv) मुसलमानों के संबंध में 1971 की जनगणना के आँकड़ों को संकलित करने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है।

8·41. विचाराधीन वर्ष में परिषद ने मुसलमानों की समस्याओं से संबंधित निम्नलिखित अनुसंधान-प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है :

1. 1957 से 1967 के बीच की अवधि में हिन्दु-मुसलमानों के पूर्वग्रहों का विश्लेषण—प्रो० एच० सी० गांगुली, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

2. भारत में सूफी मुसलमानों का आर्थिक व सामाजिक जीवन दर्शन—डा० ए० एम० खुसरो, आर्थिक वृद्धि संस्थान, दिल्ली

3. 1971-72 की अवधि में हिन्दु-मुसलमानों के पूर्वग्रहों का विश्लेषण—प्रो० एच० सी० गांगुली, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

4. जम्मू और काश्मीर में वक्फों के प्रशासन का सामाजिक और वैज्ञानिक अध्ययन—डा० एस० के० रशीद, विधि संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

5. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार—भारत में न्यायिक प्रवृत्तियों के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन—डा० जी० एस० शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

6. डाकुओं की समस्याओं का अध्ययन

8·42. सन् 1972 में मध्य प्रदेश में लगभग 400 डाकुओं ने अपने आपको कानून और व्यवस्था के हवाले कर दिया और उन्होंने कानूनी सजा को भोगने तथा फिर से शांतिपूर्ण जीवन बिताने का फैसला किया। परिषद ने यह आवश्यक समझा कि वह डाकुओं द्वारा आत्म-समर्पण की इस महान् घटना तथा उनके गैरकानूनी ढंग से जीवन-यापन की पद्धति को छोड़ने के पीछे निहित कारणों और उनके मानसिक विचारों का अध्ययन करे। इस प्रकार इस समस्या की तह तक पहुँचने के लिए और इसके संबंध में अनुसंधान के कार्यक्रम संगठित करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति बनाई गई।

1. प्रो० श्यामा चरण दुबे (**अध्यक्ष**)
2. प्रो० योगेन्द्र सिंह
3. प्रो० डी० पी० जातार
4. डा० योगेश अटल (**सदस्य-सचिव**)

8·43. इस समिति ने सिद्धान्त रूप में डाकू समस्या के निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन करने का निर्णय लिया :—

(क) मध्य प्रदेश के डाकुओं की मनोसामाजिक पृष्ठभूमि और उनमें गिरोह बनाने की गतिशीलता ;

(ख) डाकुओं की डाकुओं के संबंध में धारणा ;

(ग) डाकुओं के व्यक्तित्व-गठन का गहन अध्ययन तथा आत्म-समर्पण करने वाले और बंदी बनाए गए डाकुओं की तुलना ;

(घ) आत्मसमर्पण करने के निर्णय के क्षण की गहराई का अध्ययन तथा जिन कारणों से डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया, उनकी जाँच ;

(ङ) विचलन और अनुरूपता के समाज वैज्ञानिक ढांचे में सिद्धान्त रूप से अनुकूलित अध्ययन ; और

(च) डाकुओं के पुनर्वास की समस्याओं और प्रक्रिया के संबंध में समस्यामूलक अध्ययन

8·44. समिति की सिफारिशों पर प्रो० डी० पी० जातार, अपराध विज्ञान और न्याय वैद्यक विज्ञान विभाग, सागर विश्वविद्यालय की मध्य प्रदेश में डाकुओं की समस्या पर प्रारंभिक प्रबंध तैयार करने की एक अनुसंधान परियोजना स्वीकार की गई।

7. क्षेत्रीय अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

8·45. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान क्षेत्रीय अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेष कार्यक्रम में पर्याप्त प्रगति हुई। एशियाई अनुसंधान के लिए गठित सलाहकार समिति ने एक कार्ययोजना तैयार की जिसे परिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

8·46. परिषद की अन्य विकासशील समुद्रपारीय देशों के सामाजिक वैज्ञानिकों और भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच व्यावसायिक संपर्कों को प्रोत्साहित करने में विशेष रुचि है। परिषद ने इस संपर्क के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दिया है।

8·47. मोटे तौर पर, परिषद ने क्षेत्रीय अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के उद्देश्यों को निम्न प्रकार निर्धारित किया है। इनमें मुख्य रूप से शैक्षिक विकास का प्रोत्साहन, आर्थिक सहयोग, राजनयिक संबंध, प्रशिक्षित कार्मिकों का नियोजन और अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध सम्मिलित किए गए हैं। अपनी इस योजना में वर्तमान और भावी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, जापान और पश्चिमी एशिया पर अनुसंधान के कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही एशिया में बड़े देशों की भूमिका को अत्यधिक प्राथमिकता का विषय माना है।

8·48. इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारतीय सामाजिक

विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एशियाई मामलों के अध्ययन के लिए एक भारतीय पत्रिका प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया है।

8·49. इस कार्यक्रम के अधीन परिषद ने अब तक 8 वरिष्ठ शिक्षावृत्तियों, 3 अनुसंधान परियोजनाओं और 8 डाक्टरेट डिग्री की शिक्षावृत्तियों तथा 8 सामाजिक वैज्ञानिकों और अनुसंधान छात्रों को विदेशों में क्षेत्र कार्य के लिए यात्रा-अनुदानों की स्वीकृति दी है।

8. भारत में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन

8·50. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की अनुसंधान परियोजना समिति, स्त्रियों की स्थिति के बारे में गठित राष्ट्रीय समिति की सहायता के लिए स्त्रियों की स्थिति से संबंधित अध्ययन गोष्ठियाँ शुरू करने पर सहमत है। राष्ट्रीय समिति ने कई कृतिक दल (टास्क फोर्स) स्थापित किए हैं जो स्त्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन पर किए जाने वाले अध्ययनों की सिफारिश करते हैं।

8·51. समीक्षाधीन वर्ष के अन्त तक निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन शुरू किए गए हैं। इनमें से जो तारांकित अध्ययन हैं उन पर विद्वानों द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया है और अब वे उन-उन विषयों के कृतिकदलों के विचाराधीन है।

सामाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं में विषय-वस्तु का गुणात्मक विश्लेषण

(1) हिन्दी	श्री गणेश मंत्री और श्रीमती वीणा दास
(2) गुजराती	श्रीमती हर्षिदा पंडित
(3) मराठी	श्रीमती सुधा गोगटे
(4) तेलुगु	डा० सी० लक्ष्मण
(5) कन्नड़	श्री सी० राजगोपालन
(6) मलयालम	श्री पी० के० बी० नायर
(7) तमिल	श्रीमती सुनंदा पटवर्धन
(8) बंगला	कु० बेल्ला दत्ता गुप्ता
(9) उड़िया	प्रो० प्रभात नलिनी दास
(10) उर्दू	डा० (कु०) जोहरा सैयदैन

(1) प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन—श्रीमती नीरा देसाई

(2) सगोत्रता और विवाह-संबंध पर अध्ययन—श्रीमती वीणा दास

(3) स्त्रियों की भूमिका और अभिवृत्ति (रुख)—श्रीमती नीरा देसाई

(4) परिवार और घरबार का अध्ययन—श्री टी० एन० मदान

(5) जनजातीय स्त्रियों की सामाजिक और अन्य समस्याएँ—भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण

(6) मातृवंशिक समाजों में स्त्रियों की स्थिति—श्रीमती लीला दुबे

(7) **विभिन्न धर्मों में महिलाओं का स्वरूप**

(1) हिन्दुधर्म	श्रीमती प्रभाती मुखर्जी
(2) इस्लाम	प्रो० एस० टी० लोखंडवाला
(3) बौद्ध धर्म	डा० प्रताप चंद्र
(4) ईसाइयत (कैथोलिक)	डा० मैबल फोन्सेका
(5) ईसाइयत (गैर-कैथोलिक)	श्रीमती पी० गोरे
(6) जैन धर्म	डा० ए० एन० उपाध्याय
(7) सिख धर्म	प्रो० जी० एस० तलकीब
(8) जोरो-आस्ट्रिअन धर्म	श्री ए० जे० दस्तूर
(9) वीर शैवमत	श्रीमती लीला मुल्लादी

(8) **विभिन्न विषयों में महिलाओं की स्थिति**

(1) आत्महत्या	ज्योत्स्ना शाह
(2) वेश्यावृत्ति	कु० मीना दीक्षित और प्रो० एस० डी० पुणेकर
(3) परिवार नियोजन	कमला गोपाल रवि
(4) दहेज	श्रीमती रलिया राम
(9) स्त्री अध्यापिकाएँ	श्रीमती करुणा अमहद
(10) चिकित्सा कार्मिक स्त्रियाँ	कु० एस० के० शेखों

(11)	फैक्ट्री श्रमिक स्त्रियाँ	डा० पद्मिनी सेन गुप्ता
(12)	कृषि श्रमिक स्त्रियाँ	श्रीमती रामा जे० जोशी
(13)	दफ्तरों में काम करने वाली स्त्रियाँ	डा० प्रोमिला कपूर
(14)	असामान्य व्यवसायों में कार्यरत स्त्रियाँ	डा० प्रोमिला कपूर
(15)	ठेके पर और (अनियत मजदूर) स्त्रियाँ	डा० पद्मिनी सेन गुप्ता
(16)	स्त्रियों के लिए सामाजिक और संरक्षी कानून	,,
(17)	जूट उद्योग में स्त्रियाँ	,,
(18)	श्रमिक स्त्री परम्पराएँ और रीति-रिवाज तथा उनका उत्पादिता पर अप्रत्यक्ष प्रभाव	,,
(19)	बागान और खानों में काम करने वाली स्त्रियाँ	डा० प्रोमिला कपूर
(20)	श्रमिक संघों में स्त्रियाँ	,,
(21)	संसद में स्त्री-सदस्याएँ	डा० एस० सरस्वती
(22)	भारत के राजनीतिक जीवन में स्त्रियाँ	,,
(23)	कुछ विशिष्ट देशों में स्त्रियों की स्थिति	श्रीमती उर्मिल सबनिस और कु० इन्द्रा मिलानी

9. कानून एवं सामाजिक परिवर्तन

8·52. इस अन्तरनुशासनिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए परिषद ने एक सलाहकार समिति स्थापित की है। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर (अध्यक्ष)
2. डा० जी० एस० शर्मा
3. डा० इन्द्रदेव
4. श्री आर० के० मिश्र
5. प्रो० योगेन्द्र सिंह
6. डा० के० के० सिंह

7. प्रो० के० चंद्रशेखरराव
8. डा० वी० एस० व्यास
9. प्रो० लोतिका सरकार
10. प्रो० ए० टी० मारकोस
11. डा० टी० के० बनर्जी
12. डा० एन० आर० माधव मेनन
13. डा० एल० एम० सिंघवी
14. श्री जे० पी० नायक (सदस्य-सचिव)

8·53. समिति परिषद को कानून और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए उपायों और साधनों के बारे में सलाह देती है। यह समिति समाजी-कानूनी अध्ययन के महत्व का ज्ञान कराने तथा वकीलों और सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच संबंध स्थापित कराने का भी प्रयत्न करती है।

8·54. समिति का सुझाव है कि (i) कानून के अध्ययन में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों का भी समावेश किया जाए; (ii) कुछ अतिथि प्राध्यापक-पदों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि कुछ प्रतिष्ठित सामाजिक वैज्ञानिकों को कानून के विभिन्न विभागों में व्याख्यानमाला प्रसारित करने के लिए भेजा जाए; (iii) कानून के स्नातकों और अध्यापकों के लिए अनुसंधान-रीति-विज्ञान के विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए; और (iv) वकालत का पेशा करने वाले वकीलों और न्यायाधीशों तथा कानून के प्राध्यापकों को अनुसंधान परियोजनाएँ हाथ में लेने तथा उन पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रोत्साहन देने के लिए कुछ शिक्षा-वृत्तियाँ शुरू की जाएँ।

8·55. समिति ने कुछ ऐसे विषयों का भी सुझाव दिया है जिन पर कानून और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान का कार्य किया जाए। समिति ने ऐसे सामाजिक वैज्ञानिकों और संस्थाओं या विश्वविद्यालयों का निर्धारण भी कर लिया है जो कानून और सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान-कार्य कर सकेंगे। समिति के सुझाव के आधार पर अनुसंधान-कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है।

8·56. समिति ने आगे यह भी सुझाव दिया है कि सामाजिक वैज्ञानिकों और कानून के प्राध्यापकों या विद्वानों को अपनी महत्व-पूर्ण एवं सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए एक सामान्य मंच पर लाना चाहिए। इस संबंध में 'परिवार कानून' और 'पंचायती न्याय' विषयों को 1973 में विचार के लिए चुना गया था।

8·57. ऊपर दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।

8·58. समिति के प्रयास से मार्च 1973 में कानून और सामाजिक परिवर्तन पर विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था। न्याया-धीशों, वकीलों, कानून के अध्यापकों और सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान की दृष्टि से यह विचार गोष्ठी उपयोगी रही।

IX

आधार सामग्री-संग्रहालय, प्रलेखन, अनुसंधान-सूचना और प्रकाशन

9·01. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में आवश्यक जानकारी की वितरण-सेवाएँ प्रदान करने के अपने महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति के लिए परिषद ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, इनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

1. आधार सामग्री संग्रहालय
2. प्रलेखन और ग्रन्थ-सूची संबंधी सेवाएँ ;
3. अनुसंधान-सूचना ; और
4. परिषद के प्रकाशन

1. भारत में आधार-सामग्री संग्रहालय

9·02. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आधार-सामग्री संग्रहालय के क्षेत्र में एक कार्यक्रम आरंभ किया है। इसके अन्तर्गत समिति का दिल्ली में एक राष्ट्रीय आधार-सामग्री संग्रहालय स्थापित करने का तथा देश की कुछ चुनी हुई संस्थाओं में अतिरिक्त संग्रहालयों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसका प्रयोजन यह है कि वे अपने निजी आधार-सामग्री संग्रहालय स्थापित कर सकें। इन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आधार-सामग्री संग्रहालयों में आवश्यक समन्वय स्थापित करके एक एकीकृत ग्रिड प्रणाली तैयार की जाएगी।

9·03. इस कार्यक्रम से संबद्ध समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों की सलाह के लिए परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों की एक विशेषज्ञ

सीमिति स्थापित की :—

1. डा० के० एस० पारिख (**अध्यक्ष**)
2. डा० आर० एन० बासु
3. डा० रजनी कोठारी
4. डा० योगेन्द्र के० अलग
5. डा० डी० बी० सरदेसाई
6. प्रो० योगेन्द्र सिंह
7. प्रो० ईश्वरदयाल
8. डा० एस० बंदोपाध्याय
9. डा० बी० के० राय बर्मन
10. डा० के० के० सिंह
11. डा० रामाश्रय राय (**सदस्य-सचिव**)

9·04. समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय हैं :

(क) आधार-सामग्री संग्रहालयों के कार्यक्रमों को संगठित करने और उनका प्रबंध करने में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को सलाह देना। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :

(i) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के आधार-सामग्री संग्रहालयों का प्रबंध ;

(ii) विभिन्न संस्थाओं को उनके अपने आधार-सामग्री संग्रहालय कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करने के सिद्धांतों और मानदंडों का निर्धारण ; और

(iii) आधार-सामग्री संकलन के विश्लेषण के विभिन्न पक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरूपण।

(ख) आधार-सामग्री प्रदाताओं और सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच संकलित आधार-सामग्री के मूल्यांकन, उसके स्वरूप को सुधारने तथा उसके बेहतर उपयोग के लिए एक कड़ी के रूप में काम करना ; और

(ग) कठिनाई पड़ने पर सामाजिक वैज्ञानिकों को सरकारी सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना।

9·05. समिति इसी प्रकार का कार्य करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग से संबंधित मामलों में परिषद की सहायता करेगी।

9·06. अब तक समिति की दो बैठकें हुई हैं। समिति ने एक

बठक में प्रो० सर क्लॉस मोजर को आमंत्रित किया और भारत में आधार-सामग्री संग्रहालयों के कार्यक्रमों के संबंध में उनकी सलाह ली। समिति ने अनुभव किया कि उपलब्ध आँकड़ों की एक तालिका तैयार की जाए, संकल्पनाओं के मानकीकरण को बढ़ावा दिया जाए, उपलब्ध आँकड़ों के स्वरूप में सुधार किया जाए और सामाजिक वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए सरकारी एजेंसियों को अपने आधार-सामग्री संग्रहालय बनाने के लिए सहमत किया जाए। समिति ने यह भी अनुभव किया कि केन्द्रीय आधार-सामग्री संग्रहालयों को आधार-सामग्री संग्रहालयों की नीतियों के निरूपण, उनके कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और उनके विभिन्न क्रियाकलापों का समन्वय करने में सहयोग देना चाहिए।

9·07. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इन प्रस्तावित आधार-सामग्री संग्रहालयों का संबंध हर तरह की सामग्री से नहीं होना चाहिए अपितु केवल उसी सामग्री से होना चाहिए जिनका मशीन की सहायता से अध्ययन किया जा सके और जो सामाजिक विज्ञान-अनुसंधान के लिए उपयोगी हो।

9·08. समिति ने सिफारिश की है कि परिषद आँकड़ों के संग्रह के संबंध में एक सावधिक पत्रिका प्रकाशित करे।

9·09. आशा है कि आधार-सामग्री संग्रहालय अपना कार्य मार्च 1974 तक आरंभ कर देंगे।

2. प्रलेखन और ग्रन्थ-सूची सेवाएँ

9·10. प्रलेखन और अनुसंधान-सूचना के क्षेत्र में परिषद के कार्यक्रमों का प्रतिपादन, प्रलेखन-सेवाओं और अनुसंधान सूचना के लिए गठित समिति के निदेशन और मार्गदर्शन में होता है। इन कार्यक्रमों को सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र, नई दिल्ली, राज्यों में स्थित प्रादेशिक केन्द्रों और सहायता-अनुदान कार्यक्रमों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

9·11. **सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र, नई दिल्ली :** इस केन्द्र में एक निदेशक है और अमले के 20 अन्य सदस्य हैं जो प्रलेखन और पुस्तकालय के काम में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। यह केन्द्र निम्नलिखित परियोजनाओं को चला रहा है।

(1) **संघीय-सूची पत्र परियोजना :** (i) सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र, नई दिल्ली, ने भारत के प्रमुख पुस्तकालयों में उपलब्ध

सामाजिक विज्ञान के क्रमिक प्रकाशनों के संघीय-सूची-पत्र के संकलन की एक बड़ी परियोजना हाथ में ली है।

संघ-सूची-पत्र परियोजना को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है। लेकिन इस परियोजना के राष्ट्रव्यापी महत्व का होने के कारण आधार-सामग्री के संकलन का कार्य कई राज्यों में एक साथ शुरू किया गया था। पहले चरण का संबंध प्रत्येक राज्य या राजधानी के चुने हुए पुस्तकालयों में सामान्य रूप से उपलब्ध सामाजिक विज्ञान की पत्रिकाओं की संघ-सूची के संकलन और प्रकाशन से है। इस चरण का पहला प्रकाशन (दिल्ली के पुस्तकालयों में हाल ही प्राप्त हुई पत्र-पत्रिकाओं की संघीय-सूची) अगस्त 1971 में प्रकाशिक हुआ था। आलोच्य वर्ष में इसी प्रकार के प्रकाशन आंध्रप्रदेश, बंबई और मैसूर से भी निकाले गए हैं।

दूसरे चरण में सामाजिक विज्ञान की पत्र-पत्रिकाओं के वे संघीय सूचीपत्र हैं जिनमें प्रत्येक राज्य या राजधानी के चुने हुए पुस्तकालयों में कुल पुस्तकों की सूची होती है। आलोच्य वर्ष में दिल्ली के 68 पुस्तकालयों में सामाजिक विज्ञान की पत्रिकाओं से संबद्ध समस्त सामग्री का संपादन कर उसे प्रकाशन योग्य बनाया गया। इसी वर्ष आंध्रप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बंगाल जैसे कई अन्य राज्यों तथा बंबई से भी सामाजिक विज्ञान की पत्र-पत्रिकाओं के आँकड़े एकत्र किए गए और उनका संपादन किया जा रहा है। इसलिए इसके बाद प्रकाशित होने वाले अधिकांश खण्ड इस चरण से संबंधित होंगे।

संघीय सूचीपत्र परियोजना के तीसरे चरण का क्रमिक प्रकाशनों का संबंध सामाजिक विज्ञान के संघीय सूचीपत्र से है। ये दूसरे चरण में सम्मिलित सामान्यतः ज्ञात पत्र-पत्रिकाओं से भिन्न हैं। क्रमिक प्रकाशनों से संबद्ध दिल्ली के सभी 68 पुस्तकालयों से आँकड़े एकत्र कर लिए गए हैं और आशा है कि 1973-74 में इससे संबंधित ग्रंथ का प्रकाशन हो जाएगा। आलोच्य वर्ष में (कई राज्यों में क्रमिक प्रकाशन सामग्री के पर्याप्त आँकड़े एकत्र किए जा चुके हैं। क्रमिक प्रकाशन नाम से यद्यपि इसकी विषय वस्तु का स्पष्ट बोध नहीं होता लेकिन विभिन्न पुस्तकालयों में सुविधानुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। इसीलिए वे कभी इन क्रमिक प्रकाशनों के खण्डों को पुस्तकों के साथ तो कभी पत्र-पत्रिकाओं के साथ या कभी-कभी बिल्कुल ही

अलग प्रलेखों में शामिल करते हैं। इसलिए किसी पुस्तकालय में, इनकी विस्तृत खोज कुछ कठिन हो जाती है। इन क्रमिक प्रकाशनों के अन्तर्गत सामान्यतः वार्षिक रिपोर्टें, सम्मेलनों की कार्रवाइयाँ, विद्वत् सभाओं के कार्यविवरण वार्षिकियाँ, पेशगियाँ, विधान-मंडलों के वाद-विवाद आदि विषय आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनों तथा सरकारी और गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रकाशित प्रलेखों को क्रमिक प्रकाशन कहा जा सकता है। यह भी अनुभव किया गया था कि एक बार इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान पर जितना भी क्रमिक प्रकाशन साहित्य इस समय देश के प्रमुख पुस्तकालयों में उपलब्ध है उसकी खोज की जाए और उसे ग्रन्थसूची में सम्मिलित किया जाए।

पुस्तकालयों में एक-एक क्रमिक प्रकाशन की खोज में आने वाली कठिनाई और इसमें लगने वाले समय को देखते हुए ऊपर दिए तीन चरणों में से जिस चरण की भी सामग्री उपलब्ध हो उसका एक खण्ड प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। इससे किसी एक राज्य में रहने वाले या किसी दूसरे राज्य का दौरा करने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों के पास ऐसा साधन उपलब्ध हो सकेगा जिसकी सहायता से वे शीघ्र आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकेंगे।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि दिल्ली के पुस्तकालयों में सामान्यतः उपलब्ध "सामाजिक विज्ञान की पत्र-पत्रिकाओं की संचीय सूची" का दिल्ली का एक खंड पहले ही 1971 में प्रकाशित कर दिया गया था। इसके अन्य दो खंड जिनमें क्रमशः पत्रि-पत्रिकाओं और क्रमिक प्रकाशनों के संग्रह हैं, आगामी वर्ष में प्रकाशित कर दिए जाएंगे। दिल्ली में सामाजिक विज्ञानों की पत्र-पत्रिकाओं और क्रमिक प्रकाशनों के पर्याप्त अनुसंधान संकलन उपलब्ध है। इन ग्रन्थों से इस बात का निर्णय किया जा सकता है कि अमुक खण्ड पत्र-पत्रिका कोटि में आएगा या क्रमिक-प्रकाशनों की कोटि में। आगामी वर्ष में आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पत्रिका-संकलनों के ग्रंथ निकलने वाले हैं। इस परियोजना के अंतर्गत सभी ग्रंथों के 1974-75 में प्रकाशित हो जाने की संभावना है।

मार्च 1973 तक इस परियोजना पर 1,95,224 रुपए कुल व्यय हुआ। इस परियोजना की कुल लागत का अनुमान 8 लाख रुपए है।

(2) **पुस्तकालय** : सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र, नई दिल्ली का पुस्तकालय स्थान की कमी के कारण अभी छोटा ही है। इस वर्ष के दौरान पुस्तकालय द्वारा 2037 ग्रंथ या तो खरीदे गए, उपहार स्वरूप प्राप्त हुए या अन्य ग्रन्थों के बदले में उपलब्ध हुए। 31 मार्च 1973 को कुल ग्रन्थों की संख्या 5182 थी। इनमें पत्र-पत्रिकाओं के 93 खण्ड भी सम्मिलित हैं जिन्हें अलग-अलग अवाप्ति रजिस्टर में दर्ज किया गया है। पुस्तकों के अधिग्रहण के बारे में निर्धारित नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि सामाजिक विज्ञानों के मूल संदर्भ ग्रंथों और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान की कार्य पद्धति विषयक ग्रंथों का अधिग्रहण किया जाए तथा इसके भविष्य पर विद्वत्तापूर्ण अध्ययन किया जाए। यह पुस्तकालय भारतीय विश्व-विद्यालयों से संपर्क स्थापित करके 1970 के बाद से उनके द्वारा स्वीकृत सामाजिक विज्ञानों के शोध प्रबंधों की एक-एक प्रति प्राप्त करता है। 31 मार्च 1973 तक ऐसे 178 शोध-प्रबंध प्राप्त किए जा चुके हैं।

पुस्तकालय ने अपनी ओर से भारत में स्थित विभिन्न विश्व-विद्यालयों के पुस्तकालयों और अनुसंधान-संस्थाओं में अपने प्रासंगिक प्रकाशनों को प्रेषित किया। अब तक निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित हुए हैं :

(क) हर तिमाही में जारी की जाने वाली अवाप्ति सूची ;
(ख) सामाजिक विज्ञान प्रलेखन-केन्द्र में हाल ही में प्राप्त संदर्भ-ग्रंथ सूचियाँ, अनुक्रमणिकाएँ और सार-पत्रिकाएँ ;
(ग) सामाजिक विज्ञान प्रलेखन-केन्द्र में हाल ही में प्राप्त पत्र-पत्रिकाएँ ;
(घ) सामाजिक विज्ञान प्रलेखन-केन्द्र में उपलब्ध सामाजिक विज्ञानों के शोध-प्रबंध ;
(ङ) सामाजिक विज्ञान प्रलेखन-केन्द्र पुस्तकालय में उपलब्ध संदर्भ ग्रन्थ।

पर्याप्त पठन-स्थान के अभाव के कारण अभी तक पुस्तकालय का उपयोग बहुत कम होता है, फिर भी गतवर्ष के दौरान अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकालय में उपलब्ध सामाजिक विज्ञानों के शोध-प्रबंधों से अवश्य लाभ उठाया। संदर्भ ग्रन्थों के बारे में पूछताछ करने पर आवश्यक सूचना फोन से तथा पत्र-व्यवहार द्वारा दी गई। इसके

साथ ही परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों को पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

(3) **थोक खरीद और वितरण :** प्रलेखन-सेवा और अनुसंधान-सूचना से संबद्ध समिति की सिफारिशों पर परिषद ने कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में वितरण के लिए प्रलेखन के कुछ क्रमिक प्रकाशनों की थोक खरीद की सस्वीकृत प्रदान की। आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित क्रमिक प्रकाशनों का वितरण किया गया :

(क) इंडियन बिहेवियर साइंस ऐब्स्ट्रैक्ट	47 प्रतियाँ
(ख) इंडिया प्रेस इंडैक्स	78 प्रतियाँ

इस व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र ने श्री धर्मपाल द्वारा लिखित और सर्व सेवा-संघ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित "जन असहयोग" और "भारतीय परम्परा" नामक पुस्तक की 100 प्रतियाँ खरीदीं और वितरित कीं।

(4) **गांधी शताब्दी संदर्भ ग्रंथ-सूची :** जैसा कि परिषद की 1971-72 की रिपोर्ट में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि गांधी जी पर लिखित प्रबंधों का प्रारंभिक साइक्लोस्टाइल किया हुआ संस्करण अंग्रेजी के साथ ही साथ अन्य सभी भारतीय भाषाओं में भी 15 अगस्त 1972 को प्रकाशित किया गया था। इन्हें देश के सभी प्रमुख पुस्तकालयों को निःशुल्क बाँटा गया। इसका प्रयोजन एक तो इन पुस्तकों पर उन पुस्तकालयों की सम्मति प्राप्त करना था और दूसरे देश के विभिन्न पुस्तकालयों से इन प्रबंधों के उपलब्ध होने की सूचना प्राप्त करना था। प्रत्येक भारतीय भाषा की पुस्तकों की प्रतियाँ विभिन्न भाषा क्षेत्रों से संबद्ध प्रमुख पुस्तकालयों को भेजी गई। इसके अतिरिक्त, सुझावों और सम्मतियों के लिए इनकी प्रतियाँ संसद-सदस्यों और गांधी-साहित्य से संबद्ध जाने माने व्यक्तियों को भी भेजी गई। जहाँ तक विभिन्न पुस्तकालयों में इनके उपलब्ध होने का प्रश्न है इसकी प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही। कुछ व्यक्तियों ने कुछ ऐसी पुस्तकों के नामों की सूचना भी दी जो प्रारंभिक संस्करण में सम्मिलित नहीं हो सकी थीं।

बाद में अंग्रेजी में गांधी जी के बारे में अब तक प्राप्त प्रबंधों की सभी प्रविष्टियों की एक बार फिर जाँच करने के लिए कार्रवाई की गई ताकि प्रत्येक प्रबंध की विषय-वस्तु को संदर्भ ग्रंथ-सूची की प्रविष्टि में सम्मिलित किया जा सके। इसका प्रयोजन संदर्भ ग्रन्थ-

सूची के उपयोग को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना और अधिक विस्तृत अनुक्रमणिका देना था। लगभग 800 प्रबंधों की दुबारा जाँच करके प्रत्येक प्रविशिष्ट को ब्यौरेवार तैयार किया गया। इसे तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि प्रत्येक प्रविष्टि में प्रबंध की पूरी विषय सूची, गाँधी जी की पूर्व उपलब्ध संदर्भ-ग्रन्थ-सूचियों में इसका उल्लेख और उसका भारत के एक या एक से अधिक पुस्तकालयों में प्राप्त होने का संकेत हो।

बाद में प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र बंगलौर से इस बात की व्यवस्था की गई कि स्वर्गीय डा० एस० आर० रंगनाथन द्वारा सुझाई गई कोलन वर्गीकरण योजना के अनुसार सभी प्रविष्टियों का वर्गीकरण किया जाए। 31 मार्च 1973 तक संदर्भ-ग्रंथ-सूची का अधिकांश काम पूरा कर लिया गया था और इसकी प्रेस कॉपी तैयार की जा रही थी।

संदर्भ-ग्रंथ-सूची के अंग्रेजी संस्करण में 31 दिसम्बर 1972, तक छपे गांधी जी के बारे में सभी ज्ञात प्रबंधों का समावेश होगा। इसके अलावा इसमें गांधी जी पर अंग्रेजी में भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत 83 शोध प्रबंधों की प्रविष्टियाँ भी सम्मिलित होंगी।

31 दिसम्बर 1972 तक प्रकाशित प्रबंधों सहित सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध-प्रबंधों की संदर्भ-ग्रंथ सूची को अद्यतन बनाया गया। इन्हें अगले वर्ष प्रकाशित कर दिया जाएगा।

गांधी शताब्दी ग्रंथ-सूची के लिए गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों पर परिषद ने इस पुस्तक पर किए जाने वाले कार्य को गांधी शाँति प्रतिष्ठान, दिल्ली में ही जारी रखने की व्यवस्था की। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि वह सभी भारतीय और विदेशी भाषाओं में गांधी जी पर निकले प्रकाशनों को सम्मिलित करके एक द्विवार्षिक ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिए भी प्रतिष्ठान की सहायता करेगा।

(5) **भारत में प्रकाशित होने वाली सामाजिक विज्ञान की पत्र-पत्रिकाओं की निदेशका** : आरंभ से ही परिषद ने भारत में प्रकाशित होने वाली सामाजिक विज्ञान की अच्छी पत्र-पत्रिकाओं को सहायता प्रदान करने में विशेष रुचि दिखाई है। परिषद की एक योजना के अधीन सामाजिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा में कम से कम एक पत्रिका को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

अब तक ऐसी छः पत्रिकाओं को वित्तीय समर्थन प्राप्त हो चुका है। इसलिए यह अनुभव किया गया कि भारत में प्रकाशित होने वाली सामाजिक विज्ञान की पत्र-पत्रिकाओं का सर्वेक्षण किया जाए। इस सर्वेक्षण के प्रथम चरण में यह निर्णय लिया गया कि भारत में प्रकाशित होने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की सभी प्रकार की पत्र-पत्रिकाओं का एक व्यापक संकलन तैयार किया जाए।

तदनुसार सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र, नई दिल्ली ने अगस्त, 1972 को इस निदेशिका का संकलन कार्य अपने हाथ में लिया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं के लगभग 2000 प्रकाशकों से विविध प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियाँ भेजी गई। 31 मार्च 1973 तक एक-दो स्मरण पत्र भेजने के बाद एक तिहाई से अधिक प्रकाशकों के उत्तर प्राप्त हो गए थे। इन पर कार्रवाई की जा रही है। आशा है कि निदेशिका अगले वर्ष के दौरान प्रकाशित हो जाएगी।

9·12. **कर्मचारी-वर्ग** : सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र, नई दिल्ली में 31 मार्च 1973 को काम करने वाले कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :

निदेशक	1
उपनिदेशक	1
प्रलेखन अधिकारी	3
वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	6
अवर प्रलेखन सहायक	11
स्टेनो और टाइपिस्ट	13
दफ्तरी, परिचर, संदेशवाहक आदि	7
	42

9·13. **भावी योजनाएँ** : परिषद की सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र की गतिविधियों को और व्यापक बनाने की योजना है, जिसके अन्तर्गत संग्रह पुस्तकालय और रिप्रोग्राफिक सेवा शुरू करने की भी व्यवस्था है।

1. **संग्रह पुस्तकालय** : संग्रह पुस्तकालय अन्य पुस्तकालयों से, अपेक्षाकृत कम प्रयोग में आने वाली सामाजिक विज्ञान की अनु-

संधान सामग्री, प्राप्त करने का अनुरोध करेगा और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त स्थान और कर्मचारी वर्ग प्रदान करके इस सामग्री को संग्रह पुस्तकालय में किसी भी क्षेत्र से आने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों के परामर्श के लिए उपलब्ध करायेगा। इन संग्रह पुस्तकालयों में से पहला ऐसा पुस्तकालय अगले वर्ष के दौरान दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अब तक इस सहकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली के बीस पुस्तकालयों ने अपनी सहमति दे दी है। अन्ततः परिषद के प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र में ऐसा संग्रह पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

2. **रिप्रोग्राफिक सेवा :** परिषद द्वारा शीघ्र ही रिप्रोग्राफिक सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। यह दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी। सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र का पुस्तकालय सूक्ष्म रूप में सामग्री को प्राप्त करेगा। यह ऐसी सामग्री होगी जो स्वदेश में आसानी से उपलब्ध नहीं है। साथ ही इस सामग्री को पठनीय बनाने के लिए यह पुस्तकालय अपने भवन में ही पठन-यंत्र भी प्रदान करेगी। समय-समय पर इस सूक्ष्म रूप में उपलब्ध सामग्री को दूसरे पुस्तकालयों के उपयोग के लिए उधार दिया जा सकेगा ताकि इसी प्रकार की सामग्री दूसरे पुस्तकालयों से भी उधार लेकर इस पुस्तकालय के उपयोग के लिए प्राप्त की जा सके। इसके अलावा दूसरी सुविधा अभीष्ट अनुसंधान-निबंध, लेख या उद्धरण की सूक्ष्म-प्रतियाँ उपलब्ध कराने की है। कुछ समय बाद मूल और दुर्लभ अनुसंधान सामग्री को भावी पीढ़ियों के लिए सूक्ष्म रूप में परिरक्षित करने की एक योजना शुरू की जाएगी जिसके अन्तर्गत भारत में सामाजिक विज्ञान की अनुसंधान सामग्री को परिरक्षित करने का कार्य किया जाएगा। अन्यथा पर्याप्त परिरक्षण की सुविधाओं के अभाव में इस सामग्री के विकृत होकर नष्ट हो जाने की संभावना है।

(2) क्षेत्रीय केन्द्र

9·14. विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक वैज्ञानिकों को पुस्तकालय, प्रलेखन, और अन्य अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करने के लिए परिषद ने आलोच्य वर्ष में कलकत्ता, बंबई और हैदराबाद में तीन अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सामग्री का संचय करेंगे, सामाजिक विज्ञान की पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध कराएँगे, आवश्यक संदर्भ-ग्रंथ-सूची और प्रलेखन सेवाएँ प्रदान करेंगे,

प्रादेशिक भाषाओं में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सामग्री एकत्र करेंगे। ऐसे छात्रावासों की स्थापना करेंगे जहाँ अध्यापक और छात्र कम खर्च पर रह सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक अध्ययन अनुदान की ऐसी योजना भी चलाएँगे जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र में स्थापित पुस्तकालयों में उपलब्ध अनुसंधान-सामग्री का लाभ उठाना चाहने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों को यात्रा सुविधा और रहने का खर्च दिया जाएगा। ऐसा एक केन्द्र बंबई में, बंबई विश्वविद्यालय कैंपस में और दूसरा हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय कैंपस में चल रहा है। कलकत्ता में यह केन्द्र स्वर्गीय श्री जदुनाथ सरकार के आवास में चलाया जा रहा है, जिसे परिषद ने इस प्रयोजन के लिए खरीद लिया था। ये केन्द्र संबद्ध विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की संपूर्ण देखरेख में चल रहे हैं जो प्रत्येक केन्द्र के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं। इन केन्द्रों के आवे राजस्व व्यय को महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेशों की राज्य सरकारें उठाने पर सहमत हो गई हैं। अस्थायी रूप में कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, सीधे परिषद की देखरेख में काम कर रहा है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र कलकत्ता के साथ इस केन्द्र के संचालन के प्रबंध को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(3) **अनुसंधान सूचना**

9·15. परिषद सामाजिक विज्ञानों के संबंध में अनुसंधान सूचना देने या आवश्यक वितरण सेवा सुविधाएँ प्रदान करने के कई कार्यक्रमों का विकास कर रहा है। इनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

(1) भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा सामाजिक विज्ञानों में जिन विद्यार्थियों को पी-एच० डी० की डिग्री प्रदान की गई है उनकी वार्षिक सूची का प्रकाशन।

(2) भारतीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञानों में डाक्टरेट डिग्री के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों की आवधिक सूची का प्रकाशन।

(3) सामाजिक विज्ञानों में भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में किए जा रहे अनुसंधान कार्य के आवधिक विवरण का प्रकाशन।

9·16. **विभिन्न शाखाओं में प्रक्षेपण सेवाएँ** : परिषद ने विभिन्न समाजशास्त्र शाखाओं में अनुसंधान के लिए कुछ 'एब्स्ट्र-

क्टिंग जरनल' प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका 'इंडियन साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स' है। यह पाक्षिक पत्रिका, इंडियन साइकोलॉजिकल ऐसोसिएशन और सोमैया प्रकाशन (प्राइवेट) लिमिटेड बंबई के सहयोग से प्रकाशित की जा रही है। इसी प्रकार की पत्रिकाएँ (क) समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान और (ख) भूगोल पर भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रहा है। अन्ततः इन पत्रिकाओं को सामाजिक विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रकाशित करने की योजना है।

9·17. **भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित अनुसंधान-सार त्रैमासिक :** मुख्य रूप से इस पत्रिका का प्रयोजन, परिषद द्वारा प्रवर्तित अनुसंधानों के सारांशों को प्रकाशित करना है। इसमें यदि स्थान हो तो, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हुए अन्य अनुसंधानों के सारांश भी दिए जाते हैं।

9·18. **भारतीय शोध प्रबंध सार :** परिषद ने इस पत्रिका को सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा डाक्टरेट के लिए स्वीकृत शोध-प्रबंधों के सार प्रकाशित करने के लिए इसी वर्ष शुरू किया है। यह त्रैमासिक पत्रिका है। लेकिन प्रतिवर्ष इसका एक विशेषांक प्रकाशित होगा जिसमें सामाजिक विज्ञानों पर भारतीय विश्वविद्यालयों से डाक्टरेट डिग्री पाने वाले विद्यार्थियों की पूरी सूची दी जाएगी।

9·19. **अनुसंधान-संस्था निदेशिका :** परिषद ने विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत न आने वाली सामाजिक विज्ञानों की अनुसंधान संस्थाओं की एक ऐसी आवधिक निदेशिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया है जिसका विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकत्र न किया जाता हो। ऐसी पहली निदेशिका प्रकाशित हो चुकी है।

9·20. **भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संगठनों की निदेशिका :** परिषद ने भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संगठनों की निदेशिका भी प्रकाशित की है। इस निदेशिका को संशोधित करके अद्यतन बनाया जाएगा और हर तीन साल बाद प्रकाशित किया जाएगा।

9·21. निदेशिका के अगले संस्करण में अधिक से अधिक सामग्री को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर

काम करने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों के सभी व्यावसायिक संगठनों से अपने नामों को परिषद में रजिस्टर करवाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। जो संगठन परिषद में अपना नाम रजिस्टर कराना चाहें, वे एक विशिष्ट प्रपत्र को भर कर परिषद के पास भेज द। परिषद के पास पंजीकृत संगठनों को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं :

(i) परिषद द्वारा पंजीकृत संगठन ही परिषद से सहायता अनुदान पाने के हकदार हैं।

(ii) परिषद के समूल्य प्रकाशनों को खरीदने पर इन संगठनों को 33⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है।

(iii) परिषद द्वारा पंजीकृत संगठनों को परिषद के निःशुल्क प्रकाशन नियमित रूप से भेजे जाते हैं।

9·22. 31 मार्च 1973 तक सामाजिक वैज्ञानिकों के 60 व्यावसायिक संगठनों ने परिषद के साथ अपना पंजीकरण करवाया था।

(4) परिषद के प्रकाशन

9·23. **भा० स० वि० अ० प० न्यूज़लैटर** : भा० सा० वि० अ० प० न्यूजलैटर, एक त्रैमासिक प्रकाशन है जो 1969 में शुरू किया गया था। यह निःशुल्क प्रकाशन है और सभी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के सामाजिक विज्ञानों के विभागों, और स्नातकोत्तर संबद्ध कालेजों, राज्यों के शिक्षा विभागों और व्यक्तिगत सामाजिक वैज्ञानिकों को भी उनकी प्रार्थना पर प्रेषित किया जाता है। इसे विदेशों में भारतीय दूतावासों को और भारत स्थित विदेशी दूतावासों को भी भेजा जाता है। इस प्रकाशन की बढ़ी हुई मांग के कारण इस वर्ष से इसकी पूर्व वर्ष में प्रकाशित 4,500 प्रतियों के बजाय 5,000 प्रतियाँ छापी जाने लगी हैं। आलोच्य वर्ष में खण्ड III के 2,3,4 अंक और खण्ड IV का 1 अंक निकाला गया।

9·24. **निःशुल्क प्रकाशन** : परिषद ने कुछ 42 निःशुल्क प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। 1972-73 में निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :

(1) वार्षिक रिपोर्ट, 1970-71 (हिंदी)
(2) परिषद के प्रबंध सं० 5,6 और 7 के पुनर्मुद्रण
(3) परिषद की अनुदान योजना, 1972 के पुनर्मुद्रण
(4) वार्षिक रिपोर्ट, 1971-72 (अंग्रेजी)

(5) भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यवसाय-संगठनों की निदेशिका—1972

(6) सामाजिक विज्ञान में अध्यायापन और अनुसंधान पर एशियाई सम्मेलन—पुस्तिकाएँ तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त ।

9·25. **समूल्य प्रकाशन** : 31 मार्च 1973 तक परिषद ने 21 समूल्य प्रकाशन निकाले । इनमें से अधिकांश प्रकाशनों के विषय में इस रिपोर्ट में अन्यत्र यथा स्थान निदेश किया गया है । इनके अलावा निम्नलिखित प्रकाशन इस वर्ष में प्रकाशित किए गए :

(1) चौथे आम चुनाव पर अध्ययन ;

(2) परीक्षणात्मक मनोविज्ञान पर भारतीय मनोवैज्ञानिक सार । इंडियन साइकोलॉजिकल ऐब्स्ट्रैक्ट्स का एक विशेष भाग

9·26. **प्रकाशन नीति** : सभी निःशुल्क प्रकाशनों के प्रकाशन और वितरण का उत्तरदायित्व परिषद के प्रकाशन प्रभाग पर है । लेकिन समूल्य प्रकाशनों के संबंध में परिषद ने निर्णय लिया है कि इनका प्रकाशन सुस्थापित प्रकाशकों के द्वारा अधिक कुशलता से और कम व्यय पर किया जा सकता है । इस बात को ध्यान में रख कर परिषद ने प्रकाशकों की एक सूची का अनुमोदन किया है जो समूल्य प्रकाशनों (इनमें परिषद के जरनल भी सम्मिलित हैं) का प्रकाशन व प्रबंध करेंगे । प्रकाशकों के साथ प्रकाशन के संबंध में मानक अनुबंध भी किया गया है । मोटे तौर पर, नीति यह है कि प्रकाशन और उत्पादन का पूर्ण व्यय परिषद उठाएगी और विक्रय से होने वाली आय को परिषद और प्रकाशक पूर्व निर्धारित आधार पर आपस में बाँट लेंगे ।

X

अन्य गतिविधियाँ

10·01. परिषद की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में से निम्न-लिखित उल्लेखनीय हैं :

(1) परिषद की परामर्शदात्री भूमिका ;

(2) भारतीय - सामाजिक वैज्ञानिकों को विदेश यात्रा अनुदान ;

(3) भारत में आमंत्रिक विदेशी सामाजिक वैज्ञानिक ;

(4) सामाजिक रिपोर्ट, सामाजिक सूचक और रहन-सहन का तरीका

(5) विचार गोष्ठियाँ, और

(6) सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यवसाय-संगठनों को विकास अनुदान ।

(1) परिषद की परामर्शदात्री भूमिका

10·02. **भारत में विदेशी छात्रों द्वारा ली गई परियोजनाएँ** : परिषद का एक दायित्व भारत सरकार को, भारत में विदेशी छात्रों द्वारा सामाजिक विज्ञानों के शोधकार्य को हाथ में लेने के प्रस्तावों के बारे में, सलाह देना है । 31 मार्च 1973 तक भारत सरकार ने ऐसे 38 मामलों में परिषद की सलाह माँगी । इनमें से प्रत्येक मामले की, इस प्रयोजन के लिए एक विशेष समिति ने जाँच करके उपयुक्त सलाह दी ।

10·03. **भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (i) (iii) के अन्तर्गत आयकर से छूट के लिए संस्थाओं के नामों**

की स्वीकृति : भारत सरकार ने भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (i) (iii) के अन्तर्गत आयकर से छूट के लिए संस्थाओं/संगठनों के नामों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए परिषद को विहित प्राधिकरण नामित किया है। परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भारतीय राजपत्र में निम्नलिखित संस्थाओं/संगठनों को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (iii) के अन्तर्गत आयकर से छूट देने की अधिसूचना प्रकाशित की है।

क्रम संख्या — संस्था का नाम

1. भारतीय विद्या भवन, बंबई
2. अखिल भारतीय प्रबंध समाज, नई दिल्ली
3. क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, सूरत
4. भारतीय विश्व-कार्य परिषद, नई दिल्ली
5. महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद, बंबई
6. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, बंबई
7. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, बंबई
8. भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता
9. सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर
10. भारतीय राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था विद्यालय, पूना
11. तकनीकी-आर्थिक अध्ययन संस्थान, मद्रास।

(2) विदेश यात्रा-अनुदान

10·04. परिषद भारतीय और विदेशी सामाजिक वैज्ञानिकों में निकट संपर्क को प्रोत्साहित करने की नीति का अनुसरण कर रही है। इस प्रयोजन से परिषद उन भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों को पूरक अनुदान देती है जिन्हें विदेशों में कुछ चुने हुए केन्द्रों में कुछ समय रहने के लिए या कुछ प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिकों से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया हो।

10·05. 31 मार्च 1973 तक विदेश यात्रा के लिए दिए अनुदान का विवरण ब्यौरेवार नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	वैज्ञानिक का नाम और पता	वैज्ञानिक ने जिन देशों का दौरा किया	स्वीकृत विदेशी मुद्रा रु०	अनुदान में परिषद का अंशदान रु०
1	2	3	4	5
1.	डा० आशिश नन्दी विकासशील समाज अध्ययन केन्द्र 29, राजपुर मार्ग दिल्ली	इंग्लैंड	3360	2220
2.	डा० एन० एस० बोस, रीडर, इतिहास विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय जादवपुर	इंग्लैंड	7449	5587
3.	प्रो० रशीदुद्दीन खान विभागाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल विश्वविद्यालय नई दिल्ली	बेल्जियम इंग्लैंड और डेनमार्क	3600	2705
4.	डा० सी० एन० दफ्तुआर मनोविज्ञान विभाग गया कालेज, गया	इंग्लैंड और फ्रांस	1842	1382
5.	डा० जी० सी० गुप्ता मनोविज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	बेल्जियम और नीदरलैंड्स	1581	1185
6.	प्रो० राधानाथ रथ मनोविज्ञान विभाग उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर	अमेरिका	4047	3035

1	2	3	4	5
7.	डा० आर० सी० प्रसाद राजनीति शास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय, गया	इटली	1784	1338
8.	डा० एस० आनंद लक्ष्मी प्राध्यापक और इंचार्ज शिशु विकास विभाग लेडी इर्विन कालेज नई दिल्ली	अमेरिका	1140	855

(3) भारत में आमंत्रित विदेशी सामाजिक वैज्ञानिक

10·06. परिषद विदेशों से प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिकों को भाषण देने, विचार गोष्ठियों में भाग लेने और भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञानों के चुने हुए केन्द्रों में भ्रमण करने के लिए आमंत्रित करती है। समीक्षाधीन वर्ष में परिषद ने निम्नलिखित विशिष्ट विद्वानों को भारत में आमंत्रित किया :

(1) डा० एलेक्स डिक्सन, आनरेरी डायरेक्टर, कम्युनिटि सर्विस वालंटियर, लंदन (11-18 नवम्बर, 1972)।

(2) डा० मोहम्मद मोहसिन, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय शिक्षा समिति, नेपाल सरकार, काठमांडु (6-11 दिसम्बर, 1972)।

(3) डा० ईवान इलिच, एक विशिष्ट लैटिन अमरीकी विद्वान जो विवादास्पद पुस्तक 'डिस्कूलिंग सोसाइटी' के लेखक हैं और अन्तर्सांस्कृतिक प्रलेखन केन्द्र मैक्सिको के निदेशक हैं। (19 नवम्बर से दिसम्बर 1972)।

अपने भारत के दौरे के दौरान डा० इलिच नई दिल्ली में योजनाकारों, शिक्षाशास्त्रियों, कलाकारों और पत्रकारों से मिले। इन्होंने 'इंडिया इंटरनेशनल सैंटर' में दो विचार गोष्ठियों और एक साधारण सभा में भाषण दिया। पहली विचार गोष्ठी में उद्योगोत्तर समाज पर विचार हुआ और दूसरी विचार गोष्ठी में तथा साधारण सभा में दिए भाषण का विषय 'शिक्षा' था। डा० इलिच वाराणसी, शांति निकेतन, गांधी ग्राम और पूना भी गए, जहाँ वे शिक्षाशास्त्रियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों से मिले और उनसे शैक्षिक और सामाजिक पुनर्निर्माण पर विचार विमर्श किया।

(4) प्रो० सर क्लॉसमोजर, डायरेक्टर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लंदन (25 जनवरी से 3 फरवरी 1973)।

अपनी इस यात्रा के दौरान प्रो० सर क्लॉस ने केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और योजना आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने परिषद की आधार-सामग्री संग्रहालय के लिए गठित सलाहकार समिति की ; और सामाजिक सूचकों पर कार्य (अध्ययन) दल की बैठक में भी भाग लिया। इन्होंने सामाजिक प्रवृत्तियों पर अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट परिषद को पेश की है जो परिषद के विचाराधीन है।

(4) सामाजिक रिपोर्ट, सामाजिक सूचक और रहन-सहन का तरीका

10·07. परिषद संपूर्ण सामाजिक विकास के व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान की रुचि को प्रोत्साहित करना चाहती है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि परिषद सामाजिक रिपोर्ट, सामाजिक सूचक और रहन-सहन के तरीके इन तीन मुख्य कार्यक्रमों का विकास करना चाहती है।

10·08. **सामाजिक रिपोर्ट** : परिषद ने सामाजिक रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्णय लिया है जिसमें स्वाधीनता के प्रथम 25 वर्षों (1947-72) के विकास की प्रवृत्तियों का मोटे तौर पर विवरण होगा। प्रो० श्यामाचरण दुबे, निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला इसके मुख्य संपादक हैं। इस रिपोर्ट के 1974 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

10·09. **सामाजिक सूचक** : पिछली कुछ दशाब्दियों में विकास की जो समस्याएँ सामाजिक वैज्ञानिकों के सामने आई हैं उन्होंने प्रगति की मात्रा के निर्धारण के साधन के रूप में 'सामाजिक सूचकों' पर विचार करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को विवश कर दिया है। इस तकनीक को सारे संसार में अपनाया जा रहा है। इसके महत्व को देखते हुए, परिषद ने भी भारत के लिए उपयुक्त 'सामाजिक सूचक' तैयार करने का निर्णय लिया है।

10·10. इस कार्य में आने वाली कठिनाई की जांच के लिए इस समस्या में रुचि रखने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों के दल की एक बैठक की गई थी। इन वैज्ञानिकों को लंदन के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के निदेशक प्रो० सर क्लॉज़ मोजर से भी, उनके हाल

ही के भारत के दौरे के दौरान, विचार-विमर्श करने का अवसर दिया गया था।

10·11. इन परिचर्चाओं के आधार पर परिषद ने कुछ चुने हुए सामाजिक वैज्ञानिकों से नीचे दिये कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सामाजिक सूचक तैयार करने का अनुरोध किया है :

क्र० सं०	सामाजिक वैज्ञानिक का नाम	सामाजिक सूचक तैयार करने के क्षेत्र
1.	प्रो० वी० एन० कोठारी	शिक्षा
2.	प्रो० वी० वी० रंगाराव	विज्ञान और टेक्नोलॉजी
3.	प्रो० योगेन्द्र के० अलघ	आर्थिक जीवन
4.	प्रो० योगेन्द्र सिंह	सामाजिक संरचना और परिवर्तन
5.	डा० आशीष बोस	जनसांख्यिकी
6.	कु० एम० खांडेकर	सामाजिक कल्याण
7.	डा० एन० आर० कार	पर्यावरण
8.	डा० सतीश अरोड़ा	राजनीतिक विकास (इसमें संचार भी शामिल है)
9.	डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन	कला और साहित्य
10.	श्री वाई० पी० गुप्ता	स्वास्थ्य
11.	डा० ए० के० गुप्ता	जनसुरक्षा और व्यवस्था

इन सूचकों की खोज के लिए ये विद्वान एक समान संकल्पनात्मक ढाँचे और समान कार्यपद्धति का उपयोग करेंगे।

10·12. प्रो० रामकृष्ण मुखर्जी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता से अनुरोध किया गया है कि वे भारत में सामाजिक सूचकों के अध्ययन के लिए संकल्पना-पद्धति और कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। इनकी इस रिपोर्ट के अक्तूबर, 1973 तक उपलब्ध होने की आशा है।

10·13. **रहन-सहन के तरीके** : परिषद ने अक्तूबर 1972 में, 'रहन-सहन के तरीकों' पर सामाजिक वैज्ञानिकों और कुछ अन्य ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें इस विषय में रुचि थी, एक विचार गोष्ठी

आयोजित की। इस विचार-विमर्श का उद्देश्य एक ऐसी मोटी रूप-रेखा तथा ऐसे सिद्धांतों का सुझाव देना था जिसके आधार पर भारतीय समाज के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया जा सके। इसमें हुए विचार-विमर्श के आधार पर तथा इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए परिषद ने इस समस्या के निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अध्ययन-दल बनाने का निर्णय लिया :

1. शिक्षा
2. आवास
3. स्वास्थ्य
4. रोजगार
5. परिवहन
6. मूलभूत मानक

प्रत्येक अध्ययन दल, उसे सौंपे गए विषय पर, प्रबंध तैयार करेगा। इन प्रबंधों के प्राप्त होने पर रहन-सहन के तरीकों की नई संकल्पनाओं की कुछ अधिक विस्तार से परिभाषा करने के लिए और इस विषय पर आगे अनुसंधान के कार्यक्रमों के विकास के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी।

(5) विचारगोष्ठियाँ

10·14. अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय-स्तरों पर अनुसंधान की समस्याओं की खोज के लिए और उनमें सामाजिक वैज्ञानिकों की रुचि को जागृत करने के लिए, परिषद, विचारगोष्ठियाँ आयोजित करने के लिए सीमित वित्तीय सहायता देती है।

10·15. **राष्ट्रीय विचारगोष्ठियां** : 1972-73 में परिषद ने निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर की विचारगोष्ठियाँ आयोजित कीं।

(1) **सामाजिक विज्ञान और सामाजिक यथार्थ पर विचार गोष्ठी** : परिषद ने विभिन्न सामाजिक विज्ञान की शाखाओं के कुछ प्रमुख विद्वानों को भारत में वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में सामाजिक विज्ञानों की भूमिका के प्रश्न पर विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। उनसे प्राप्त प्रबंधों में सामाजिक वैज्ञानिकों के सामने कुछ बहुत महत्वपूर्ण समस्याएँ प्रस्तुत की गई हैं।

इस संबंध में सामाजिक विज्ञान के विद्वानों ने अनुकूल प्रतिक्रिया और उनसे प्राप्त प्रबंधों से प्रोत्साहित होकर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला के सहयोग से एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया।

परिषद द्वारा प्राप्त निबंधों के अलावा भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान ने कुछ अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों से भी लेख देने का अनुरोध किया। इन लेखों और प्रबंधों को आधार बना कर 'सामाजिक विज्ञान और सामाजिक यथार्थ' विषय पर शिमला में 7 अक्तूबर से 13 अक्तूबर 1972 तक संगोष्ठी की गई।

लेकिन, इस संगोष्ठी की विभिन्न बैठकों में निबंधों को ही आधार नहीं बनाया गया। विभिन्न बैठकों के लिए निर्धारित विशिष्ट विषय इस प्रकार थे :

(i) सामाजिक विज्ञान और परिवर्तनशील समाज : विकासशील देशों में सामाजिक वैज्ञानिकों की भूमिका।
(ii) सामाजिक विज्ञान और राष्ट्रीय विकास।
(iii) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का संगठन और प्रबंध : विशुद्ध और प्रायोगिक अनुसंधान के दावे।
(iv) भारत में सामाजिक विज्ञानों के विकास पर एक दृष्टि।
(v) सामाजिक विज्ञानों में सिद्धान्त स्थापना।

इस विचारगोष्ठी में उठाए गए प्रश्नों के निर्धारण के लिए एक सुनिश्चित सामाजिक विज्ञान-नीति बनाने पर विचार करने का सुझाव दिया गया था। परिषद से यह भी कहा गया कि वह इस प्रश्न पर विचार-विमर्श के लिए अध्ययन दल गठित करे। इस अध्ययन दल में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित किया गया :

प्रो० श्यामा चरण दुबे	**अध्यक्ष**
प्रो० बलजीत सिंह	
डा० टी० एन० मदान	
श्री रजनी कोठारी	
डा० शिव कुमार मित्रा	
प्रो० बी० पी० मिश्रा	
डा० योगेश अटल	**सदस्य-सचिव**

(2) सामाजिक परिवर्तन पर राष्ट्रीय विचारगोष्ठी

परिषद, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर के संयुक्त तत्वावधान में 3 नवम्बर से 7 नवम्बर 1972 तक बंगलौर में सामाजिक परिवर्तन पर राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

विचारगोष्ठी की निम्नलिखित विषयों पर छः बैठकें की

गई थीं :

(1) ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन
(2) परिवार, जनसंख्या, सामाजिकीकरण और संचार
(3) शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन
(4) राजनीति और धर्म
(5) अनुसूचित जनजातियाँ, जाति-अध्ययन और क्रियापद्धति संबंधी समस्याएँ
(6) सामाजिक स्तरविन्यास और आधुनिकीकरण।

भारत के विभिन्न भागों से इस विचारगोष्ठी में चालीस से अधिक समाज वैज्ञानिकों और सामाजिक-मानव वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले विद्वानों ने आनुभविक तथ्यों के बजाए कार्य-पद्धति विषयक और वास्तविक मामलों पर ध्यान दिया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य पूरी स्थिति का जायजा लेना और भारत के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में भावी अनुसंधान के क्षेत्रों की खोज करना था।

इस संगोष्ठी में पढ़े गए निबंधों का संपादन प्रो० श्रीनिवास कर रहे हैं। बाद में इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना है।

(3) **कानून और सामाजिक परिवर्तन पर विचारगोष्ठी**

परिषद ने नई दिल्ली में विधि आयोग और भारतीय बार कौंसिल के सहयोग से कानून और सामाजिक परिवर्तन विषय पर 21 मार्च से 24 मार्च 1973 तक एक संगोष्ठी आयोजित की थी। इसकी परिचर्चाओं में कानून के अध्यापकों, ऐडवोकेटों और न्यायाधीशों सहित 33 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस विचारगोष्ठी में कानून और समाज के बीच अंतर्संबंध पर कानून के अध्यापन और वैज्ञानिक अनुसंधान से समान रूप से संबद्ध जिन दो विषयों पर विचार किया वे इस प्रकार है :—

(i) कानून की शिक्षा और सामाजिक विज्ञान, और
(ii) विधि तंत्र, वैधीकरण और सामाजिक परिवर्तन।

10·16. **क्षेत्रीय विचारगोष्ठियाँ** : इस वर्ष के दौरान परिषद ने राज्य स्तर पर दो विचारगोष्ठियों को संगठित किया, इनका विवरण निम्न प्रकार है :

(1) **सामाजिक विज्ञानों और मैसूर के विकास पर विचार-**

गोष्ठी :—इस विचारगोष्ठी का आयोजन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर के जरिए 15 सितम्बर से 17 सितम्बर 1972 तक बंगलौर में किया गया था। इसमें सामाजिक वैज्ञानिकों और प्रशासकों ने बहुत ही उपयोगी परिचर्चा में भाग लिया। इसमें संदेह नहीं कि इससे भविष्य में राज्य को और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बहुत अधिक लाभ होगा।

(2) **बिहार में सामाजिक अनुसंधान की समस्या पर विचार-गोष्ठी** : इस विचारगोष्ठी का आयोजन 4 दिसम्बर 1972 को ए० एन० एस० सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा किया गया था। इस संगोष्ठी का उद्देश्य बिहार की सामाजिक विज्ञानों से संबंधित उन समस्याओं का पता लगाना था जिन पर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का सारा व्यय परिषद ने किया।

10·17. **स्थानीय विचारगोष्ठियाँ** : इन विचारगोष्ठियों के आयोजन में परिषद का वित्तीय समर्थन केवल उस क्षेत्र के बाहर से आमंत्रित एक या दो सामाजिक वैज्ञानिकों के यात्रा भत्ते की अदायगी तक सीमित है। 1972-73 में परिषद ने नीचे दी हुई संगोष्ठियों को वित्तीय सहायता दी।

(1) **भारत में नागरीकरण पर विचारगोष्ठी** : यह विचार-गोष्ठी 21 मई से 31 मई 1972 तक मैसूर में हुई थी। परिषद ने इसमें भाग लेने के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में श्री के० वी० सुन्दरम, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, नगर और ग्राम आयोजन संगठन, नई दिल्ली के यात्रा भत्ते आदि के लिए रु० 1374-50 पैसे का योगदान दिया।

(2) **क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय एकीकरण पर कार्य-गोष्ठी** : इस कार्यगोष्ठी का आयोजन 15-16 फरवरी को एशियाई अनुसंधान केन्द्र, आर्थिक वृद्धि संस्थान, दिल्ली, ने क्षेत्रीय और शहरी विकास के लिए नियुक्त समाज वैज्ञानिक अनुसंधान समिति, अन्तर्राष्ट्रीय समाज वैज्ञानिक संघ और परिषद के सहयोग से किया। इसमें जिन विषयों पर विचार-विमर्श करने की योजना थी वे इस प्रकार हैं :

(क) क्षेत्रीय एकात्मकता के सामाजिक पहलू और क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में अन्तर्क्षेत्रीय एकीकरण ; और

(ख) राष्ट्र के साथ क्षेत्र के एकीकरण के सामाजिक पहलू। इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के यात्रा भत्ते और आकस्मिक व्यय के लिए भी परिषद ने अनुदान की कुछ राशि स्वीकृत की है।

(3) **भारत में समाजवादी संक्रमणकालीन समस्याओं पर विचारगोष्ठी** : भारतीय स्वाधीनता की पच्चीसवीं जयन्ती के समारोहों के एक भाग के रूप में फर्ग्युसन कालेज, पूना ने समाज प्रबोधन संस्था, पूना के साथ मिल कर 19 जनवरी से 21 जनवरी 1973 तक पूना में एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें भाग लेने के लिए परिषद ने प्रो० के० मुकर्जी, कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में 1129 रु० की राशि दी।

10·18. **शिक्षा पर विशेष विचारगोष्ठी** : भारतीय स्वाधीनता की रजत जयंती समारोह के अवसर पर शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने शिक्षा पर चार राष्ट्रीय विचारगोष्ठियों का आयोजन किया। मंत्रालय ने परिषद से इन गोष्ठियों को संगठित करने का अनुरोध किया और इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करने की भी सहमति प्रदान की। इनमें से दो विचारगोष्ठियां आलोच्य वर्ष में आयोजित की गई।

(1) **उच्च शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास पर विचारगोष्ठी** : परिषद ने उच्च शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास पर पहली विचारगोष्ठी का आयोजन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के सहयोग से 18 नवम्बर से 23 नवम्बर 1972 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य उच्च शिक्षा की पद्धतियों के पुनर्निरूपण के लिए मंच प्रदान कर उसे राष्ट्रीय उद्देश्यों के निकट लाना तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुयोजित कार्यपद्धति का सुझाव देना था। इस विचारगोष्ठी में देश के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं भारत और श्रीलंका के अन्तर्विश्वविद्यालय-

निकायों, योजना आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इसमें सामाजिक परिवर्तन के प्रभावी कारक के रूप में उच्च शिक्षा से सबंद्ध कई बातों पर विचार-विमर्श हुआ और इसे कार्यरूप प्रदान करने के बारे में भी कई विचार सामने आए। इस अवसर पर पढ़े गए लेखों सहित विचार-गोष्ठी का कार्य विवरण तथा इसमें हुई परिचर्चाओं का पूर्ण विवरण भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, द्वारा 1973 में किसी समय प्रकाशित किया जाएगा।

(2) **विद्यालय शिक्षा पर विचारगोष्ठी** : इस शृंखला की दूसरी विचारगोष्ठी का आयोजन 5 मार्च से 10 मार्च 1973 तक राज्य शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र के सहयोग से राज्य शिक्षा संस्थान, पूना में किया गया। इस संगोष्ठी का विचारणीय विषय 'विद्यालय शिक्षा' था। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया और इसमें राज्यों के शिक्षा निदेशकों, राज्य संस्थान, पूना के निदेशकों, शिक्षा सचिवों और प्रेक्षकों ने भाग लिया। इसमें भाग लेने वाले विद्वानों की संख्या 50 के लगभग थी। इस संगोष्ठी में जिन विषयों पर विचार हुआ वे इस प्रकार हैं : (i) प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बहु-अंशीय प्रविष्टि और अनौपचारिक शिक्षण ; (ii) विद्यालयों के निरीक्षण की पद्धति में परिवर्तन ; (iii) राज्य शिक्षा विभागों में अपेक्षाकृत अधिक अंतर्वृद्धि ; (iv) पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों और लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता; (v) राज्य के शिक्षा विभागों में माध्यमिक शिक्षा में बहुशाखीकरण के लिए एक सहायक सेवा के रूप में जन-शक्ति आयोजन कक्ष स्थापित करना ; और (vi) शिक्षा में परम्परागत मान्यताओं पर सामान्य रूप से पुनर्विचार करना।

(6) सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संगठनों के लिए विकास-अनुदान

10·19. परिषद सामाजिक वैज्ञानिकों की संस्थागत अवरचना

को समर्थन देने और उसे प्रबल बनाने के उपायों को प्रारंभ करने की अपनी नीति के परिपालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संगठनों को विकास-अनुदान देती है ताकि वे अपने व्यवसाय के हित में अपनी गतिविधियों और सेवा-कार्यक्रमों को तेज कर सकें। परिषद उन्हें पत्रिकाओं के प्रकाशन में भी मदद करती है।

10·20. **विकास अनुदान :** इस योजना के अन्तर्गत परिषद पाँच वर्ष तक उपकरणों आदि की खरीद के लिए प्रति वर्ष 5000 रुपए का अनावर्ती सहायता अनुदान और सामान्यतः प्रतिवर्ष 5000 रुपए का आवर्ती सहायता अनुदान देती है लेकिन इसके साथ एक शर्त यह होती है इस अनुदान को पाने वाली व्यावसायिक संस्था अपने साधनों से अर्थात् सदस्यता शुल्क या अंशदान के द्वारा प्रतिवर्ष 3000 रुपए की राशि जमा करे।

10·21. अब तक परिषद ने नीचे दी हुई सामाजिक वैज्ञानिकों की व्यावसायिक संस्थाओं के लिए आवर्ती और अनावर्ती दोनों प्रकार के विकास अनुदान स्वीकृत किए हैं।

क्र० सं०	सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संगठनों के नाम	अनावर्ती	वर्ष	आवर्ती	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय श्रमिक अर्थतंत्र समिति, लखनऊ	5,000	1970-71	5,000	1971-72 से 1975-76 तक
2.	भारतीय समाज वैज्ञानिक समिति, दिल्ली	5,000	,,	5,000	,,
3.	भारतीय प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता संघ, नई दिल्ली	5,000	1970-71	5,000	1971-72 से 1975-76 तक
4.	भारतीय प्रायोगिक मनोविज्ञान अकादमी, मद्रास	5,000	,,	5,000	,,

1	2	3	4	5	6
5.	भारतीय अर्थमिति समिति, हैदराबाद	5,000	1971-72	5,000	1972-73 से 1976-77 तक
6.	भारतीय भाषा समिति पूना	5,000	,,	5,000	,,
7.	भारतीय मानव वैज्ञानिक संघ, दिल्ली	5,000	,,	5,000	,,
8.	भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ, दिल्ली	5,000	,,	5,000	,,

10·22. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, खास तौर से, भारतीय आर्थिक संघ के लिए भी 10,000 रुपये का वार्षिक आवर्ती सहायता-अनुदान स्वीकृत किया है। यह अनुदान 1972-73 से अधिक से अधिक पांच साल के लिए दिया जाएगा। यह अनुदान संघ को तभी उपलब्ध होगा यदि संघ सदस्यता-शुल्क और अंशदान के रूप में कम से कम 5,000 रुपए वार्षिक जमा करे।

पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता

10·23. इस योजना के अधीन परिषद व्यावसायिक संगठनों द्वारा प्रकाशिक पत्र-पत्रिकाओं के लिए या तो अक्षय निधि की व्यवस्था करती है या कुछ सीमित अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गत वर्ष में सात समितियों की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशनार्थ अक्षय निधि के लिए परिषद ने 1.43 लाख रुपए की कुल राशि स्वीकृत की थी। आलोच्य वर्ष में इस शीर्ष के अन्तर्गत कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

XI

प्रशासन और वित्त व्यवस्था

11·01. **परिषद का पुनर्गठन :** 31 मार्च 1972 को तीन साल तक सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात् सरकार ने 1 अप्रैल 1972 को संशोधित विनियमों के अधीन परिषद का पुनर्गठन किया। संशोधित विनियमों में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि प्रतिवर्ष क्रमानुसार एक तिहाई सामाजिक वैज्ञानिक अवकाश ग्रहण करेंगे। पुनर्गठित परिषद और इसकी सांविधिक समितियों के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है।

11·02. **बैठकें :** 1969 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना से लेकर अब तक परिषद की पंद्रह बैठकें हो चुकी हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान इसकी चार बैठकें हुईं।

11·03. **कर्मचारी-वर्ग :** परिषद के कार्यक्रमों और गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ परिषद की विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही कार्यालय को भी छः प्रभागों में पुनर्संगठित किया गया है और इनमें से प्रत्येक प्रभाग का अध्यक्ष निदेशक अथवा निदेशक के समान स्तर के किसी अधिकारी को बनाया गया। इन प्रभागों को भी उपशाखाओं में विभाजित करके इनका प्रभार सहायक निदेशक या उपनिदेशक स्तर के अधिकारी को सौंपा गया। परिषद के संगठन का पूरा खाका परिशिष्ट III में दिया है।

11·04. 31 मार्च 1973 को स्वीकृत कर्मचारी-वर्ग की अनुसूची परिशिष्ट IV में दी गई है। इसी तारीख को पदासीन सभी वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग की सूची परिशिष्ट V में दी है।

11·05. **योजना समिति :** परिषद के कार्यालय के पुनर्गठन के बारे में सलाह देने के लिए अध्यक्ष द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की

गई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, सदस्य सचिव ने सचिवालय के प्रशासनिक और अन्य कार्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण मामलों में उसे परामर्श देने के लिए विभिन्न प्रभागीय अध्यक्षों की एक योजना समिति बनाई है।

11·06. **आवास** : इस समय परिषद का कार्यालय दो स्थानों पर है। इस का मुख्य कार्यालय, जिसमें, प्रशासनिक और शैक्षणिक खंड हैं, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के छात्रावास भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित है। सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र, पुस्तकालय, और अनुषंगी सेवाएँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय भवन में हैं।

11·07. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, परिषद को अपने कैम्पस में कार्यालय और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए कुछ भूमि देने पर सहमत हो गया है। परिषद की ओर से विश्वविद्यालय से भवन निर्माण कार्य शुरू करने की प्रार्थना की गई है। यह योजना विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विचाराधीन है।

11·08. **कर्मचारी क्लब** : परिषद की वित्तीय सहायता से परिषद के कर्मचारियों को आवश्यक सुख सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कर्मचारी क्लब की स्थापना की गई। इसकी चाय क्लब कर्मचारियों के लिए उचित मूल्य पर और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चाय की व्यवस्था करती रही है। यह क्लब कर्मचारियों के लाभ के लिए घरेलू खेलों, फिल्म प्रदर्शनों और आमोद-प्रमोद यात्राओं का आयोजन करती है। यह क्लब पहले की तरह परिषद का वार्षिक दिवस भी मनाती है।

सहकारी बचत और उधार समिति

11·09. 1 जनवरी 1973 से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों की एक सहकारी बचत और उधार समिति का पंजीकरण करवा लिया गया है और वह विधिवत कार्य कर रही है। इसके द्वारा जहाँ कर्मचारियों में बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलता है वहाँ उन्हें अपेक्षाकृत ब्याज की कम दरों पर धनराशि उधार मिलती है। जिसे वे आसान किश्तों में सुविधानुसार समिति को लौटा सकते हैं।

विदेशों में प्रतिनियुक्तियाँ

11·10. (1) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ने पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान परिषद (यूनेस्को) के तत्वावधान में 10 जुलाई से 12 जुलाई 1972 तक आयोजित सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषदों और निकायों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में भाग लिया। इस बैठक के संबंध में अध्यक्ष की रिपोर्ट परिषद की 25 अगस्त 1972 की बैठक में प्रस्तुत की गई।

(2) परिषद के निदेशक योगेश अटल को लंदन विश्वविद्यालय ने स्कूल ऑफ ओरियन्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज में मई 1972 में गांधी स्मारक भाषणमाला प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया था। इनके भाषण का विषय था "इंसुलेटर्स एंड ऐपरचर्स : दी डाइनेमिक्स ऑफ नेशन बिल्डिंग"। लंदन में प्रो० अटल ने 'स्कूल ऑफ ओरियन्टल एंड अफ्रीकन स्टडीज' के अध्यापन कार्यक्रम में भी भाग लिया और दो भाषण दिए, ये इस प्रकार हैं (i) "भारत में अन्तर्मानवजातीय संबंधों के कुछ पहलू" (ii) "जाति प्रथा और परिवर्तन"। इन्हें ससेक्स विश्वविद्यालय के "स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन स्टडीज" में "भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान" विषय पर और इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवेल्पमेंट स्टडीज में (अंग्रेजी की भूमिका के विशेष संदर्भ में) 'भारत में शिक्षा और अनुसंधान' विषय पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

इन्हें लंदन में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करने के लिए कुछ दिन और रुकना पड़ा। वे देश के प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिकों से भी मिले। उन्होंने उनके साथ ब्रिटिश सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के भारतीय छात्रों द्वारा भारत के विषय में अनुसंधान की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। प्रो० अटल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर परिषद में विचार किया गया और उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।

इंग्लैंड से लौटते हुए रास्ते में प्रो० अटल फ्रांस और पश्चिम जर्मनी भी गए। फ्रांस में वे प्रो० लुई ड्यूमांट से मिले और उनसे फ्रांसीसी विद्वानों की भारत के प्रति रुचि से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। पश्चिम जर्मनी में उन्होंने रूहर विश्वविद्यालय,

बॉकम और बेलेफील्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिए। इन दोनों विश्वविद्यालय में ऐसे कई विद्वान हैं जो भारत से संबंधित विषयों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय और जर्मन विद्वानों में पारस्परिक सहयोग और निरंतर विचारों के आदान-प्रदान की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों और क्षेत्र अध्ययनों के लिए गठित समिति प्रो० अटल की रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई के लिए जाँच करेगी।

11·11. **पुनरीक्षण समिति** :— परिषद ने चौथी पंचवर्षीय योजना के इस अंतिम वर्ष के अंत में सुप्रतिष्ठित सामाजिक वैज्ञानिक डा० एम० आदिशेषैया की अध्यक्षता में जो परिषद के सदस्य नहीं हैं, एक स्वतंत्र पुनरीक्षण समिति नियुक्त की। इस समिति का कार्य अब तक किए गए कार्य का मूल्यांकन करना और अगले पाँच सालों में किए जाने वाले कार्य के लिए पथ प्रदर्शक सिद्धान्तों की सिफारिश करना था। समिति की पहली बैठक 30-31 जनवरी 1973 को हुई और आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट सितम्बर के अन्त तक दे देगी।

11·12. **बजट और लेखे** : आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद के लिए कुल 70 लाख रुपए का बजट आबंटन स्वीकार किया गया, इसके अलावा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से "स्वाधीनता प्राप्ति के बाद की अवधि में भारत में शैक्षिक विकास पर सेमिनार आयोजित करने के लिए 75 हजार रुपये के अतिरिक्त अनुदान की राशि भी स्वीकृत की गई। इस वर्ष के दौरान परिषद का वास्तविक व्यय 70.48 लाख रुपए हुआ। प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण परिशिष्ट VI में दिया गया है।

11·13. परिषद के 1971-72 वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व द्वारा सितम्बर-अक्टूबर 1972 में की गई थी। परिषद के वार्षिक लेखे की महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति उनके पत्र सहित परिशिष्ट VII में दी गई है।

परिशिष्ट I

31 मार्च 1973 को परिषद तथा उसकी समितियाँ

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का गठन

डा० एम० एस० गोरे — अध्यक्ष
निदेशक
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान
सिऑन, ट्रॉम्बे मार्ग, देओनार
बम्बई-88

सदस्य

1. प्रो० एम० एन० श्रीनिवास, संयुक्त निदेशक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर
2. प्रो० रशीदुद्दीन खान, संसद सदस्य, अध्यक्ष, राजनीतिक विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3. प्रो० रवि० जे० मथाई, वरिष्ठ प्राध्यापक, भारतीय प्रबंध संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद
4. डा० भवतोष दत्त, 1/1-के, जोधपुर पार्क, कलकत्ता
5. प्रो० दुर्गानंद सिन्हा, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
6. प्रो० ए० एम० खुसरो, निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली-7
7. प्रो० सत्यभूषण, अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
8. डा० वी० बी० सिंह, संसद सदस्य, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
9. डा० सुरजीत सिन्हा, निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण विभाग, 27, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कलकत्ता-13

10. प्रो० एस० मंजूर आलम, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदरावाद

11. डा० वी० ए० पाई पानंडीकर, व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, इन्द्रप्रस्थ ऐस्टेट, रिंग मार्ग, नई दिल्ली-1

12. प्रो० तपस मजूमदार, अध्यक्ष, शिक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-57

13. डा० जे० एन० भान, उपकुलपति, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

14. प्रो० आर० एस० शर्मा, अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

15. डा० वी० रामलिंग स्वामी, निदेशक, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली

16. प्रो० श्यामा चरण दुबे, निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास, शिमला-5

17. प्रो० के० एन० राज, विकास अध्ययन केन्द्र, प्रशांतहिल, आकुलम रोड, उल्लूर, त्रिवेन्द्रम (केरल)

18. प्रो० एस० चक्रवर्ती, सदस्य, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली

19. श्री आई० डी० एन० साही, सचिव, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

20. श्री एम० आर० यार्डी, सचिव, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

21. श्री गोविंद नारायण, सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

22. श्री ए० चन्द्रशेखर, भारत के महापंजीयक, 2-ए, मानसिंह मार्ग, नई दिल्ली

23. श्री पी० पी० आई० वैद्यनाथन, अतिरिक्त सचिव, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

24. न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर, सदस्य, विधि आयोग, नई दिल्ली

सदस्य सचिव

श्री जे० पी० नायक
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आवास
इन्द्रप्रस्थ ऐस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-1

पाँच कार्यकारिणी समितियों का गठन

I. प्रशासनिक समिति

1. डा० एम० एस० गोरे — अध्यक्ष
2. श्री एम० आर० यार्डी
3. श्री आई० डी० एन० साही
4. प्रो० सत्यभूषण
5. न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर
6. श्री पी० पी० आई० वैद्यनाथन
7. डा० बी० वी० सिंह
8. श्री जे० पी० नायक — सदस्य-सचिव

II. अनुसंधान परियोजना समिति

1. डा० एम० एस० गोरे — अध्यक्ष
2. डा० सुरजीत सिन्हा
3. प्रो० सत्यभूषण
4. प्रो० ए० एम० खुसरो
5. प्रो० रवि जे० मथाई
6. प्रो० श्यामा चरण दुबे
7. प्रो० एस० मंजूर आलम
8. प्रो० दुर्गानंद सिन्हा
9. प्रो० टी० मजूमदार
10. डा० वी० ए० पाई पानंडीकर
11. श्री जे० पी० नायक — सदस्य-सचिव

III. प्रलेखन सेवा और अनुसंधान सूचना समिति

1. डा० एम० एस० गोरे — अध्यक्ष
2. प्रो० रशीदुद्दीन खान
3. प्रो० एस० मंजूर आलम
4. श्री एस० पार्थसारथी
5. श्री गिरजा कुमार
6. श्री डी० आर० कालिया
7. श्री आई० जे० पटेल
8. श्री अमरीक सिंह
9. श्री ए० चन्द्रशेखर

10. डा० ए० नीलमेघम
11. श्री जे० पी० नायक — **सदस्य-सचिव**

IV. प्रशिक्षण समिति

1. डा० एम० एस० गोरे — **अध्यक्ष**
2. प्रो० श्यामा चरण दुबे
3. डा० ए० एम० खुसरो
4. डा० रामकृष्ण मुखर्जी
5. डा० प्रोदीप्तो रॉय
6. डा० विमल शाह
7. श्री पी० रामचंद्र
8. श्री जे० पी० नायक
9. डा० योगेश अटल — **सदस्य-सचिव**

V. योजना समिति

1. डा० एम० एस० गोरे — **अध्यक्ष**
2. डा० रवि जे० मथाई — **उपाध्यक्ष**
3. डा० के० एन० राज
4. प्रो० आर० एस० शर्मा
5. डा० जे० एन० भान
6. डा० भवतोष दत्त
7. डा० एम० एस० आदिशेषैय्या
8. श्री जे० पी० नायक — **सदस्य-सचिव**

परिशिष्ट II

(31 मार्च 1973 को)

स्थायी समितियों का स्वरूप

I. मानवविज्ञान संबंधी स्थायी समिति

1. प्रो० एल० पी० विद्यार्थी, अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची (अध्यक्ष)

2. डा० सुरजीत सिन्हा, निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, कलकत्ता

3. प्रो० टी० बी० नायक, अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (म०प्र०)

4. प्रो० गोपाल शरण, अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़

5. प्रो० के० एस० माथुर, अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

6. डा० आई० पी० सिंह, अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

7. प्रो० एम० एन० वसु, अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

8. डा० (श्रीमती) लीला दुबे, अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर

9. श्री जे० पी० नायक, सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

10. डा० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (सदस्य-सचिव)

II. **व्यापार-प्रशासन तथा प्रबंध-संबंधी स्थायी समिति**

1. डा० रवि० जे० मथाई, निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद

2. प्रो० ईश्वर दयाल, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

3. डा० सेमुऊल पॉल, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद

4. डा० एम० कृष्णमूर्ति, निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता

5. प्रो० निखिल बराट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इण्डिया, हैदराबाद

6. डा० टी० एन० कपूर, वाणिज्य तथा व्यापार प्रशासन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

7. प्रो० जी० आर० दामोदरन, पी० एस० जी० कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर

8. श्री अरुण जोशी, श्रीराम सटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, नई दिल्ली

9. श्री ए० डी० मोद्दिल, स्थानीय निदेशक, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, नई दिल्ली

10. डा० एन० सी० वी० नाथ, निदेशक, भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली

11. प्रो० एस० पी० सिंह, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, बंबई

12. श्री जे० पी० नायक, सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

13. डा० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली **(सदस्य-सचिव)**

III. **वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति**

1. प्रो० एस० के० आर० भंडारी, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी **(अध्यक्ष)**

2. श्री एच० एम० डामनिया, एफ० सी० ए०, कपाड़िया डामनिया एंड कं०, चार्टर्ड लेखपाल, भूपेर चैम्बर्स, तीसरी मंजिल, 9, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, बंबई-1

3. श्री के० के० दत्ता, पूर्वशीष, शांति निकेतन, जिला-बीरभूम, पश्चिमी बंगाल

4. डा० एम० पी० शर्मा, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट छत्रसाल कालेज, पिछोर (शिवपुरी) (म०प्र०)

5. डा० ए० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष, अन्तरविश्वविद्यालय वाणिज्य शिक्षा तथा अनुसंधान परिषद, मोतीलाल नेहरू अनुसंधान एवं व्यापार प्रशासन संस्थान, इलाहाबाद

6. श्री जी० डी० रॉय, रीडर, वाणिज्य विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

7. प्रो० जे० सत्यनारायण, वाणिज्य विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-7

8. प्रो० डी० एन० एल्हांस, वाणिज्य विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर

9. प्रो० एन० एल० नद्दा, वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

10. प्रो० के० मुकर्जी, वाणिज्य विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

11. प्रो० एल० सी० गुप्ता, वित्तीय प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान, 3, कोठारी रोड, नुंगम्बाक्कम, मद्रास-34

12. श्री जे० पी० नायक, सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

13. डा० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली **(सदस्य-सचिव)**

IV. अर्थशास्त्र संबंधी स्थायी समिति

1. प्रो० एम० एल० दांतवाला, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई

2. प्रो० पी० एन० धर, सचिव, प्रधान मंत्री, नई दिल्ली

3. डा० अशोक मित्र, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्तमंत्रालय, नई दिल्ली

4. भारतीय आर्थिक संगठन का एक प्रतिनिधि

5. भारतीय कृषि अर्थशास्त्र संस्था का एक प्रतिनिधि

6. भारतीय श्रम-अर्थशास्त्र संस्था का एक प्रतिनिधि

7. प्रो० वी० एम० दांडेकर, गोखले राजनीतिशास्त्र एवं अर्थ-शास्त्र संस्थान, पूना

8. प्रो० एस० चक्रवर्ती, सदस्य, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली

9. प्रो० राजकृष्ण, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्या-लय, जयपुर

10. प्रो० ए० एम० खुसरो, निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली

11. प्रो० एस० एन० सेन, उपकुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

12. प्रो० गौतम माथुर, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

13. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि

14. डा० आर० एम० होनावर, भारत सरकार के अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, अर्थ-विभाग, नई दिल्ली

15. प्रो० डी० टी० लकडावाला, अर्थशास्त्र विभाग, बंबई विश्व-विद्यालय, बंबई

16. श्री जे० पी० नायक, सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

17. डा० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली *(सदस्य-सचिव)*

V. आर्थिक, मानव एवं राजनीतिक भूगोल संबंधी स्थायी समिति

1. प्रो० वी० एल० एस० प्रकाश राव, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, कार्ल्टन हाउस, पैलेस रोड, बंगलौर

2. प्रो० आर० एल० सिंह, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, बनारस हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणसी

3. प्रो० गुरदेव सिंह गोसाल, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

4. प्रो० एम० शफी, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

5. प्रो० एस० मंजूर आलम, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

6. प्रो० आर० पी० मिश्र, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, मैसूर विश्व-

विद्यालय, मैसूर

7. प्रो० पी० दयाल, भूगोल विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

8. प्रो० सी० डी० देशपांडे, प्रोफेसर, भूगोल विभाग, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई

9. प्रो० एस० पी० दासगुप्ता, राष्ट्रीय एटलस संगठन, 1, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता

10. प्रो० मूनिस रज़ा, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

11. श्री जे० पी० नायक, सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

12. डा० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली **(सदस्य-सचिव)**

VI. **राजनीतिशास्त्र (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध सहित) संबंधी स्थायी समिति**

1. प्रो० रशीदुद्दीन खां, अध्यक्ष, राजनीतिक विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली **(अध्यक्ष)**

2. प्रो० ए० अवस्थी, अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर

3. डा० रजनी कोठारी, विकासशील समाज अध्ययन केन्द्र, दिल्ली

4. डा० एन० आर० देशपांडे, राजनीतिशास्त्र एवं लोक-प्रशासन विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

5. प्रो० इकबाल नारायण, राजनीतिशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

6. डा० रघुवीर सिंह, राजनीतिशास्त्र विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

7. डा० सतीश के अरोड़ा, विकासशील समाज अध्ययन केन्द्र, दिल्ली

8. प्रो० वी० एम० सिरसीकर, राजनीतिशास्त्र विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूना

9. डा० एम० वी० पाइली, निदेशक, प्रबंध-अध्ययन विद्यालय, कोचीन

10. डा० जे० बंदोपाध्याय, प्रोफेसर, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर

11. डा० के० शेषाद्रि, राजनीतिक विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

12. डा० बशीरुद्दीन अहमद, विकासशील समाज अध्ययन केन्द्र, दिल्ली

13. डा० आर० एन० त्रिवेदी, राजनीतिशास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

14. श्री जे० पी० नायक, सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

15. डा० रामाश्रय रॉय, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली **(सदस्य-सचिव)**

VII. **मनोविज्ञान संबंधी स्थायी समिति**

1. प्रो० दुर्गानंद सिन्हा, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद **(अध्यक्ष)**

2. डा० एस० डी० कपूर, सचिव, भारतीय मनोविज्ञान संगठन, द्वारा-एन० आई० एफ० पी०, एल-17, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली

3. प्रो० शिब के० मित्रा, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, अरबिंद मार्ग, नई दिल्ली

4. डा० सी० आर० परमेश, मनोविज्ञान विभाग, प्रेसीडेंसी कालेज, मद्रास-5

5. प्रो० आर० एन० रथ, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

6. प्रो० वी० कृष्णन, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, मैसूर विश्व-विद्यालय, मैसूर

7. डा० कमला चौधरी, फोर्ड फाउन्डेशन, 55, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली

8. डा० एच० एस० अस्थाना, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर

9. प्रो० एच० सी० गांगुली, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

10. डा० उदय पारीख, निदेशक, आधारभूत विज्ञान एवं मान-विकी विद्यालय, उदयपुर, विश्वविद्यालय, उदयपुर

11. डा० ए० के० पी० सिन्हा, निदेशक, मनोविज्ञान अनुसंधान

खंड, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, 'एम' ब्लॉक, नई दिल्ली

12. डा० जे० बी० पी० सिन्हा, प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, ए० एन० एम० सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना

13 प्रो० अनवर अंसारी, मनोविज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

14. डा० पी० वी० वीरराघवन, एम० आई० टी० आर० ए०, कोयम्बटूर

15. डा० एच० एन० मूर्ति, अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बंगलौर

16. श्री जे० पी० नायक, सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

17. डा० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली **(सदस्य-सचिव)**

VIII. **लोक प्रशासन संबंधी स्थायी समिति**

1. प्रो० एम० वी० माथुर, निदेशक, शैक्षिक आयोजकों एवं प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टॉफ कालेज, 17-बी० अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-16 **(अध्यक्ष)**

2. प्रो० वी० एस० खन्ना, लोक प्रशासन विभाग, पंजाब विश्व-विद्यालय, चंडीगढ़

3. डा० जे० ए० खान, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्व-विद्यालय, जयपुर

4. प्रो० आर० बी० दास, लोक प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्व-विद्यालय, लखनऊ

5. प्रो० जी० मुखर्जी, (भूतपूर्व निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान), नई दिल्ली

6. श्री डी० डी० साठे, निदेशक, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

7. डा० कुलदीप माथुर, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

8. श्री बी० पी० वागची, कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडलीय सचि-वालय, नई दिल्ली

9. डा० बी० एल० महेश्वरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कालेज

ऑफ इण्डिया, हैदराबाद

10. डा० एच० के० परांजपे, सदस्य, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन, ट्रावनकोर हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

11. नितीश डे, भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता

12. श्री गोपाल मेनन, अतिरिक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

13. डा० वी० ए० पाई पनंडीकर, व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

14. डा० एम० ए० मुत्तलिब, लोक प्रशासन विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

15. श्री जे० पी० नायक, सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

16. डा० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली **(सदस्य-सचिव)**

IX. समाजशास्त्र तथा सामाजिक कार्य (अपराधविज्ञान सहित) संबंधी स्थायी समिति

1. प्रो० एम० एन० श्रीनिवास, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, 7-ए, कृष्ण कुरुप, 8वाँ ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर **(अध्यक्ष)**

2. प्रो० श्यामा चरण दुबे, निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

3. प्रो० ए० आर० देसाई, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, विद्यानगरी विश्वविद्यालय कैंपस, सी० एस० टी० रोड, कालीना, सांताक्रूज, बंबई-29

4. प्रो० विक्टर डी०, सूजा, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

5. प्रो० आर० के० मुखर्जी, निदेशक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता-35

6. डा० राजगोपालन, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर

7. प्रो० एस० एन० रानाडे, प्रधानाचार्य, दिल्ली सामाजिक कार्य विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

8. प्रो० के० एन० जॉर्ज, प्रधानाचार्य, मद्रास सामाजिक कार्य विद्यालय, मद्रास

9. डा० के० सी० पंचनदीकर, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, एम० एम० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा

10. प्रो० सच्चिदानंद, निदेशक, ए० एन० एस० समाजशास्त्र संस्थान, पटना

11. प्रो० आर० एन० सक्सेना, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

12. डा० ए० बी० बोस, संयुक्त निदेशक, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली

13. डा० (श्रीमती) सुमा चिटनिस, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, सिआॅन, ट्रॉम्बे रोड, देओनार, बम्बई-88

14. डा० (श्रीमती) वीणा दास, समाजशास्त्र विभाग, दिल्ली स्कूल आॅफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

15. डा० पी० सी० जोशी, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

16. श्री बी० के रॉय, योजना एवं तकनीकी अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

17. डा० योगेश अटल, निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली **(सदस्य-सचिव)**

परिशिष्ट III

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का संगठन चार्ट

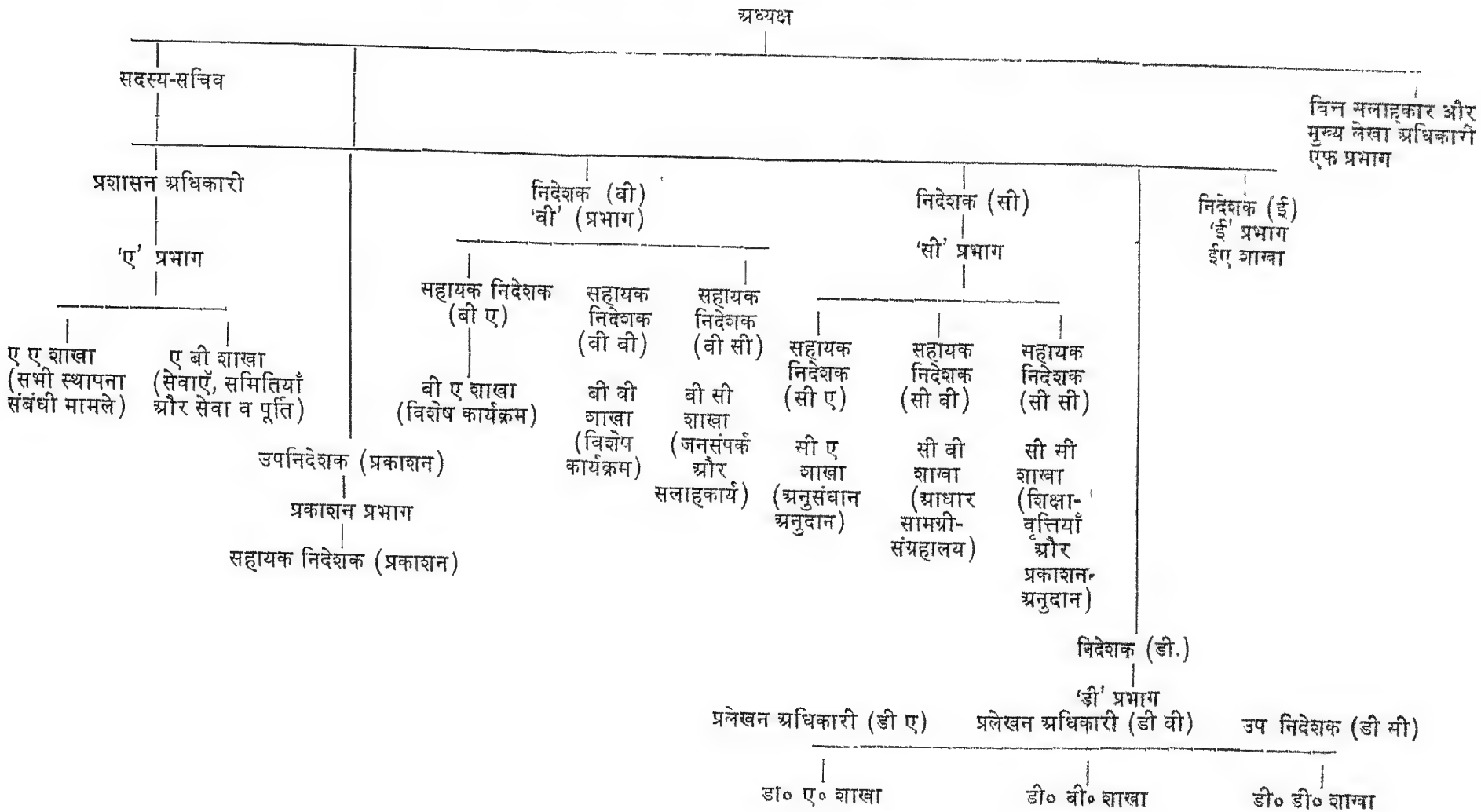

परिशिष्ट IV

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के कार्यालय के लिए संस्वीकृत पदों की अनुसूची (31 मार्च, 1973 को)

क्रम सं०	पद का नाम	वेतन मान	पदों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	**स्थायी कर्मचारी**	रु०		
	1. सदस्य सचिव	2000-2250	1	
	2. निदेशक	1100-1800	3	
	3. निदेशक (सा० वि० प्र० के०)	1100-1600	1	
	4. प्रशासन अधिकारी	900-1500	1	
	4. वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी	900-1500	1	
	6. उपनिदेशक	700-1250	4	
	7. सहायक निदेशक	400-950	5	
	8. प्रलेखन अधिकारी	400-950	3	
	9. सदस्य-सचिव के निजी सचिव	350-900	1	
	10. वरिष्ट अनुसंधान सहायक (इसमें अधीक्षक भी शामिल है)	325-575	6	
	11. वरिष्ट प्रलेखन सहायक	325-575	6	
	12. वरिष्ठ लेखापाल	325-575	1	

1	2	3	4	5
13.	अवर लेखापाल तथा कोषाध्यक्ष	रु० 270-435	1	
14.	अवर अनुसंधान सहायक	210-425	6	
15.	अवर प्रलेखन सहायक	210-425	8	
16.	लेखा सहायक	210-425	1	
17.	स्टेनोग्राफर (ग्रेड I)	210-530	7	प्रत्येक ग्रेड में संख्या अर्हता प्राप्त कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार निश्चित की जाएगी।
18.	स्टेनोग्राफर (ग्रेड II)	210-425		
19.	स्टेनोग्राफर (ग्रेड III)	130-300	4	(दो स्थान छुट्टी के लिए आरक्षित)
20.	अपर डिवीजन क्लर्क	130-300	4	
21.	स्टोर कीपर	130-300	1	
22.	लोअर डिवीजन क्लर्क	110-180	15	
23.	स्टाफ कार ड्राइवर	110-180	1	
24.	गैस्टेटनर आपरेटर (सीनियर ग्रेड)	110-131	1	
25.	गैस्टेटनर आपरेटर (ग्रेड II)	80-110	1	(दफ्तरी के बदले)
26.	ब्रैडमा आपरेटर	80-110	1	
27.	पुस्तकालय अटेंडेंट	80-110	1	
28.	दफ्तरी	75-95	3	
29.	मैसेंजर	70-85	8	
30.	फर्राश तथा स्वीपर	70-85	3	
II. सर्वेक्षण कार्य के लिए अस्थायी कर्मचारी 28-2-74 तक				
1.	उप-संपादक	460.00 (समेकित वेतन)	1	

1	2	3	4	5
III. कृषि इंजीनियरी और चिकित्सा शिक्षा में सामाजिक विज्ञानों की स्थिति से संबंधित अध्ययन दल के कार्य के लिए 30 जून, 1973 तक के लिए संस्वीकृत अस्थायी कर्मचारी				
1. अवर अनुसंधान सहायक (सांख्यिकी)		210-425	1	
IV. महात्मा गांधी ग्रंथ-सूची परियोजना पर अवशिष्ट कार्य के लिए 31 मार्च, 1974 तक के लिए संस्वीकृत				
1. उपनिदेशक		700-1250	1	
2. अवर प्रलेखन सहायक		210-425	3	(एक 31-3-73 तक के लिए संस्वीकृत है)
3. लोअर डिविजन क्लर्क		110-180	2	(एक 31-3-73 तक के लिए संस्वीकृत है)
4. मैसेंजर		70-85	1	
V. भारत में सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में विशेषीकृत पत्र-पत्रिकाओं के सर्वेक्षण के लिए अस्थायी कर्मचारी (28-2-74 तक के लिए संस्वीकृत)				
1. अवर प्रलेखन सहायक		210-425	1	
2. लोअर डिवीजन क्लर्क		110-180	1	
VI. संस्थान भवन पर कार्य दल की सहायता के लिए संस्वीकृत अस्थायी पद (14-1-74 तक के लिए संस्वीकृत पद)				
1. अनुसंधान अधिकारी		1000 रु० (समेकित वेतन)	1	*
VII. 31-3-73 से छः मास के लिए और अधिक कमरों की वृद्धि के कारण कार्य बढ़ जाने से संस्वीकृत अस्थायी पद।				
1. मैसेंजर		70-85	2	
2. फर्राश तथा स्वीपर		70-85	1	

1	2	3	4	5
VIII.	**अभिलेख संग्रहालय के लिए छः मास के लिए (इसे भरने की तारीख से) संस्वीकृत पद**			
	1. अवर अनुसंधान सहायक (सांख्यिकी)	210-425	1	
IX.	**जनगणना आयोग द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर अनुसंधान की संभावनाओं का पता लगाने के लिए छः मास के लिए (इसे भरने की तारीख से) संस्वीकृत अस्थायी पद**			
	1. अवर अनुसंधान सहायक	210-425	1	

परिशिष्ट V

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ कर्मचारीगण का विवरण

क्रम सं०	सदस्य का नाम	पद
1.	श्री जे० पी० नायक	सदस्य-सचिव
2.	डा० योगेश अटल	निदेशक
3.	डा० रामाश्रय रॉय	निदेशक
4.	श्री एन० एम० केतकर	निदेशक (प्रलेखन)
5.	श्री बी० एन० चड्ढा	प्रशासन अधिकारी
6.	श्री जयपाल	वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी
7.	डा० के० वी० नारायण राव	उपनिदेशक
8.	डा० (श्रीमती) एस० राधाकृष्णन	,,
9.	कुमारी ज़ोहरा सैयदेन	,,
10.	श्रीमती शांता रंगाचारी	(निदेशक के रिक्त स्थान पर)
11.	श्रीजयंत भुवन	अनुसंधान अधिकारी
12.	श्री एन० रामचन्द्रन	सहायक निदेशक
13.	डा० (कुमारी) आर० के० वर्मन	,,
14.	श्री के० एल० धर	,,
15.	श्री हंसराज	,,
16.	श्री प्रेमसिंह	,,
17.	श्री बी० बी० मिश्र	प्रलेखन अधिकारी
18.	श्री के० जी त्यागी	,,
19.	कुमारी निर्मल रूपरेल	,,

20.	श्री जी० डी० नरूला	अध्यक्ष के निजी सचिव
21.	श्री एम० एम० माथुर	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक
22.	श्री कश्मीरी सिंह	,,
23.	श्री एस० एस० सोबती	,,
24.	श्री एस० सी० श्रीवास्तव	,,
25.	श्री बी० आर० गंभीर	अधीक्षक
26.	श्री एन० एस० धावले	वरिष्ठ प्रलेखन सहायक
27.	श्री एम० डब्ल्यू० के० शेरवानी	,,
28.	श्री मनोहर लाल	,,
29.	श्रीमती एन० रोकड़िया	,,
30.	कुमारी ओम सचदेव	,,
31.	कुमारी प्रेमलता	,,
32.	श्री जी० एल० सिक्का	वरिष्ठ लेखापाल
	महात्मा गांधी ग्रन्थ-सूची परियोजना	
33.	एस० पी० अग्रवाल	उपनिदेशक

नोट 1. रिक्त पद

(क) निदेशक 1

(ख) वरिष्ठ अनुसंधान सहायक-2 (एक पद पर अवर अनुसंधान सहायक कार्य कर रहा है)

2. इस सूची में अवर कर्मचारी वर्ग के उन 91 सदस्यों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं जिनका वेतन मान 325 रुपए से कम है। इनमें से 12 ऐसे स्थान खाली थे, जिनके लिए तदर्थ व्यवस्था की गई थी।

परिशिष्ट VI

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का 31-3-1972 के अन्त तक का प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां		भुगतान	
लेखा शीर्ष	राशि	लेखा शीर्ष	राशि
1	2	3	4
	रु०		रु०
1. अथशेष	48,407.68	क (प्रशासन)	
2. भारत सरकार से सहायता अनुदान लेखे में प्राप्ति	45,84,232.00	1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	1,59,252.24
		2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता	24,310.99
3. अंशदायी सरकारी स्वास्थ्य योजना	530.50	3. परिषद और प्रशासनिक समिति की बैठक के लिए यात्रा भत्ता	16,653.60
4. सशुल्क प्रकाशन	3,047.13		
5. पर्व अग्रिम राशि की वसूली	1,655.00	4. भवनों का किराया	67,075.92
6. वाहन अग्रिम राशि	680.00	5. अन्य प्रभार	1,80,110.96
अन्य अग्रिम राशियों की वसूली		6. आतिथ्य सत्कार	4,173.05
		7. कर्मचारियों के लिए कल्याण सेवाएं	1,138.65
(1) अवकाश वेतन-अग्रिम की वसूली	1,594.00		

1	2	3	4
(2) बाढ़ के लिए प्राप्त अग्रिम की वसूली	95.00	8. छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	10,978.90
अन्य वसूली	33,425.62	जोड़ (क) (प्रशासन)	4,63,694.31
कुल प्राप्त राशि	46,73,666.93		
		ख. **कार्यक्रम**	
		1. अनुसंधान अनुदान :	
		1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	42,394.70
		2. कर्मचारियों और अनुसंधान परियोजना समिति का यात्रा भत्ता	14,182.95
		3. सामाजिक वैज्ञानिकों की यात्रा भत्ता	12,824.05
		4. परामर्शदाताओं को मानदेय	37,550.00
		5. अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता-अनुदान	15,41,221.57
		6. प्रवर्तित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता-अनुदान	
		7. **अनुसंधान शिक्षावृत्तियों के लिए सहायता-अनुदान**	

1	2	3	4
		(i) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद शिक्षावृत्तियां	2,80,359.20
		(ii) राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियाँ	39,932.50
		(iii) डॉक्टोरल शिक्षावृत्तियां	37,960.00
		8. **भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों को विदेशों में अनुसंधान के लिए अनुदान**	
		9. अध्यापकों को अनुसंधान सहायता	—
		10. अन्य प्रभार	794.63
		11. अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	1,703.00
		जोड़ (अनुसंधान अनुदान)	20,08,922.60
		2. **अनुसंधान सर्वेक्षण**	
		1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	38,008.35

1	2	3	4
		2. कर्मचारियों और अनुसंधान सर्वेक्षण समिति का यात्रा भत्ता	2,293.85
		3. सामाजिक वैज्ञानिकों को मानदेय	40,650.00
		4. (i) अनुसंधान सहायकों के वेतन	10,744.35
		(ii) आकस्मिक व्यय	9,512.20
		5. सामाजिक वैज्ञानिकों और उनके अनुसंधान सहायकों को यात्रा भत्ता	817.15
		6. सर्वेक्षण के लिए विचारगोष्ठियाँ	41,022.60
		7. अन्य प्रभार	2,417.97
		8. अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	1,151.35
		(अनुसंधान सर्वेक्षण) जोड़	1,46,617.82
		3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भारतीय मुसलमानों संबंधी स्थायी समिति	
		1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	9,697.90

1	2	3	4
		2. कर्मचारियों और समिति का यात्रा भत्ता	21,558.45
		3. विशेष प्रतिवेदन (रिपोर्ट)	7,000.00
		जोड़	38,256.35
		4. प्रशिक्षण	
		1. सर्वेक्षण	500.00
		2. प्रशिक्षण कार्य-क्रमों के लिए सहायता-अनुदान	3,69,001.07
		3. मानदेय	1,625.00
		4. प्रशासन व्यय	1,181.81
		5. समितियों के दैनिक और यात्रा भत्ते	42,365.10
		जोड़	4,14,672.98
		ग. प्रलेखन और ग्रन्थ-सूची संबंधी सेवाएँ	
		1. राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र :	
		1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	75,308.17
		2. कर्मचारियों और प्रलेखन सेवा समिति का यात्रा भत्ता	12,117.10

1	2	3	4
		3. मानदेय	191.15
		4. पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की खरीद	20,354.34
		5. ग्रन्थ सूची और प्रलेखन कार्यक्रमों के लिए सहायता-अनुदान	1,18,600.00
		6. अन्य प्रभार	50,645.37
		7. अवकाश वेतन और पेंशन अंश-दान	13,610.55
		जोड़	2,90,826.68
		2. अनुसंधान सूचना :	
		1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	45,878.80
		2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता	1,211.40
		3. परामर्शदाताओं को मानदेय	16,500.00
		4. अन्य मानदेय	43,980.00
		5. अन्य प्रभार	202.10
		6. अवकाश वेतन और पेंशन अंश-दान	1,937.50
		जोड़	1,09,709.80

1	2	3	4
		3. संघीय ग्रंथसूची :	
		1. कर्मचारियों का वेतन	63,105.77
		2. पुस्तकालयों को भुगतान	8,836.90
		3. आकस्मिक व्यय	2,496.05
		जोड़	74,438.72
		4. महात्मा गांधी ग्रंथ-सूची परियोजना	
		1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	56,131.74
		2. कर्मचारियों और ग्रन्थ सूची सलाह-कार समिति का यात्रा भत्ता	7,545.90
		3. अन्य प्रभार	2,628.21
		जोड़	66,305.85
		घ. प्रलेखन	
		1. परिषद की प्रकाशन शाखा	
		1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	29,819.90
		2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता	1,444.95
		3. अन्य मानदेय	4,631.50
		4. न्यूज लेटर (मुद्रण प्रभार)	5,133.98

1	2	3	4
		5. अन्य (निःशुल्क) प्रकाशन	41,794.41
		6. अन्य प्रभार	51,882.66
		7. अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	1,586.20
		जोड़	1,36,293.60
		2. प्रकाशन सहायता-अनुदान	
		1. पी-एच० डी० के शोध प्रबंध	1,02,807.84
		2. अनुसंधान प्रतिवेदन (रिपोर्ट)	33,550.00
		3. अन्य अनुदान	16,800.00
		जोड़	1,53,157.84
		3. समूल्य प्रकाशन :	
		1. अनुसंधान सर्वेक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट)	77,653.64
		2. पत्र-पत्रिकाएं	13,678.27
		3. अन्य प्रकाशन	25,203.88
		जोड़	1,16,535.79
		ङ. अन्य कार्यक्रम	
		1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	26,769.95

1	2	3	4
		2. अवकाश वेतन और पेंशन अंश-दान	718.05
		3. परिषद द्वारा संगठित विचार-गोष्ठियां, सम्मेलन और कार्य-गोष्ठियां :	
		(क) प्रत्यक्ष व्यय	61,877.03
		(ख) सहायता अनुदान	17,253.75
		4. (अन्यत्र उल्लिखित समितियों से भिन्न) समितियां	1,33,283.45
		5. अस्थायी उपकार्यालय	
		(क) सहायता-अनुदान	10,000.00
		6. विदेशी सामाजिक वैज्ञानिकों का आगमन	
		(क) प्रत्यक्ष व्यय	5,437.80
		7. भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों की विदेश यात्राएं	1,500.00
		8. व्यावसायिक संगठनों को अनुरक्षण और विकास अनुदान	37,875.00

1	2	3	4
		9. कृषि, इंजीनियरी और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक वैज्ञानिकों की स्थिति पर अध्ययन दल पर व्यय	17,245.95
		जोड़	3,11,960.98
		III. **ऋण, जमा और अग्रिम राशियां :**	
		(क) 1. वाहनों की खरीद के लिए कर्मचारियों को ऋण	400.00
		2. कर्मचारियों को पर्व अग्रिम राशि	2,000.00
		3. कर्मचारियों को अवकाश वेतन की अग्रिम राशि	206.00
		4. बाढ़ के कारण अग्रिम राशि	445.00
		5. अन्य अग्रिम राशियाँ	95,044.84
		जोड़	98,095.84
		(ख) **भविष्य निधि :**	
		(i) परिषद का अंश-दान (सी० पी० फंड)	1,603.00

1	2	3	4
		(ii) भविष्य निधि पर ब्याज	313.00
		जोड़	1,916.00
		IV. पेंशन आरक्षण निधि :	12,000.00
		V. पूंजीगत व्यय	
		1. फर्नीचर और उपस्कर	1,02,886.68
		2. पुस्तकालय के लिए पुस्तकों पर व्यय	60,418.49
		जोड़	1,63,305.17
		कुल (संवितरण) इतिशेष	46,06,710.33
		शेष नकद जो पास है 1,525.47	66,956.60
		शेष बैंक में जमा 65,431.13	
कुल जोड़ (प्राप्तियां)	46,73,666.93	कुल जोड़ (भुगतान)	46,73,666.93

हस्ताक्षर
जयपाल
वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
जे० पी० नायक
सदस्य-सचिव
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली

परिशिष्ट VII

गोपनीय

सभी पत्रव्यवहार महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व के पते पर किये जाने चाहिए। तार का पता— एकाउन्ट्स

सं० ओ ए1/34-आई० सी० एस० एस० आर०/ए० आर०/72-73/299 महालेखापाल एवं केन्द्रीय राजस्व-कार्यालय, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली-1
तारीख 12-6-1973

प्रेषक

महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व,
नई दिल्ली-1 :

सेवा में

सचिव
शिक्षा एवं समाजकल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय :— 1971-72 वर्ष के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के लेखों का लेखा परीक्षा विवरण।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 1971-72 की भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के प्रमाणित वार्षिक लेखा विवरण की प्रति, "भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के नियम 42 (डी) के अधीन उसे संसद के सामने पेश किए जाने के लिए भेज रहा हूँ। (परिषद के लेखा विवरण पर कोई लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं है)।

(2) संसद में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की दस प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की कृपा करें। जिन तारीखों को इन दस्तावेजों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है उसकी भी सूचना दें।

(3) संलग्न सामग्री के साथ इस पत्र की प्राप्ति की सूचना देने की कृपा करें।

भवदीय
हस्ताक्षर
महालेखापाल

साक्ष्यांकित सही प्रति

श्रीमती आर० के० पोपली, शिक्षा
अधिकारी, शिक्षा एवं समाजकल्याण
मंत्रालय, शिक्षा विभाग
भारत सरकार
नई दिल्ली

परिशिष्ट VIII

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
31-3-1972 को परिसम्पत्ति और देयताओं का विवरण

देयताएँ

लेखा शीर्षक			राशि
1. भारत सरकार से अनावर्ती अनुदान			रु०
(क) गत वर्ष के अंत तक	2,28 920.32		
	(—)	*220.87	2,28,699.45
(ख) चालू वर्ष के दौरान			1,63,305.17
2. पेंशन आरक्षण निधि			
संलग्न अनुसूची के अनुसार			17,163.12
3. भा० सा० वि० अ० प० भविष्य निधि			
संलग्न अनुसूची के अनुसार			24,328.00

* यह एक खोई गई साइकिल की राशि है जिसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

परिसम्पत्तियाँ

लेखा शीर्षक		राशि
1. **स्टाफ कार**	रु०	
(क) गत वर्ष के अंत तक	22,431.96	
(ख) चालू वर्ष के दौरान	—	
इतिशेष		22,431.96
2. **फर्नीचर**		
(क) गत वर्ष के अंत तक	1,69,248.81	
(ख) चालू वर्ष के दौरान	1,02,886.68	
		2,72,135.49
	(—)	220.87*
इतिशेष		2,71,914.62
3. **पुस्तकालय की पुस्तकें**		
(क) गत वर्ष के अंत तक	37,239.55	
(ख) चालू वर्ष के दौरान	60,418.49	
इतिशेष		97,658.04
निवेश		
1. **पेंशन आरक्षण निधि**		
अनुसूची संलग्न है		17,163.12
2. **भा० सा० वि० अ० प० भविष्य निधि खाता**		
अनुसूची संलग्न है		24,328.00
5. **बकाया अग्रिम राशियाँ**		
(क) **कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियाँ**		
(i) वाहन खरीदने के लिए दिए गए ऋण		
(क) अथ शेष	3,000.00	

* यह एक खोई गई साइकिल की राशि है जिसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

लेखा शीर्षक		राशि
परिसम्पत्तियाँ (जारी)		
(ख) चालू वर्ष के दौरान दी गई राशि	400.00	
	जोड़ 3,400.00	
(ग) वर्ष 1970-71 के दौरान समायोजित राशि	400.00	
(घ) चालू वर्ष के दौरान समायोजित राशियाँ	680.00	2,320.00 (इति शेष)
(ii) **पर्व-अग्रिम राशियाँ**		
(क) अथ शेष	440.00	
(ख) चालू वर्ष में दी गई राशि	2,000.00	
	2,440.00	
(ग) चालू वर्ष के दौरान समायोजित राशि	1,655.00	785.00 (इति शेष)
(iii) **अग्रिम अवकाश वेतन राशियाँ**		
(क) अथ शेष	1,594.00	
(ख) चालू वर्ष के दौरान दी गई राशि	5,214.00	
	6,808.00	
(ग) चालू वर्ष के दौरान समायोजित राशि	6,602.00	206.00 (इति शेष)
(iv) **बाढ़ के कारण दी गई अग्रिम राशि**		
(क) अथ शेष	—	

लेखा शीर्षक			राशी
(ख) चालू वर्ष के दौरान दी गई राशियाँ		रु० 445.00	
	जोड़	445.00	
(ग) चालू वर्ष के दौरान समायोजित राशियाँ		95.00	
इति शेष			350.00
अन्य अग्रिम राशियाँ			
(i) अन्य मिश्रित अग्रिम राशियाँ			
(क) अथ शेष		1,627.70	
(ख) चालू वर्ष के दौरान दी गई राशि		1,73,109.46	
	जोड़	1,74,737.16	
(ग) चालू वर्ष के दौरान समायोजित राशि		79,692.32	
इति शेष			95,044.84
6. **नकद शेष**			
(क) पास में नकद शेष		1,525.47	
(ख) बैंक में जमा राशि		65,431.13	
(ग) टिकटें (शेष)		112.25	
	जोड़		67,068.85

हस्ताक्षर
(जयपाल)

हस्ताक्षर
(जे० पी० नायक)
सदस्य सचिव

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली

नोट— लेखा परीक्षा शुल्क 3990/– देय था ।

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद के इससे पूर्व दिए लेखों, परिसंपत्तियों और देयताओं संबंधी विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है। इसके बारे में मैंने सभी आवश्यक सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। और मैं अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी जानकारी तथा प्राप्त स्पष्टीकरणों से और परिषद की लेखा पुस्तकों में दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार मेरी सम्मति में, लेखों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के बारे में वितरण ठीक प्रकार से तैयार किए गए हैं और वे परिषद के कार्यकलापों के बारे में ठीक-ठीक और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

हस्ताक्षर
निरीक्षण अधिकारी

नई दिल्ली
तारीख 21-10-1972

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
1971-72 की भविष्य निधि-परिसम्पत्ति की अनुसूची

		प्राप्त अंशदान/अंशदाताओं से अग्रिम राशि की वसूली		परिषद का अंशदान		जोड़	
(क)	(i) अथ शेष	—	—	रु० 6,047.00	((i) बैंक से प्राप्त ब्याज	435/- रु०	
(ख)	(ii) चालू वर्ष में दी गई राशि	17,072.00	1,603.00	18,675.00	((ii) परिषद के अनुदान	313/- रु०	
	(iii) वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि	—	—	748.00	(से प्रदत्त		
	जोड़			25,470.00 रु०	(		748/- रु०
(ख)	चालू वर्ष के दौरान अदा की गई राशि						
	(i) अंतिम भुगतान	1,142.00		1,142.00 रु०	(क) एफ० डी० आर० में निवेश 7½ प्रतिशत वार्षिक दर से		22,000.00

(ii) अग्रिम का भुगतान

1,142.00

24,328.00

(ख) बचत बैंक खाते में निवेश 2,328.00

24,328.00

हस्ताक्षर
(जयपाल)
वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जे० पी० नायक)
सदस्य-सचिव
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की 1971-72 की पेंशन आरक्षण निधि की अनुसूची

1. अथ शेष		5,000.00 रु०
2. चालू वर्ष में प्राप्त राशि		12,000.00 रु०
3. चालू वर्ष में बैंक से प्राप्त व्याज		163.12 रु०
	जोड़	17,163.12 रु०
(क) एफ० डी० आर० में 7¼ प्रतिशत वार्षिक की दर से निवेशित		16,500.00 रु०
(ख) बचत बैंक खाते में निवेशित		663.12 रु०
		17,163.12 रु०

हस्ताक्षर
(जयपाल)
वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, भा० सा० वि० अ० परिषद, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जे० पी० नायक)
सदस्य-सचिव
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली

परिशिष्ट 'ख'

(अनुच्छेद 1 (ए) (2) में निर्दिष्ट)

नाम और पता	उद्देश्य	प्राधिकार की तारीख	दी गई राशि
1	2	3	4 डालर
प्रो० गौतम माथुर, विभागाध्यक्ष अर्थ-शास्त्र उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-7	कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आर्थिक विकास के सिद्धांत पर भाषण के लिए इंग्लैंड में ईस्टर की अवधि बिताने पर संधारण व्यय	26 मई, 1971	505.00
प्रो० दुर्गानंद सिन्हा विभागाध्यक्ष मनो-विज्ञान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	इंग्लैंड, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के कुछ केन्द्रों और मनोविज्ञान प्रयोगशालाओं के दौरे के लिए आंशिक सहायता	30 जून, 1971	378.75
प्रो० वी० एल० प्रकाशराव, विभा-गाध्यक्ष भूगोल, दिल्ली विश्व-विद्यालय, दिल्ली	रियोडीजिनेरो, ब्राजील में भूगोल में मात्रात्मक पद्धतियों पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आंशिक सहायता	7 अप्रैल, 1971	294.00

1	2	3	4
प्रो० बी० एस० खन्ना, विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	नवम्बर 1971 में लोक प्रशासन में समस्याओं के अध्ययन के लिए बेंकाक में एक सप्ताह की यात्रा	16 नवंबर, 1971	121.20

वि० ध्यान—खाद्य प्रतिष्ठान के बिना सं० के पत्र तारीख 28-8-72 के संदर्भ से।